खण्ड-337, अंक-8
सोमवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1901
(26 मार्च, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	877
राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद् के सामने प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	877–879
अनुपूरक अनुदानों पर विधान परिषद् में हुई चर्चा को उठाने का प्रयास	879
दिनांक 22 मार्च, 1979 को श्री औसान सिंह के सदन से हुए निलम्बन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	880–889
व्यवस्था के प्रश्न	889
उरई में वकीलों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा की मांग	889–890
विद्युत्मंत्री व विद्युत् सचिव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	890–891
गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	891
समाचार पत्र, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 'किस्सा कुर्सी का–जनता स्टाइल' के लेखक श्री के0 आर0 सुन्दरराजन तथा उक्त पत्र के प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	891–892
विधान सभा सदस्य सर्वश्री औसान सिंह, रणवीर सिंह व मुकीमुर्रहमान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ..	892–893
श्री राज मंगल पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	893–896
श्री सोहन वीर सिंह तोमर को प्राप्त मुख्य मंत्री द्वारा धमकी के तार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	896–897
क्षय रोगाश्रम, मुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	897
नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज समाचार पत्र कार्यालय में गैर कानूनी तालाबन्दी से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	897–899
चांदपुर, जिला बिजनौर में कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल करने तथा श्री हीरा लाल वरुण, पुलिस इन्सपेक्टर के बीच बचाव करने पर उन्हें पकड़ कर मारने की घटना के संबंध में वक्तव्य ..	899–900
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	900
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	901–930
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	930–931
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	931
ग्राम फत्तेपुर, थाना बासी जनपद बस्ती में 5 निहत्थे लोगों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	931–935
प्रदेश में कोयले की कमी के कारण ईंट निर्माण एवं घरों में ईधन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	935–939

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	939–948
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	949–957
विधान सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव तिथि को श्री राज्यपाल द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	957

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1779

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—344

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री

चन्द्रसेन, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल , डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रमाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल शुक्ल, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज," श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजलाल श्री

बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खाँ)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिम अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खाँ, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव,' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री

रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन , श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामघर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमार बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कमार भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 26 मार्च, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बी० बी० रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी, आगरा के प्रवक्ता श्री श्यामदत्त पालीवाल की सेवा समाप्ति तथा वेतन भुगतान का आदेश

**1—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0 बी0 रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी, आगरा से आपात स्थिति में मीसा वारन्ट होने के कारण अनुपस्थित होने के कारण श्री श्यामदत्त पालीवाल की समाप्त सेवाओं के सम्बन्ध में तथा पुनर्नियुक्ति की प्रार्थना करते हुए उन्होंने दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 में उनको कोई पत्र लिखा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया है तथा शिक्षा मन्त्री को उन्हें पुनः नियुक्त करने तथा सेवा समाप्ति के समय का वेतन दिलाने में क्या कठिनाई है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

जी हाँ।

मामला कुलाधिपति महोदय के विचाराधीन था। श्री पालीवाल की सेवा समाप्त के सम्बन्ध में कुलपति के आदेश को कुलाधिपति महोदय ने निरस्त कर दिया है। इस अवधि के वेतन भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो आदेश शिक्षा निदेशक को भेज दिये गये हैं, वे क्या हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

श्री पालीवाल जी की जितनी पिछली सेवाएं हैं, उनके सम्बन्ध में उनको पिछला सारा हिसाब देने और उनको रिइनस्टेट करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय पालीवाल जी की सेवाओं के सिलसिले में उनका वेतन क्रम क्या है और उनको कितनी वृद्धि इस अवधि की मिलेगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, श्री श्यामदत्त पालीवाल, बी0 बी0 रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी, आगरा में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे और अब मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करता हूं कि वह अब भी हैं और जिस वेतन-क्रम में वह प्रवक्ता के वेतन-क्रम में रहे हैं, वह सारे का सारा पिछले समय से लेकर अब तक का उनको मिलेगा और इसके लिए आदेश शिक्षा निदेशक को 16 मार्च को कर दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित कालेज द्वारा एक गैर-कानूनी आदेश पारित करके माननीय पालीवाल जी को नुकसान पहुंचाने का जो कार्य किया गया है और कुलाधिपति की नजरों में जो आदेश गलत पाये गये हैं, तो क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जिससे पालीवाल जी को हटाया था, यही सबसे गम्भीर दोष था। अब आदेश दिये गये हैं, यदि उसको वह नहीं मानते हैं या और कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

एक बात मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह वही श्यामदत्त पालीवाल हैं, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

जी हाँ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

यह उनके आदेश कब से लागू हो जाएंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल ---

जिस समय से पालीवाल जी को कार्य करने से रोका था, उसी दिन से वह आदेश प्रभावी होंगे और जैसा मैंने कहा यदि किसी कारण से वह इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो इस संबंध में मैनेजमेंट पर ऐक्शन लिया जाएगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राजाज्ञा के अनुसार उनको नया वेतनक्रम मिलेगा और आपातकाल का दुरुपयोग करके पालीवाल जी को इस तरह से परेशान किया गया और जिसका इस तरह से परेशान करने में हाथ था, क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल---

यदि वह इसका पालन नहीं करते हैं, तो उन पर पूरी कार्यवाही की जायेगी, उनकी कार्यवाही को समाप्त करके ही कुलाधिपति द्वारा आदेश दे दिये गये हैं, अब यदि वह पालन नहीं करते हैं तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वह उनका पूरा पालन कर सकें।

घघरिया नदी पर पुल निर्माण की योजना

**2- श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर), श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई), श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा) तथा श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर में किशनपुर एवं बिलरिया के निकट घघरिया नदी पर एक पुल बनाने की योजना स्वीकृत हुई है ? यदि हाँ, तो इस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

जी हाँ।

दिनाँक 19-9-1977 को तत्कालीन मंत्रि परिषद् की उप समिति की बैठक में अन्य पुलों के अतिरिक्त इस पुल पर भी कार्य आरम्भ न किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः फिलहाल इस पुल पर कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह पुल किस सन् में स्वीकृत हुआ था और जो इस पर कार्य न करने का निर्णय लिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र---

मान्यवर, 13-1-1977 को पुल स्वीकृत हुआ था लेकिन इसके बाद 19-9-1979 को मंत्रि परिषद् की उप समिति की मीटिंग में यह विचार किया गया कि जिन पुलों पर काम शुरू नहीं किया गया है, चूंकि संसाधनों की कमी है, उनको रोका जाय जब तक संसाधन न मिल पाएं।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके बाद कितने पुल स्वीकृत हुए हैं जिनका कार्य शुरू कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पुल के बारे में मुख्तार अनीस साहब जब मंत्री थे उस समय कोई पत्र सरकार को भेजा था? उसमें कौन सी शिकायत की थी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र---

इसकी जानकारी नहीं है कि पत्र भेजा गया था, न पत्रावली में कोई है।

श्री मुख्तार अनीस---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पुल के सम्बन्ध में माननीय आबिद अली अंसारी, तत्कालीन परिवहन मंत्री ने तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री को लिखा था और मैंने भी लिखा था, खीरी और सीतापुर को, लहरपुर क्षेत्र आबिद अली अंसारी साहब का क्षेत्र है उसको मिलाना है, तो बहुत महत्वपूर्ण पुल है, जनता की इस परेशानी को देखते हुए, जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये पुल बनाने की स्वीकृति देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र---

यथाशीघ्र बनवाने पर विचार किया जायगा ।

प्रदेश के डिग्री कालेजों में अनियमिततायें

**3---श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के प्राइवेट डिग्री कालेजों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन को कुछ शिकायतें मिली हैं ? यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं को दूर करने तथा व्यवस्था को सुचारु रूप में चलाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल---

प्रदेश में 372 डिग्री कालेज है जिनमें 28 सरकारी और 344 प्राइवेट हैं। इन कालेजों में विभिन्न प्रकार की अनेकों व्यवस्था सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों का परीक्षण करके प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

अगर माननीय सदस्य किसी विशेष डिग्री कालेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सूचना मिलने पर वह दे दी जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा को दूसरा दर्जा देने पर विचार

**4---श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू भाषा को दूसरा दर्जा देने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ? कारण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा को दूसरा दर्जा देने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उर्दू की प्रगति तथा विकास के लिये यह सरकार हर संभव प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वालों को शिक्षा तथा प्रशासन के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं दे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उर्दू भाषा की प्रगति और विकास के लिये उर्दू अकादमी के माध्यम से भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने तथा श्री मन्जूर अहमद के अनुपस्थित होने पर)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

यह उर्दू के सिलसिले में सवाल है। प्रश्नकर्त्ता नहीं है। इसकी इजाजत दे दी जाय, सप्लीमेंटरी करने की।

श्री उपाध्यक्ष—

यह खेदजनक है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने वाले विधायक यहां पर नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिन चीनी मिलों द्वारा चालू गन्ना आपूर्ति का नकद भुगतान नहीं दिया जा रहा है, उनसे नगद भुगतान कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

वर्तमान सत्र में कार्यरत 87 चीनी मिलों में से 81 चीनी मिलों द्वारा इस सत्र में क्रय किये गये गन्ने का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया है। शेष छः चीनी मिलों से भी भुगतान शीघ्र प्रारम्भ करवाने का प्रयास जारी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन छः चीनी मिलों ने अभी गन्ना आपूर्ति का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया वह कौन-कौन हैं और उनमें भुगतान प्रारम्भ करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं उनका विवरण क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह—

जिन छः मिलों ने भुगतान का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है वह निम्न प्रकार हैं—बिलारी, बैतालपुर, देवरिया, मुडेरवा, कायमगंज और साठा। बिलारी, बैतालपुर, देवरिया—यह तीन मिलें जो हैं अभी कस्टोडियन में ली गयी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश के अनुसार। मुडेरवा रिसीवर के अधीन है, हाल में टेक ओवर की गयी है। कायमगंज और साठा—दो मिलें कोआपरेटिव की हैं। जितनी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा मिलें ली गयी हैं उनके बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी उनकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जिसमें भुगतान भी सम्मिलित है उतने रुपये की प्रदेश सरकार को मंजूरी दे ताकि दे दिया जाय।

हम आशा करते हैं कि वह रुपया जल्दी ही आ जायगा और भुगतान हो जायगा। जहां तक कायमगंज और साठा का सवाल है, ये कोआपरेटिव की मिल्स हैं। हमने उनसे पूछा है कि क्या कारण है कि गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन शासन ने हिदायत कर दी है कि जल्दी से जल्दी उस रुपये का भुगतान कर दिया जाये।

गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कार्यवाही की गयी है हमारी ओर से वह एक तो यह है कि बैंक्स-रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों से अग्रिम मूल्य दिया है उसके लिए हमने आदेश दे दिया है कि 85 प्रतिशत गन्ने के भुगतान के लिए सुनिश्चित किया जाय और जो मिल भुगतान नहीं करेंगी उसके विरुद्ध शासन विधिवत् कार्यवाही करेगा। दूसरा जो कार्य किया है वह सरकारी और सहकारी क्षेत्र में जो मिलें है, रिजर्व बैंक से बात करके, उनका ओवर ड्राफ्ट टर्म लोन में परिवर्तित कर दिया जायगा। तीसरी यह है कि सरकारी और सहकारी मिलों का जितना 1977 और 1978 का बकाया था, वह लगभग 20–21 करोड़ के होता है उसको भी हमने भिजवा दिया है और अब बकाया नहीं रह जायेगा।

चौथी बात यह है कि जो किया है उसमें परशानी पैदा हो रही है। वह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो मूल्य का भुगतान किया है, हमने उनसे बात किया है और गन्ने के मूल्य का भुगतान हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 81 मिलों में गन्ने का भुगतान हुआ है वह ऐसी कौन-सी मिलें हैं जिन्होंने समय से भुगतान प्रारम्भ नहीं किया है ? दूसरा यह है कि वह कौन-कौन सी मिलें हैं जिनका पेमेन्ट अपटुडेट नहीं है और पिछला बकाया किस तारीख से किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह विस्तार का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं इसको दुबारा पूछ लेता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जिन 81 मिलों का हवाला दिया गया है इन्होंने मार्च के महीने से भुगतान किया है और 3–4 महीने का भुगतान नहीं किया है।

श्री शिव मंगल सिंह—

यह सही नहीं है कि बिलकुल भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन यह अवश्य है कि पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो यह रहा है कि चीनी के भाव गिर गये। उनकी क्रेडिट गिर गयी और जिस कारण पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ । शासन की ओर से यह हिदायत गयी है कि भुगतान किया जाये।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल के गन्ने का क्या मूल्य दिया जा रहा है और नये गन्ने का क्या मूल्य दिया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

पश्चिमी क्षेत्र में पिछले साल के गन्ने का मूल्य 13.50 रुपये और पूर्वी क्षेत्र में 12.50 रुपये की दर से दिया जा रहा है। वर्तमान सत्र में गन्ने की कीमत केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किया है और उसी के हिसाब से प्रत्येक मिल अपना पेमेन्ट कर रही ह और जो अन्तर होगा वह सब्सीडी के रूप में दिया जायेगा।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने शुगर मिल, छाता में गन्ने से सम्बन्धित किसानों को बकाया का दे दिया है, किन्तु गन्ना समिति 13 लाख रुपया नहीं दे रही है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अभी इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है लेकिन मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि छाता मिल ही नहीं किसी मिल को भी यदि पैसा दे दिया गया है और किसानों को नहीं मिला है तो सख्त से सख्त कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जायेगी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 87 चीनी मिलों में से 81 मिलों ने भुगतान करना आरम्भ कर दिया है। तो जो भुगतान हो रहा है वह सरकार द्वारा घोषित जो मूल्य है उसका हो रहा है अथवा अगर कोई अन्तर है तो उसको सरकार कब से देगी ?

श्री शिव मंगल सिंह---

यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को वही मूल्य देंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है। जहां तक सब्सीडी का प्रश्न है वह इस सत्र के अन्त तक हम दे देंगे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

देवरिया और बैतालपुर चीनी मिलों पर जो गन्ना किसानों का बकाया है, और किसानों ने फिर गन्ना देना प्रारम्भ कर दिया है जिनका कोई दोष भी नहीं है, उनसे देयों की वसूली कुर्की द्वारा वसूली की जा रही है। तो जिन गन्ना किसानों के पास अपने गन्ना सप्लाई करने की पर्चियां हैं उनको देखकर जो बकाया उन पर वाजिब है उसको एडजैस्ट कर दिया जाय ताकि उनको कुछ राहत मिल सके ?

श्री शिव मंगल सिंह---

इस प्रकार के आदेश सभी जिलाधीशों को पहले ही भेज दिये गये हैं कि सरकारी देय का जो भी एमाउन्ट हो उसको गन्ना किसानों की जिन मिलों की पर्चियां हैं उनको ध्यान में रखा जाय ताकि उनके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही न की जाय।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

जिस प्रकार से किसान को खाद और बीज लेने पर ब्याज देना पड़ता है उसी प्रकार से काश्तकारों ने जो गन्ना मिलों को दिया और उसे पेमेंट नहीं मिला तो उस अवधि का उसी प्रकार से काश्तकारों को ब्याज दिलाने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं।

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जहां तक सम्भव होगा मैं उनकी हर सम्भव सहायता करने का प्रयास करूंगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

क्या गन्ना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी और बुढ़वल मिलों पर किसानों का कितने सालों से बकाया पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या वे तुरन्त आदेश देने की कृपा करेंगे कि किसानों का यहां पर भी भुगतान कराया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर वे दे चुके हैं कि सभी जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)---

मान्यवर, देखने में यह आता है कि जो चीनी मिलें भुगतान कर रही हैं, वे पुराने गन्ने का भुगतान कर रही हैं। तुलसीपुर में 25 लाख रुपये का भुगतान कर दिया और 70 लाख रुपये का भुगतान बाकी है। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है कि यह बकाया अगले साल न रहे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये वे कह चुके हैं।

श्री बिन्दू लाल---

नये भुगतान करने के लिये क्या प्रयास किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

नये और पुराने सभी के भुगतान के लिये उन्होंने कहा है कि आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

चीनी और गन्ने की जो समस्या हमारे प्रदेश में है, उसको देखते हुये क्या सरकार चीनी का अपने यहां बफर स्टाक बनायेगी ताकि किसानों को पैसा मिल सके ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता ।

साकेत दुग्धशाला (अयोध्या) में चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता

*2---**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---**

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में साकेत दुग्धशाला अयोध्या में चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये जनवरी, 1979 में चयन समिति ने इन्टरव्यू (साक्षात्कार) लेने के बाद 32 उम्मीदवारों को चुनकर उनकी नियुक्ति की संस्तुति प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन, लखनऊ को भेजी थी ? क्या यह भी सही है कि उनमें से एक की भी नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि ऐसे लोगों की नियुक्तियां की गयीं जिन्होंने नौकरी के लिये न तो कोई प्रार्थना-पत्र दिया था और न जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद द्वारा भेजे गये थे ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उक्त अनियमितता के लिये कौन दोषी है ?

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

जी नहीं । फेडरेशन द्वारा गठित चयन समिति ने साक्षात्कार लेने के पश्चात् 15 अभ्यर्थियों का चयन करके संस्तुति दी थी । जी नहीं । चयन समिति द्वारा चयनित 15 व्यक्तियों में से 9 की नियुक्ति की गयी और इनमें सब व्यक्ति ऐसे है, जिन्होंने या तो नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और या उनके नाम सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये थे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि साकेत दुग्धशाला में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने व्यक्ति नियुक्त होने थे जिनके बारे में चयन समिति ने साक्षात्कार लिया था और चयन समिति द्वारा चयनित जिन लोगों को नहीं लिया गया उनके रिजेक्शन के क्या कारण थे और बाकी जगहों को कैसे भरा गया ?

श्री अब्दुल हलीम खां---

फोर्थ क्लास इम्पलाइज के लिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से भी नाम मंगाये गये थे । 113 नाम वहां से आये और 53 ऐसी दरख्वास्तें थीं जो सीधी आयीं । 166 में से 15 आदमियों को सिलेक्ट किया गया । चयन समिति ने जिस तरह लोगों को नम्बर दिये उसी प्रायरिटी के मुताबिक नाम फेडरेशन को भेजे गये और उसी आधार पर 9 की नियुक्ति हो चुकी है, 6 की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या यह सही है कि डेयरीमैन सर्वश्री बहावकलाबी, रमेश कुमार, शबीउलहसन तथा अन्य कई ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जिन्होंने नौकरी के लिये न तो प्रार्थना-पत्र ही दिया न उनके नाम सेवायोजन कार्यालय से आये और वहां इनके नाम भी दर्ज नहीं हैं । यह सभी लोग फैजाबाद जिले के बाहर के रहने वाले भी हैं । जब कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का आदेश था कि सभी नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाय । यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मामलों में जांच करा के दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां---

माननीय तिवारी जी ने जो बात कही है वह मेरे इल्म में तो नहीं है कि माननीय रामनरेश यादव जी ने कोई आदेश इस तरह के जारी किये थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर

ऐसा समझता हूं कि इस तरह की संस्थाओं में वहां के लोकल आदमियों को प्रायरिटी देना चाहिये और मैं माननीय तिवारी जी की इत्तला के लिये बताना चाहता हूं कि 9 आदमी, जिनकी नियुक्ति हुई है, इनमें 6 फैजाबाद और 1 गोंडा और दो बहराइच के रहने वाले हैं। किसी भी एक आदमी की ऐसी नियुक्ति नहीं हुई कि जिसकी दरख्वास्त न हो या इन्टरव्यु न लिया गया हो। इसलिए किसी इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने तो तीन नाम दिये हैं, बहाव कलावी, रमेश कुमार, सबीउल हसन। क्या इन तीनों व्यक्तियों की दरख्वास्ते थीं ? क्या इनके नाम इम्प्लायमेंट इक्सचेंज से भेजे गये थे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

बभनान चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*3—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा), श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री त्रिवेणी सिंह (जिला गोंडा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि दि सुगर मिल प्रा0 लि0, बभनान, जिला गोण्डा ने किसानों को पिछले वर्ष का 45 लाख रुपया गन्ना मूल्य नहीं दिया तथा इस वर्ष का कुल गन्ना मूल्य बकाया है ? दिनांक 17 फरवरी, 1979 से फैक्टरी बन्द है, लगभग 8 लाख कुन्टल गन्ना खतों में खड़ा है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 5 मार्च, 1979 को स्थानीय विधायकों ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री तथा गन्ना सचिव को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या फैक्टरी को चलाने के लिये सरकार फैक्टरी को अपने हाथ में ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बभनान चीनी मिल पर वर्ष 1977–78 के गन्ना मूल्य का 41.88 लाख रुपया भुगतान हेतु अवशेष है। सत्र 1978–79 का कुल देय गन्ना मूल्य 15–2–79 तक 29.49 लाख रु0 हुआ जिसमें से 5.54 लाख रुपया भुगतान किया गया और 23.95 लाख रुपये अवशष है। यह मिल 17–2–79 से श्रमिकों के हड़ताल के कारण बंद रही। इस सम्बन्ध में स्थानीय विधायकों ने एक पत्र दिनांक 5–3–79 को दिया था। भारत सरकार ने इस मिल को अपने नियंत्रण में दिनांक 13–3–79 से ले लिया है।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बभनान मिल इस सेशन में चलाई जायेगी ? यदि हाँ, तो कब से और जो बभनान मिल के क्षेत्र में गन्ना पेरने को बाकी हैं, क्या वह मिल उसे पेरने में सक्षम हो जायगी ? यदि नहीं, तो उसको बेचने के लिये क्या व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह मिल निश्चित रूप से चलेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हम इस का कैलकुलेशन करा रहे हैं कि जितना गन्ना उनके पास बाकी है, उसको पेर पायेंगे। यदि नहीं पेर पायेंगे, तो हम उसके आसपास की मिल को डाईवर्जन करा देंगे।

श्री दशरथ सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बभनान मिल चलाई जायगी, हमको जैसी विशेष सूचना है, बभनान मिल के प्रबन्धक से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने शासन का एक पत्र भी दिखाया कि बभनान मिल का गन्ना दूसरी मिल को ट्रांसफर कर दिया गया। यह पत्र मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। मान्यवर, यदि ऐसी स्थिति है तो कैसे मिल चलाई जायगी और अगर वह मिल नहीं चलाई जायगी, तो उसको लेने का औचित्य क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, वह प्राइवेट मालिक की मिल है, जब तरह-तरह की शिकायतें शासन को प्राप्त होने लगी, तब उनसे इसके बारे में पूछा गया कि क्यों आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो इसी बीच में वह उच्च न्यायालय में चले गये और वहाँ से कुछ स्थगन आदेश भी ले आये। उस समय मिल की कुछ ऐसी स्थिति हो गयी थी कि न तो गन्ने का भुगतान दिया जा रहा था और न श्रमिकों को ही उनके वेतन दिये जा रहे थे, इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो गयी थी। शासन ने इस बात की व्यवस्था करा दी थी कि जो उस मिल का गन्ना है, उसको आसपास की मिलों को डाईवर्जन का आदेश दे रखा था, जब यह केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिग्रहीत हो गयी है और शासन द्वारा चलाने की बात आई है और जो गन्ना डाईवर्जन से बच गया है, तो उसको हम इस मिल से पेरायेंगे।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय गन्ना मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गन्ना दूसरी मिलों को ट्रांसफर करने की बात कही है, क्या इसके लिए किसी विशेषज्ञ को बैठाल कर गन्ने को ट्रांसफर करायेंगे? मान्यवर, अभी तक उस क्षेत्र का गन्ना न कभी कहीं अन्य मिल को गया है और न जाने की सम्भावना है। क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितना गन्ना आप बमनान फैक्ट्री के लिये रख रहे हैं और कितना बाहर भेज रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पहला तो आक्षेप है और दूसरी व्यवस्था की बात है। यह तो वहाँ जा कर तय करेंगे।

श्री हरि केवल प्रसाद—

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की अधिकाँश चीनी मिलों के सामने बड़ी समस्यायें खड़ी हैं। जो मंत्री जी का कैलेण्डर था उसके हिसाब से गन्ना समाप्त हो रहा है लेकिन किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो गन्ना किसानों का खेत में खड़ा है उसके पेरे जाने की व्यवस्था हो सके?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जब हमारा कैलेण्डर समाप्त हो जायेगा तो हम शीघ्र ही इसी मास के अन्दर एक एडीशनल नीति भी घोषित करने वाले हैं जिससे जो बचा हुआ गन्ना है उसको भी समाप्त किया जा सके।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय की बन्दी

*4—श्री रवीन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (नैनीताल) विगत कई माह से बन्द है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है और सरकार नें विश्वविद्यालय में पठन-पाठन शुरू कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किया और कब तक पढ़ाई शुरू होने की सम्भावना है?

श्री शिव मंगल सिंह—

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय नवम्बर 30, 1978 के अपराह्न से अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया। 30–11–78 को छात्रों के दो दलों में आपस में झगड़ा हो गया और छात्र हिंसा पर उतारू हो गये थे। हिंसात्माक घटनाओं के कारण विश्वविद्यालय की शाँति भंग हो गई थी और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। उसी दिन की हिंसात्मक घटनाओं के फलस्वरूप डा0 राजवीर सिंह, सहायक प्रा0 पशु विज्ञान, कृषि महाविद्यालय, डा0 के0 जी0 गोलाकोटा, डीन, बेसिक साइन्स एण्ड ह्यूमेनटीज, डा0 एस0के0 शर्मा, प्राध्यापक, गणित विभाग

कालेज आफ बेसिक साइन्स को गम्भीर चोटें आई व डा0 वी0 पी0 घिल्डियाल, डीन, कृषि महाविद्यालय के कमरे में तोड़-फोड़ की गई, कुछ फाइलें भी जलायी गयी व टेलीफोन भी तोड़ दिया गया। भीड़ ने कृषि महाविद्यालय के सामने खड़े 4 स्कूटरों व एक मोटर साइकिल तथा कालेज आफ बेसिक साइन्स के सामने खड़े 3 स्कूटरों में आग लगा दी।

विश्वविद्यालय पुन: खोलने के विषय में विद्युत् परिषद् (Academic Council) की 127 वीं बैठक जो दिनाँक 9–3–79 को सम्पन्न हुयी में निर्णय किया जा चुका है, जो इस प्रकार है:—

(1) उन सभी स्नातकोत्तर छात्रों को जिन्होंने तीन त्रैमास पूरे कर लिये हैं तथा उन सभी छात्रों को जिन्होंने तृतीय त्रैमास 1977–78 की परीक्षाओं के मेकअप में बैठना है, के लिये विश्वविद्यालय 26–3–79 को खुलेगा।

(2) अन्य सभी छात्रों के लिये विश्वविद्यालय 16–4–79 को खुलेगा।

(3) गृह विज्ञान महाविद्यालय की छात्राओं के लिये 18–4–79 को विश्वविद्यालय खुलेगा।

कृषि विभाग के अन्तर्गत सांख्यकीय अनुभाग में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी तथा अनुसूचित जाति का कोटा

*5—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत साँख्यकीय अनुभाग में श्रेणी दो में कितने व्यक्ति काम करते हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति शासनादेशों के अनुसार समय पर की गयी है ? यदि हाँ, तो कब और किसकी पदोन्नति की गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विभाग के अन्तर्गत साँख्यकीय अनुभाग में श्रेणी-2 में 25 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से दो अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कोटा पूरा है।

अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या 15/5–1973 रा0 एकी0, दिनाँक 20–3–74 द्वारा की गयी थी। इस तिथि के बाद साँख्यकीय अनुभाग में श्रेणी–2 में अब तक 13 अधिकारी पदोन्नत किये जा चुके हैं। इन पदोन्नत अधिकारियों में दो अधिकारी सर्वश्री रनवीर सिंह एवं राम चरन प्रसाद अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं। इनकी पदोन्नति शासनादेश दिनाँक 24–10–75 द्वारा की गयी थी।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, बड़ी तेज गाड़ी है आज। पूरी एक्सप्रेस की तरह।

श्री उपाध्यक्ष—

हाँ, आज चारों लोग अनुपस्थित हैं।

श्री बिहारी लाल हंस—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो यहाँ बताया गया है कि 25 अधिकारी काम कर रहे हैं, 18 प्रतिशत कोटा के हिसाब से वहाँ साढ़े चार या पाँच आदमी बनते हैं और आरक्षण की बात कही गयी है कि कोटा पूरा है, तो क्या यह गलत बयानी नहीं है और अगर है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह गलत बयानी नहीं है। 25 अधिकारी काम कर रहे हैं। उनमें 12 का प्रोमोशन जब हुआ था उस वक्त यह प्रोमोशन में आरक्षण के कोई आदेश नहीं हुए थे। प्रोमोशन के अन्तर्गत जो आरक्षण की बात है और 20-3-74 को हुआ और उसके बाद 13 प्रोमोशन किये गये हैं।

श्री बिहारी लाल हंस—

माननीय मंत्री जी के उत्तर में पहले कहा गया है कि 25 अधिकारी कार्यरत हैं। कार्यरत अधिकारियों में 18 प्रतिशत कोटा होना चाहिए और यह बात भी कही गयी है। 2 अधिकारी अनुसूचित जाति के बताये गये हैं। तो 25 अधिकारियों में 18 प्रतिशत के हिसाब से कितने का कोटा बनता है, यह आप हमें बता दें ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, निवेदन किया गया है कि 25 में से 12 का प्रोमोशन पहले ही हो चुका था उस समय यह आरक्षण का आदेश नहीं था जब बाद में 13 का प्रोमोशन हुआ, उस समय 1974 में यह आदेश हो गये थे। 13 जो बाद में हुये उसमें से जो आरक्षण होता है, 2 का होता है, वह पूरा है। 12 और 13 मिलाकर 25 होते हैं। 25 कार्यरत आदमियों के बारे में जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल सही है।

जनपद जौनपुर में पंचायत सेवकों की परीक्षा में गड़बड़ी

*6—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जौनपुर जनपद में पंचायत सेवकों की परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू न होने के कारण परीक्षार्थियों ने परीक्षा भवन में दिनाँक 8 मार्च 1979 को आग लगा दी ? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

दिनाँक 5-3-79 (8-3-79 को नहीं) को परीक्षास्थल पर उपस्थित अभ्यर्थियों में कुछ लोग ऐसे थे, जिनका नाम परीक्षार्थियों की सूची में नहीं था उन लोगों की वजह से परीक्षा स्थल पर हुड़दंग मच गया, जिसमें कतिपय अवाँछनीय तत्व भी शामिल हो गये, फलस्वरूप परीक्षा समय से प्रारम्भ न हो सकी और शामियाने के खम्भे में आग लगा दी गयी, जो तुरन्त बुझा दी गयी। आग से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुयी, परन्तु परीक्षा स्थगित करनी पड़ी।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारे माध्यम से पूछें।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उत्तर में है कि परीक्षा स्थल पर उपस्थित अभ्यर्थियों में कुछ लोग ऐसे थे, जिनका नाम परीक्षार्थियों की सूची में नहीं था तो कैसे यह लोग पहुंच गये और हुल्लड़ करने लगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जानकारी से पता चला कि कुछ लोगों के नाम नहीं थे। इसके बारे में कार्यवाही हो रही है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने आग लगाई उसमें से कितने पकड़े गये ? कितने लोगों के संबंध में विवेचना हो रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

अभी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं ह ।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह सूचना कैसे नहीं है कि बाहर के कितने लोग पहुंचे ? इस संबंध में वाकयात क्या हैं, यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना नहीं है, यह तो बता दिया है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा भवन में आग लगने से कितने धन की हानि हुयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया है कि कोई क्षति नहीं हुयी ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर जिले में पंचायत सेवकों की 30–35 जगहों से अधिक जगहें नहीं ह । जिनके लिये 8–10 हजार आवेदन-पत्र आते हैं । तो जब ऐसा होगा तो जौनपुर की तरह घटनायें घटेंगी । तो मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि जो यह पद्धति है उसको समाप्त करके कोई सुगम पद्धति निकालें जिससे न्याय पूर्वक पंचायत सेवकों का चयन किया जा सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है । यह बहुत व्यापक प्रश्न है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बी0 डी0 ओ0, नबावगंज व जिला विकास अधिकारी का निलम्बन तथा आरोपों की जांच

*1—श्री देवकी नन्दन (जिला उन्नाव), श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर), श्री चन्द्रभूषण सिंह (जिला उन्नाव), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के विधायक माननीय हेमराज की शिकायत पर दिनाँक 4 दिसम्बर को नबावगंज ब्लाक में सम्पर्क मार्गों की जाँच कराने क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री गये थे और मौके पर गड़बडी पाई थी तथा उन्होंने जाँच रिपोर्ट के साथ यह संस्तुति भेजी थी कि बी0 डी0 ओ0, नवाबगंज व जिला विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाय तथा प्राइमा फेसी केस सुनिश्चित होने के आधार पर पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर मुकदमा चलाया जाय ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि 12 कि0 मी0 मार्ग पर मिट्टी के कार्य हेतु प्राप्त 1 लाख रुपये का गेहूं नवाबगंज में बेच दिया गया ? यदि हाँ, तो अभी तक गम्भीर आरोप स्पष्ट होने के बाद भी कार्यवाही न किए जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ । तत्कालीन उप मंत्री क्षेत्रीय विकास श्री बाबू लाल वर्मा दिनाँक 4 दिसम्बर, 1978 को नवाबगंज ब्लाक में निरीक्षण करने गये थे और विवेक से यह अनुमान लगाया था कि भुगतान की गई मजदूरी के विरुद्ध सड़क पर मिटटी के कार्य की मात्रा कम है। उन्होंने निरीक्षण

रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज तथा जिला विकास अधिकारी को निलम्बित कर प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई जाये।

2—इस सम्बन्ध में शिकायत पहले भी प्राप्त हुई थी अतः मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को 9 अक्तूबर, 1978 को इसकी जाँच हेतु आदेश दिये गये थे। मुख्य अभियन्ता से इस विषय पर प्राप्त प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रु0 13,799.40 के मिट्टी के कार्य के विरुद्ध रु0 36,831 के मस्टर रोल तैयार कराये गये। इस प्रकार मस्टर रोल की लागत वास्तविक कार्य के मूल्य से रु023031.60 अधिक दर्शायी गयी है। इन अभियन्ताओं के सम्बन्ध में बी0 डी0 ओ0, ब्लाक आर्गनाइजर (पी0 वी0 डी0), ए0 डी0 ओ0 (आर0 ई0 एस0) को निलम्बित कर दिया गया है और जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

3—जहाँ तक 1 लाख रु0 मूल्य का गेहूं नबाबगंज में बेच दिये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव ने दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। जिलाधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य मंत्री जी को लिखा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करग कि संदर्भित शिकायत पहली बार कब मिली और जाँच करने के लिये पहली बार कौन अधिकारी कब गय तथा निलम्बन आदश कब जारी किये गये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, पहली शिकायत 9–10–78 को मिली। इस पर 10–10–78 को मुख्य अभियन्ता को भेजा गया कि जाँच करें और मुख्य अभियन्ता, कानपुर रीजन ने उन्नाव क एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जाँच करायी, जाँच चलती रही और इसी बीच उप मंत्री क्षेत्रीय विकास वहाँ दिसम्बर में गये। जाँच के बाद जो रिपोर्ट आयी उसमें वहाँ के अधिकारियों द्वारा जब जाँच में ढिलाई की गयी तो फिर कार्यवाही हुई और निलम्बन के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि 9 अक्तूबर को जब शिकायत मिल गयी तो आदेश के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने कोई जाँच नहीं किया। दिसम्बर में जब उप मंत्री वहाँ गये तो उन्होंने पुनः आख्या प्रस्तुत की तब जाँच की गयी।

इसलिए जब उप मंत्री न शिकायत किया कि पुलिस को केस दे दिया जाय तो पुलिस को केस न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने बतलाया कि जाँच के आदेश तभी दे दिये गये थे लेकिन जाँच चल रही थी उसी दौरान क्षेत्रीय विकास मंत्री वहाँ पहुंचे और जाँच के बाद 3 अधिकारी जो दोषी पाये गये उनको निलम्बित किया गया और जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया तथा जिलाधिकारी, उन्नाव के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु मुख्य मंत्री को लिखा है।

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नबाव गंज में जो एक लाख रुपये का गेहूं बेच दिया गया और जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों को बचाने की रिपोर्ट मंत्री जी को भेजा। इसलिये जिलाधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश मुख्य मंत्री को कब की गयी और उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने बतला दिया है कि दोषी अधिकारियों के बारे में मुख्य मंत्री को लिखा गया है और सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री राज नाथ सिंह—

जिलाधिकारी, उन्नाव के खिलाफ मुख्य मंत्री को कार्यवाही करने के लिये कब सिफारिश भेजा था ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के अन्त में कहा है कि जिलाधिकारी के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो महीने सरकार को इस प्रश्न के गये, हो गये, तो इसके बारे में सही स्थिति क्या है और इसके लिये प्रयास किये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब आ चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि जिस प्रकार इनकम टैक्स की चोरी का पता देने वाले को कुछ प्रतिशत इनाम में दिया जाता है तो क्या इसमें माननीय बाबू लाल वर्मा, जिन्होंने चोरी का पता लगाया है, उनको भी कुछ प्रतिशत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उससे नहीं उठता—यह तो वैसे ही प्रकाश में मामला आ गया। वह मुअत्तल हो गया और कार्यवाही हो गयी, इतना ही काफी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य मंत्री जी को लिख दिया है। मान्यवर, मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी को उन्होंने कब लिखा और मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की इस मामले में, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आ चुका है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, उन्होंने मुख्य मंत्री को कब लिखा और विभाग ने क्या पत्र लिखा और मुख्य मंत्री जी से जानकारी प्राप्त कब हुयी और उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि वहाँ के जिलाधिकारी इस मामले में दोषी हैं और इस कारण उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री जी दुबारा मुख्य मंत्री जी को स्मरणपत्र इस सम्बन्ध में देंगे और क्या इस बात की जानकारी मुख्य मंत्री जी से करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की और नहीं की तो उसका क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने तो मुख्य मंत्री जी को लिख दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यवाही होगी और मुझे रिमाइन्डर देने की आवश्यकता नहीं होगी।

तिलहर मार्केटिंग सोसायटी में घोटाला सम्बन्धी शिकायतों की जांच

*2—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहाँपुर जिले की तिलहर मार्केटिंग सोसायटी में दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 को एक लाख रुपये से अधिक का उर्वरक घोटाला पकड़ा गया जिसके लिए मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कुछ उनके साथी उत्तरदायी पाए गए हैं? क्या इस घोटाले की नामजद रिपोर्ट तहसीलदार, तिलहर द्वारा अध्यक्ष व अन्य लोगों के विरुद्ध दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 को थाना तिलहर में दर्ज कराई गयी? क्या यह भी सही है कि इस घोटाले की विस्तृत जानकारी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान डाइरेक्टर मार्केटिंग सोसाइटी, तिलहर द्वारा जनवरी, 1979 में रजिस्टर्ड पत्रों से मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मन्त्री एवं सहकारिता मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गयी? यदि हाँ, तो वे क्या-क्या शिकायतें हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

दिनाँक 26-12-78 को तहसीलदार, तिलहर ने श्री चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष, श्री कप्तान सिंह एवं श्री रंजीत सिंह सेल्समैन के विरुद्ध उर्वरक में मिलावट सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना तिलहर में दर्ज कराई। प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य शिकायतें श्री चन्द्रपाल सिंह अध्यक्ष, समिति के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग, समिति के मकान में बगैर किराया दिए रहने, समिति को नुकसान पहुंचाने व खाद में मिलावट के सम्बन्ध में थी। उक्त शिकायतों की जाँच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी द्वारा करायी गयी। श्री रंजीत सिंह सेल्समैन की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जाँच श्री चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयी हैं और संम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, श्री चन्द्रपाल सिंह के सम्बन्ध में जहां तक खाद में मिलावट का सम्बन्ध है, उसमें जांच चल रही है और थाने में रिपोर्ट भी हो चुका है और संचालक मंडल द्वारा उनके अधिकार भी छीन लिये गये है और इसके अतिरिक्त जो भी अनियमितताएं थीं कि बगैर किराये के सोसाइटी के मकान में रह रहे हैं, तो उस सम्बन्ध में धारा 68 की जाँच चल रही है। इस जाँच के अलावा अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सेल्समैन की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं, लेकिन एक लाख रुपये के खाद के घोटाले के मामले में अध्यक्ष तथा सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, घोटाले का कोई मामला नहीं है। केवल मिलावट का मामला है, उसकी जाँच हो रही है।

नबावगंज से कुईघर मार्ग के निर्माण में अनियमितता

*3—श्री हेमराज (जिला उन्नाव)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा नबावगंज के कुईघर मार्ग पर मिट्टी का कार्य वर्ष 1978 में कराया गया? यदि हाँ, तो कितने रुपए खर्च हुए और कितना कार्य हुआ? कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 4 नवम्बर, 1978 ई0 को मुख्य मंत्री जी को इसी सम्बन्ध में आरोप-पत्र दिया था? यदि हाँ, तो क्या जाँच करायी गयी? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है?

श्री जमुना प्रसाद—

नबावगंज में कुईधर जाने वाले पूरे मार्ग की लम्बाई में 2.430 कि0 मी0 लम्बी कच्ची सड़क का निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत खंड विकास अधिकारी, नबावगंज के माध्यम से वर्ष 1978 में कराया गया था। जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार इस सड़क पर 33,546 रुपये की धनराशि गेहूं के रूप में व्यय की गई। उपरोक्त सड़क पर 13437.98 घन मीटर मिट्टी का कार्य किया जाना पैमाइश की पुस्तकों में दर्शाया गया है।

आरोप-पत्र दिनाँक 4 जनवरी, 1978 का न होकर दिनाँक 4 नवम्बर, 1978 का है जिस पर जाँच की जा रही है। आरोप-पत्र 12 मार्च, 1978 को प्राप्त हुआ है। इसमें पहिले भी इस कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिस पर मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जाँच कराई गई। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 13799.40 रुपये के मिट्टी के कार्य के विरुद्ध 36831 रुपये के मस्टर रोल तैयार कराये गये। इस प्रकार मस्टर रोल की वास्तविक कार्य लागत के मूल्य से 23031.60 अधिक दर्शाई गई है। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में संबंधित बी0 डी0 ओ0, वी0 ओ0 (पी0 वी0 डी0) तथा सहायक विकास अधिकारी (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) को निलम्बित कर दिया गया है तथा जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह—

उपाध्यक्ष जी, प्रश्न सं0 2 और 4 एक ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें थोड़ा अन्तर है।

(प्रश्न संख्या 4 के लिये श्री शिव प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर तथा हेमराज लोधी के खड़े होने और कुछ कहने पर) मैं आपको इजाजत नहीं देता। पहले ही काफी अनुपूरक हो चुके हैं। आप कृपा कर बैठें।

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। प्रश्नों के बीच कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री लक्खी सिंह—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 4 को मैंने निरस्त कर दिया क्योंकि पहले यह आ चुका है, पुनरावृत्ति हुई है।

नोट—[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हेमराज---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है, मुझे तो प्रश्न करने दीजिये। ग्रामीण अभियंत्रण को निलम्बित कर दिया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर सरकार को भेज दीजिये। अगर आप समझते हैं कि सरकार की सूचना सही नहीं है तो सरकार को लिखकर भेज दीजिये।

सोमवार, 26 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

यू0 पी0 एग्रो के सेवा केन्द्रों से प्राइवेट फर्मों के बेचे गये ट्रैक्टर के पुर्जे

*1---श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि यू0 पी0 एग्रो के हापुड़, लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर कृषि सेवा केन्द्र से लाखों रुपये के ट्रैक्टरों के पुर्जे दिल्ली की बड़ी-बड़ी पार्टियों को सन् 1972 से 1977 के बीच में बराबर बेचे गये हैं, जिसकी वजह से किसानों को उन पार्टियों से दुगुने तिगुने दामों पर पुर्जे खरीदने पड़े हैं ? यदि हाँ, तो उन कृषि सेवा कन्द्रों के इन्चार्ज के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

यू0 पी0 एग्रो के हापुड़, लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर कृषिसेवा केन्द्रों पर वर्ष 1972-73 व 1975-76 के मध्य दिल्ली की प्रोइवेट फर्मों को ट्रैक्टर का कोई पुर्जा नहीं बेचा गया। वर्ष 1975-76 में भारत सरकार से जीटर ट्रैक्टर के पुर्जों को खुले बाजार में बेचने की अनुमति प्राप्त होने पर उक्त केन्द्रों पर दिल्ली की प्राइवेट फर्मों को वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के मध्य कुल 98,894.01 रुपये के ट्रैक्टर के पुर्जे बेचे गये। इसमें से 7,176.16 रुपये मूल्य के रुमानियन ट्रैक्टर के पुर्जे थे जिनके बेचने के सम्बन्ध में यू0 पी0 एग्रो द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है कि 1975-76 में भारत सरकार से जीटर ट्रैक्टर के पुर्जों को खले बाजार में बेचने की अनुमति प्राप्त होने पर उक्त केन्द्रों पर दिल्ली की प्राइवेट फर्मों को वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के मध्य कुल 98,894 रुपये के ट्रैक्टर के पुर्जे बेचे गये। मान्यवर, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह अनुमति दी गई है। यह अनुमति किसने दी और किसके प्रस्ताव पर दी बेचने के लिये। क्योंकि इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्राइवेट फर्मों ने इन पुर्जों को खरीद करके बाजार में किसानों से दुगुनी और तिगुनी कीमतें वसूल कीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी अनुमति किसने दी, प्रस्ताव किसका था और किस प्रकार यह सिलसिला प्रारम्भ हुआ ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यलर, पूर्जे बेचने की इजाजत केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा हुई थी। केन्द्रीय सरकार ने यह भी निर्धारित किया था कि यह पुर्जे बेचे जायें लेकिन उतने पुर्जे, जितने की आवश्यकता हमको अपने देश में किसानों के लिए होगी। भारत सरकार के आदेश द्वारा यह हुआ है और उसी आधार पर यह बिक्री हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री श्यामधर मिश्र—
आज बहुत जल्दी की जा रही है, क्या बात है ? आप कोई प्रश्न ही नहीं करने दे रहे हैं।

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—
[4 थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खांडसारी उद्योगों को टैक्सों से मुक्त करने पर विचार

*3—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—
क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खाण्डसारी उद्योगों पर केन्द्रीय शुल्क, गन्ना क्रय-कर, गन्ना विकास कमीशन तथा कृषि उत्पादन मन्डी टैक्स देना पड़ता है ? क्या यह सही नहीं है कि जो टैक्स प्रदेश में खांडसारी उद्योगों पर है उनसे गन्ना मिलें मुक्त हैं ? यदि हाँ, तो प्रदेश के खांडसारी उद्योग के संकट को देखते हुये सरकार उपरोक्त टैक्सों से मुक्त कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या यह भी सही है कि प्रदेश के गन्ना मिल मालिको ने संगठित रूप से इस वर्ष गन्ना मिलें न चलाने का निर्णय अभी हाल में लिया है ? यदि हाँ, तो गन्ना मिलें न संचालित करने का आधार क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—
जी हाँ ।

केवल कृषि उत्पादन मंडी शुल्क को छोड़ कर गन्ना मिलों को वह सभी टैक्स देने पड़ते हैं, जो कि खांडसारी इकाइयों पर प्रश्न के अन्तर्गत देय बताया गया है ।

खाण्डसारी उद्योग के हित में शासन ने 26–12–78 से नान सल्फर इकाइयों की रिकवरी कम होने के कारण दिनाँक 26–12–78 से नान सल्फर इकाइयों को क्रयकर में पूर्ण छूट दे दी है । भारत सरकार ने खाण्डसारी इकाइयों को 1–1–79 से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में पूर्ण छूट दे दी है । इसके फलस्वरूप राज्य सरकार का 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय हो जाता है । खाण्डसारी इकाइयों को इस बिक्री-कर से छूट देने के मामले पर शासन विचार कर रहा है । अन्य किसी प्रकार के टैक्स से खाण्डसारी इकाइयों को मुक्त करने का इस समय शासन का कोई विचार नहीं है ।

वर्तमान सत्र 1978–79 में उत्तर प्रदेश में स्थित सभी 87 चीनी मिलों ने गन्ने की पिराई का समारंभ किया जिनमें से तीन चीनी मिलें–औराई, नन्दगंज और सठियाँव क्षेत्र की पूर्ति हेतु उपलब्ध गन्ना पेरकर पेराई समाप्त भी कर चुकी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् कर्मचारी संघ द्वारा सेवा नियमावली की मांग

*4—श्री रणवीर सिंह—
क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 29 अक्तूबर, 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद कर्मचारी संघ द्वारा उन्हें माँग-पत्र दिया गया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है ? क्या उसमें सेवा नियमावली के प्रकाशन की भी माँग थी ? यदि हाँ, तो अभी तक यह कार्य किन परिस्थितियों में सम्भव नहीं हुआ ? केन्द्रीय सेवा नियमावली का सरकार कब तक प्रकाशित करने का विचार करती है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। माँग पत्र में उल्लिखित कुछ माँगों पर मंडी परिषद् द्वारा विचार किया जा चुका है तथा शेष पर विचार किया जा रहा है। माँग पत्र में सेवा नियमावली बनाने की भी माँग थी। मंडी परिषद् के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही मंडी परिषद् द्वारा की जा रही है। जहाँ तक मंडी समिति के कर्मचारियों की केन्द्रीय सेवा नियमावली बनाने का प्रश्न है, अभी तक केन्द्रीय सेवा नियमावली बनाने का कोई निर्णय मंडी परिषद् द्वारा नहीं लिया गया है। अतः केन्द्रीय सेवा नियमावली के प्रकाशन का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ में घाटा

*5—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ की हालत बड़ी गंभीर हो गयी है और इसमें लगातार घाटा आ रहा है? यद्यपि आजकल यह संघ सरकारी प्रशासनिक कब्जे में है? यदि हां, तो इस दुग्ध संघ को सुधारने के लिए और बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां, लखनऊ दुग्ध संघ को वर्ष 1976–77 से लगातार घाटा हो रहा है। कुप्रबन्ध के कारण सहकारी समिति अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत दिनांक 17–1–1979 को संघ की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करते हुए प्रशासक की नियुक्ति की गयी है।

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के पुनर्गठन की योजना बना कर प्रशासक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता भी दी जा रही है। प्रशासक ने संघ की प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित किया है, जिसके फलस्वरूप संघ की आर्थिक स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है।

दी पारवी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डेल पंडरवा, जिला हरदोई की फर्मों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान

*6—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरदोई के ब्लाक पिहानी के अन्तर्गत लगे क्रेशर (सल्फर प्लान्ट) दी पारवी इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डेल पंडरवा, जिला हरदोई तथा अन्य इसी प्रकार की फर्मों पर किसानों को गन्ना मूल्य 2 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से भुगतान किया जाता है जबकि सरकारी निर्धारित मूल्य 6 रुपये है? उक्त सम्बन्ध में क्या सरकार अविलम्ब उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री शिव मंगल सिंह—

दि पारवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डेल पंडरवा, जनपद हरदोई की खाण्डसारी इकाई में सहायक चीनी आयुक्त, लखनऊ द्वारा 1–3–79 निरीक्षण के दौरान कुछ कृषकों के बयान कि उन्हें तीन रुपया प्रति क्विन्टल की दर से गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है के आधार पर इकाई के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई के न्यायालय में अभियोग दायर कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पिहानी क्षेत्र में श्री प्रदीप कुमार, ग्राम जहानी खेड़ा, पोस्ट–मनिकापुर, जनपद–हरदोई तथा श्री लक्ष्मी नरायन गुप्ता, ग्राम–जाजूपारा, पोस्ट–सहादतनगर, जनपद–हरदोई की खाण्डसारी इकाइयां हैं। इन दोनों इकाईयों में इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है।

*7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

*8-20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

*21-22—श्री राम आसरे वर्मा—
[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*23—श्री रियासत हुसैन—
(19-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित)

इन्फैन्ट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर (मुरादाबाद) के मिल्क पाउडर में खराबी

*24—श्री रियासत हुसैन—
क्या पशुधन मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनफैन्ट मिल्क पाउडर, फूड फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद में 80 हजार रुपयों का मिल्क पाउडर, बरसात 1978 से पहले बनाया गया था और सिर्फ इसलिये डिब्बों में पैक नहीं किया गया था कि आधे किलो के डिब्बे उपलब्ध नहीं थे, खराब हो गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अब्दुल हलीम खां—
जी नहीं।

स्कूटरों के आवंटन में अनियमिततायें

*25—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1977 में प्रदेश में स्कूटरों के एलाटमेन्ट में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 13 फरवरी, 1978 का शिकायती-पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और क्या दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—
जी हां। मामले की जांच करने पर स्कूटरों के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*26—श्री मित्रसेन—
[19-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित]

क्रय केन्द्रों पर क्रय किए गए गन्ने का मूल्य तथा प्रतापपुर शुगर फैक्टरी में कार्टेज कटौती का आधार

*27—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—
क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि सरकार की तरफ से चीनी मिलों कार्टेज को 35 पैसा से लेकर 50 पैसा तक काटने का आदेश है? यदि हां, तो इस निर्धारित रेट से अधिक कार्टेज काटने वाले चीनी मिलों के खिलाफ शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—
भारत सरकार द्वारा पारित शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 में चीनी मिलों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना मूल्य अथवा अनुबंधित गन्ना मूल्य में से क्रय केन्द्रों पर क्रय किए गए गन्ने के मूल्य में से 32 पैसे प्रति कुन्टल की कटौती किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान सीजन में उक्त प्राविधान का उल्लंघन करके कटौती किये जाने का कोई मामला दृष्टिगत होगा तो संबंधित चीनी मिल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*28—श्री राजमंगल तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि देवरिया जनपद में प्रतापपुर शुगर फैक्टरी में 1975–76 व 1976–77 तथा 1977–78 में 50 पैसे से लेकर 75 पैसे तक कार्टेज किसानों से काटा गया और इस प्रकार, गन्ना किसानों का लाखों रुपया चीनी मिल द्वारा ले लिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार कटा हुआ रुपया किसानों को लौटायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

देवरिया जिले की प्रतापपुर चीनी मिल ने पिछले वर्षों में क्रय केन्द्रों पर गन्ना मूल्य 50 पैसे से लेकर 75 पैसे तक कम करके इस आधार पर दिया कि ये कटौती न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर अथवा अनुबंधित गन्ना मूल्य से नहीं की गई, अतः इस कटे हुये धनराशि को वापस दिलाना सम्भव नहीं है ।

पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों की मांग

*29—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने फरवरी सन् 1979 के तीसरे सप्ताह में हड़ताल की और अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल भी प्रारम्भ की ? यदि हां, तो इन कृषि वैज्ञानिकों की मांगें क्या हैं और सरकार उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/अनुसंधान सहायक गत 12 फरवरी, 1979 से हड़ताल पर हैं और 17 फरवरी, 1979 से क्रमिक भूख हड़ताल पर है । उन्होंने 24 मार्च, 1979 से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने की नोटिस विश्वविद्यालय को दी है । इस समय उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:—

(1) उन्हें 'शिक्षक' घोषित किया जाय ।

(2) यू0 जी0 सी0 का वेतनमान दिया जाय ।

(3) जो वरिष्ठ अनुसंधान सहायक/अनुसंधान सहायक दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं या तदर्थ नियुक्ति पर है, उनके लिए पदोन्नति के नियम बनाये जायें ।

(4) जिन दैनिक वेतनभोगी वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों/अनुसंधान सहायकों की सेवायें समाप्त कर दी गई है या जिनके लिए शिक्षा की सुविधायें खत्म कर दी गई हैं, उस आदेश को वापस लिया जाय।

इन मांगों पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है । विश्वविद्यालय के प्रबंधक परिषद् द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रही है ।

*30–31—श्री रियासत हुसैन—

[19–3–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 26–27 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

मसौधा चीनी मिल (फैजाबाद) पर बकाया गन्ना मूल्य

1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम सोमवार (28–8–78) के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर जुलाई, 1978 तक किसानों के गन्ने के मूल्य की सम्पूर्ण बकाया धनराशि किसानों को दिलायी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

31 जुलाई, 1978 को सत्र 1977-78 का 2.10 लाख रुपया बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि में से अब 0.78 लाख रुपया समिति के पास भुगतान हेतु शेष है। अवशेष का भुगतान किसानों को किया जा रहा है।

सहकारी गन्ना समिति, फैजाबाद में पायी गयी अनियमिततायें व उनकी जांच

2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

द्वितीय सत्र 1978 के दूसरे सोमवार (28-8-78) के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, फैजाबाद में पाई गई गबन व अनियमितता की गम्भीर शिकायतों को ध्यान में रखते हुये सारे मामले की जाँच के लिए एक हाई पावर कमेटी नियुक्त करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त समिति के आधे कागजात सी0 आई0 डी0 के पास हैं और आधे कागजात गन्ना विभाग के पास जिससे सही जाँच में बाधा पड़ रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सहकारी गन्ना समिति, फैजाबाद के आडिट में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों का विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जा चुकी है। प्रश्नगत समिति के कुछ कागजात सी0 आई0 डी0 के पास है और इनमें से आवश्यक कागजात की प्रतियाँ वरिष्ठ अधिकारियों की गठित समिति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

फैजाबाद तथा मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति की फाइनल बैलेंस-शीट में अनियमितता एवं गबन की शिकायतें तथा दोषी व्यक्तियों की एक उच्च अधिकार सम्पन्न समिति द्वारा जांच

3-- श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रथम सत्र 1978 के छठे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 व 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सभी मामलों में जाँच और दोषी लोगों को दन्डित करने की कार्यवाही तथा धन की वापसी और वसूली की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और इसमें विलम्ब के लिये कौन दोषी है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

संबंधित सभी मामलों के संबंध में दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों का विशिष्ट उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गयी है। उस समिति को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शीघ्रतम पूरा करने को निर्देशित किया गया है।

4--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले की पूरी एवं निष्पक्ष जाँच हेतु एक उच्च अधिकार सम्पन्न समिति (हाई पावर कमेटी) नियुक्त करके सभी दोषी लोगों को दन्डित करने और बकाया धन की कठोरता से वसूली करने के लिये अविलम्ब आवश्यक कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

संबंधित सभी मामलों के आडिट में पाई गयी अनियमितताओं के संबंध में दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों का विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है

जिला परिषदीय सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

प्रथम सत्र 1978 के 5 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला परिषद् फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 22 जून, 1978 द्वारा परिषदीय सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित, करने का अनुरोध उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद से किया है ? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? और इसे शीघ्र पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ ।

जिला परिषद की सड़कों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनकी सहमति प्राप्त करके ही किया जा सकता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने धनाभाव के कारण जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा प्रस्तावित जिला परिषद के मार्गों को ग्रहण करने में असमर्थता प्रकट की है ।

अवैध व अनियमित टैक्सियों के चलने पर रोक

6—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि अवैध व अनियमित टैक्सियों के चलने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिवहन कार्यालय गोरखपुर पर प्रदर्शन किया था ? क्या छात्रों ने आर0 टी0 ओ0 जिलाधिकारी गोरखपुर को ज्ञापन भी दिया था और अधिकारियों ने शीघ्र कार्यवाही का वचन भी दिया था ? यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 को लगभग 15 छात्र नारे लगाते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर गये थे और उन्होंने माँग की थी कि जो प्राइवेट कारें देय कर का भुगतान किये बिना टैक्सी के रूपमें चलती हैं, वे ऐसी कारें तथा टैक्सियों को अधिक सवारियाँ ले जाती हुई पायी जायं उनके ड्राइवरों आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । इन छात्रों ने संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर को कोई ज्ञापन नहीं दिया था । अनधिकृत संचालन को रोकने हेतु उन्हें संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा मौखिक आश्वासन दे दिया गया था । अनधिकृत संचालन समाप्त करने के उद्देश्य से सघन चेकिंग करायी गयी । इसमें 105 टैक्सियों, व 46 टैक्सी के रूप में चलने वाली निजी कारों के चालान हुए और 25 टैक्सियाँ व टैक्सी के रूप में चलने वाली 15 निजी कारें तथा 13 चालक थाने में बन्द कराये गये ।

संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के विरुद्ध आरोपों की जांच

7—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर परिवहन विभाग के आर0 आई0 श्रीसरन के विरुद्ध गोरखपुर की एक युवक संस्था द्वारा अक्तूबर-नवम्बर, 1978 में आर0 टी0 ओ0, जिलाधिकारी, गोरखपुर, माननीय परिवहन मन्त्री, उत्तर प्रदेश को कोई ज्ञापन दिया गया था? क्या युवकों ने आर0 टी0 ओ0 कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था ? यदि हाँ, तो उनके आरोप क्या थे ? क्या उनकी जाँच कराकर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हाँ, एक ज्ञापन दिनाँक 4-10-78, परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ था। दिनाँक 21-10-78 को 5 व्यक्तियों ने जो अपने को छात्र नेता बताते थे, संभागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर में प्रदर्शन भी किया था। ज्ञापन में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के विरुद्ध मुख्य आरोप रिश्वत लेने के बारे में थे, जिस पर क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त से जाँच कराई गई परन्तु जाँच में आरोप निराधार पाये गये।

गोरखपुर-गोला मार्ग एवं गोरखपुर-खजनी मार्ग पर अनियमित चलने वाली टैक्सियों की चेकिंग

8---श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में परिवहन विभाग द्वारा अनियमित टैक्सी चलने को रोकने के लिए गोरखपुर-बस्ती, गोरखपुर-गोला, गोरखपुर-खजनी मार्ग पर कितनी बार चेकिंग की गयी ? कितनी टैक्सियाँ अवैध रूप से चलती पायी गईं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कुछ टैक्सियाँ ऐसी भी थीं जो इससे पूर्व भी अनियमितता के आरोप में पकड़ी जा चुकी थीं ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कितने के परमिट निरस्त किये गये ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

माह नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में गोरखपुर-बस्ती मार्ग पर 15 दिन, गोरखपुर-गोला मार्ग पर 5 दिन एवं गोरखपुर खजनी मार्ग पर 3 दिन चेकिंग की गई। इस चेकिंग में 58 टैक्सियों व 16 टैक्सी के रूप में चलने वाली निजी कारों के चालान किए गए। इनमें से 49 चालान न्यायालय में, 9 चालान संभागीय प्राधिकरण व 16 चालान रजिस्ट्रिंग अथारिटी को भेजे गए। इन गाड़ियों में से 3 के चालान 1-1-1978 से 31-10-78 तक की अवधि से पहले भी किये गए थे। किसी भी टैक्सी/टैक्सी के रूप में चलने वाली निजी कार का परमिट अभी तक निरस्त नहीं किया गया।

फैजाबाद के मझौड़ा चौराहे की ग्राम समाज की भूमि पर श्री सईद, पुत्र बन्दे गुलाम द्वारा अनाधिकृत कब्जा

9---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के भीटी ब्लाक में गाँव सभा मिझौड़ा में जिला परिषद की सड़क के किनारे मिझौड़ा चौराहे पर ग्राम समाज की भूमि पर सईद पुत्र बन्दे गुलाम ने परगनाधिकारी, अकबरपुर और जिलाधिकारी, फैजाबाद के पूर्ण संज्ञान में अनधिकृत कब्जा कर रक्खा है और उस पर इमारत बनवा रहा है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई और उक्त अनाधिकृत कब्जा कब तक हटा दिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद---

श्री सईद पुत्र बन्दे गुलाम द्वारा अनाधिकृत कब्जे की जानकारी होने पर उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही करके श्री सईद को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया है। कब्जा हटाने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी बफर गोदाम, सीतापुर के विरुद्ध जांच

10---श्री मित्रसेन---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन उप निदेशक, कृषि एवं लखनऊ मण्डल तथा तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पूर्ति), उत्तर प्रदेश जिन्होंने सन् 1972 में बफर गोदाम, खराबाद, जिला सीतापुर में हुई लगभग 40 हजार रुपये की 4 ट्रक यूरिया की डकैती सम्बन्धी मामले की मौके पर जाँच करने के बाद भी मामले को दबा दिया था क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई प्रशासकीय कार्यवाही की है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उप निदेशक कृषि लखनऊ मण्डल के आदेशानुसार जिला कृषि अधिकारी हरदोई ने मामले की जाँच की थी। जाँच के फलस्वरूप प्रभारी बफर गोदाम सीतापुर के विरुद्ध वैभागिक तथा अपराधिक कार्यवाही चल रही है। मामले को दबाया नहीं गया है। अतएव अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव का निलम्बन

11—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 में अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव, श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को निलम्बन से मुक्त करते समय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) श्री जैन ने जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की थी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव को वर्ष 1974–75 में निलम्बन से मुक्त नहीं किया गया था, और न उस समय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) के पद पर श्री जैन कार्यरत थे। दिनांक 24–1–77 को तत्कालीन संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री जैन ने अपन संवीक्षण में श्री चतुर्वेदी के निलम्बन के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की थी किन्तु कृषि निदेशक ने उसे उचित नहीं समझा।

12—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[3 रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13—श्री ऊदल—

(5वें सोमवार के लिए स्थगित)

14—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3 रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16—श्री गुरु प्रसाद—

[7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व उप निवेशक, पशुपालन, गोरखपुर तथा भूतपूर्व जिला पशुधन अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायत

17—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या पशुपालन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व उप निदेशक पशुपालन, गोरखपुर तथा भूतपूर्व जिला पशुधन अधिकारी देवरिया के विरुद्ध 9 जुलाई, 1977 से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और दिसम्बर, 1978 तक उसके जांच का क्या परिणाम है? उन अधिकारियों के विरुद्ध परिणाम सिद्ध होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है?

श्री अब्दुल हलीम खां—

9 जुलाई, 1977 से दिसम्बर 1978 तक तत्कालीन उप निदेशक पशुपालन, गोरखपुर डा0 राम प्रेम सिंह तथा तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी देवरिया डा0 परशुराम सिंह के विरुद्ध क्रमशः 30 तथा 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें क्रमशः 27 तथा 14 शिकायतों पर आवश्यक जांच तथ्यों के आधार पर की जा चुकी है, जांच के उपरान्त उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा डा0 परशुराम सिंह को एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। आडिट रिपोर्ट तथा शेष शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद रीजन में ड्राइवरों का चुनाव

18—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 1978 में फैजाबाद रीजन में कुल कितने ड्राइवरों का चुनाव हुआ था, उसमें कुल कितने हरिजन ड्राइवर रखे गये ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माह नवम्बर, 1978 में फैजाबाद रीजन में कुल 15 अभ्यर्थियों का चालक पद हेतु चुनाव हुआ था। उसमें कोई हरिजन नहीं था।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में लेखाकार की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार एवं अनुसूचित जाति का कोटा

19—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 9 मई, 1978 को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में लेखाकार की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के थे और उसमें से किन-किन लोगों को नियुक्त किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां। 27 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुये। उनमें से केवल एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी था, जिसे लेखाकार के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर दिया गया है।

20—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुल कितने लेखाकार हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में लेखाकार के कुल 5 पद हैं, जिन पर नियुक्त व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जाति का है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी तथा आरक्षण का पालन

21—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ में दैनिक वेतन, एकीकृत वेतन पर अल्पकालिक नियुक्तियों में विभिन्न संवर्गों में पहली नवम्बर 1978 से 30 नवम्बर, 1978 तक कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इस प्रकार की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये पारित शासनादेश आरक्षण का पालन किया गया ? यदि हां, तो संवर्गवार कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जाति के कार्यरत थे और हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों का चुनाव व योग्यता का आधार

22—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद, आजमगढ़ अन्तर्गत दिनांक 20 मई, 1976 को सहकारी समितियों के सचिवों का जो अर्से स कार्यरत रहे हैं उनका चुनाव जिला मुख्यालय पर

हुआ ? यदि हां, तो उस चुनाव में क्या योग्यता व सेवा अवधि निश्चय की ग थी ? चुने गये सचिवों में कितने पुराने कितने नये को स्थान दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाबीर शुगर सिमल, सिसवा बाजार, गोरखपुर हेतु क्रय की गई लकड़ी

23---श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के महावीर शुगर मिल सिसवा बाजार जो रिसीवरशिप में है उस मिल के भूतपूर्व रिसीवर द्वारा वर्ष 1977-78 में जो लकड़ी स्टीम बनाने के लिये क्रय की गई थी क्या उसे बिना कोटीशन तथा निविदा लिये मनमानी दर पर क्रय की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह---

महाबीर शुगर मिल, सिसवाबाजार (गोरखपुर) के भूतपूर्व रसीवर द्वारा वर्ष 1977-78 में स्टीम बनाने के लिये लकड़ी बिना कोटेशन अथवा निविदा आमंत्रित किये क्रय की गई थी। लकड़ी की खरीद तत्कालीन रिसीवर, केन मैनेजर चीफ इंजीनियर आदि द्वारा विभिन्न लकड़ी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के ठेकियों पर भिन्न-भिन्न समयों में आकर लकड़ी की क्वालिटी देखने तथा बातचीत करके दरें निर्धारित करनें के उपरान्त क्रय की गई थीं। निविदा आमंत्रित न करने के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित हैं:---

1---फैक्ट्री के पास धनाभाव के कारण लकड़ी का स्टाक करना संभव नहीं था ।

2---फैक्टरी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण कोई भी ठेकेदार बिना नकद भुगतान किये लकड़ी सप्लाई करने को तैयार नहीं था ।

3---उपरोक्त परिस्थितियों में समय-समय पर फैक्टरी की आवश्यकतानुसार ही लकड़ी खरीदी गई ।

4---कोटेशन या निविदा लेने की पद्धति अपनाने पर समय लगता और फैक्टरी बन्द हो जाने की संभावना थी ।

गन्ना विकास विभाग में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

24---श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या गन्ना विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में गन्ना विकास विभाग में कितने ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है जो एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण अवकाश ग्रहण करेंगे ? ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके अन्यत्र नियुक्ति देने में कितने रुपए का व्यय भार यात्रा-भत्ता के रूप में देना पड़ेगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम मिलन सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

25---श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम मिलन सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? यदि हां, तो उनकी रसड़ा चीनी मिल बलिया में रिसीवर पद पर नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री राम मिलन सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित सात शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। इन शिकायती पत्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी जिनमें से चार शिकायती पत्र निराधार पाये गये। शेष की जांच करायी जा रही है।

उक्त अधिकारी को कार्य हित में रसड़ा चीनी मिल में जनरल मैनेजर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया।

भारत मोटर्स दुकान, गोरखपुर में अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

26—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर शहर के भारत मोटर्स दूकान की कुछ अनियमितताओं के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र वर्ष 1978 की फरवरी में मन्त्री जी को मिला था? क्या मुख्य मन्त्री ने 14 फरवरी, 1978 को कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निदेश दिया था? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? किससे जाँच कराई गयी? जाँच करने वालों ने किन से सम्पर्क स्थापित किया? यदि हाँ, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए और तत्पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्नकर्त्ता का प्रश्नगत पत्र परिवहन मंत्री के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामाश्रय राय व श्री राम दुलारे राय को लघु कृषक परियोजनान्तर्गत अनुदान

27—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री रामाश्रय राय, राम दुलारे राय लघु एवं सीमान्त किसानों को लघु कृषक विकास अभिकरण गोरखपुर से ट्रैक्टर क्रय करने हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों के विषय में क्षेत्रीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) गोरखपुर से अक्तूबर, 1978 में कोई आख्या माँगी गई थी? यदि हाँ, तो क्या आख्या प्राप्त हो गयी? यदि हाँ, तो आख्या में क्या तथ्य स्पष्ट हुआ? और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। अतिरिक्त जिलाधिकारी परियोजना, गोरखपुर से आख्या प्राप्त हो चुकी है श्री रामाश्रय राय व राम दुलारे राय आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार के सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत लघु/सीमान्त किसान के रूप में चयनित नहीं किया गया है। उक्त दोनों कृषक लघु कृषक परियोजना कार्यक्रमों में अनुदान पाने के पात्र नहीं हैं। इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों को अनुदान द्वारा लाभान्वित नहीं किया गया।

गोरखपुर मण्डी समिति की शिकायतों के विषय में जिलाधिकारी द्वारा जांच

28—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि अगस्त, 1978 में कृषि राज्य मन्त्री ने गोरखपुर मण्डी समिति की शिकायतों के विषय में जिलाधिकारी से जाँच कराने का आदेश दिया था? क्या जिलाधीश की जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है? यदि हाँ, तो आख्या में क्या तथ्य सामने आये तथा मण्डी समिति के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। जिलाधिकारी ने नगराधिकारी से जाँच कराई थी। जाँच में शिकायतें निराधार पाई गई। अतः किसी अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद में रोड़वेज वर्कशाप का निर्माण

29—श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में यू0 पी0 एस0, आर0 टी0 सी0 की ओर से कोई बड़ा वर्कशाप बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त योजना कहाँ पर और कब तक पूरी हो जायगी? योजना पर कितनी लागत आयेगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ।

फैजाबाद में एक बड़े वर्कशाप (क्षेत्रीय कर्मशाला) का निर्माण प्रस्तावित है। इस वर्कशाप के निर्माण पर लगभग 24 लाख रुपया की लागत आयेगी तथा यह निर्माण कार्य मार्च, 1980 तक पूर्ण होने की आशा है?

विकसित और सघन कृषि क्षेत्र वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य

30—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि बाम्बे प्लान के अन्तर्गत 1981 तक हर विकसित और सघन कृषि क्षेत्र वाले गाँव को इस प्रकार से सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि उनमें से कोई भी गाँव पिटरोड (मेटल्ड रोड) से 4 मील से अधिक दूरी पर और किसी भी प्रकार सड़क से डेढ़ मील से अधिक दूरी पर न रह जाय? यदि हाँ, तो जिलों-जिलों में उक्त प्लान के तहत लक्ष्य निर्धारित करते समय उक्त बातों का सर्वेक्षण ब्लाक वाइज कराया गया था अथवा तहसील वाइज? क्या सरकार उक्त निर्णय के लागू करने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे से पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता देगी और उन क्षेत्रों में जहाँ लक्ष्य से अधिक कार्य हो चुका है तब तक नई सड़कों का निर्माण नहीं करायेगी जब तक पिछड़े क्षेत्र भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ, वर्ष 1961–81 के लिये बनाई गई योजना जिसे माननीय सदस्य ने बाम्बे प्लान की संज्ञा दी है, के लक्ष्य में यह अपेक्षा की गयी थी कि कोई भी विकसित कृषि क्षेत्र पक्की सड़क से 4 मील तथा किसी भी प्रकार की सड़क से 1–1.50 मील से अधिक दूरी पर नहीं रह जायेगी। जिलों में लक्ष्य निर्धारित करते समय उपरोक्त फारमूलों के अनुसार जनपद को इकाई मानकर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे शासन द्वारा उपरोक्त योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में जो असंतुलन है उसे मागों को स्वीकृति करते समय ध्यान में रखा जाता है। शासन पिछड़े क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य को वरीयता दे रही है, परन्तु जिन क्षेत्रों में लक्ष्य से अधिक कार्य हो चुका है वहाँ सड़कों का निर्माण बिल्कुल रोक देना सम्भव नहीं है।

जूनियर इंचार्ज स्टेशन, कसया देवरिया द्वारा अवैध टिकटों की बिक्री

31—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के तत्कालीन स्टेशन अधीक्षक ने दिनाँक 1 दिसम्बर, 1977 को इस आशय की सूचना विभाग को दिया है कि कसया बस स्टेशन के तत्कालीन जूनियर स्टेशन इंचार्ज ने कसया-देवरिया मार्ग के बी0 सी0 से मिलकर अवैध टिकट बेंच कर हजारों रुपये कमाये हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मामले की जाँच की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुयी है।

देवरिया वर्कशाप में नियुक्त नये अभ्यर्थी

32—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 की हड़ताल में देवरिया वर्कशाप में कितने नये कर्मचारियों से काम लिया गया और उनमें से कितने कर्मचारी नौकरी पर हैं और कितनों को आज तक नौकरी नहीं दी गयी ? यदि नौकरी नहीं दी गयी, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वर्ष 1973 की हड़ताल में देवरिया वर्कशाप में 20 नये अभ्यर्थियों को कार्य सम्पादन कराने हेतु रखा गया था। उनमें से 7 को हेल्पर दैनिक वेतन भोगी के पद पर तथा 13 को मजदूर के पद पर रखा गया। जिन 7 अभ्यर्थियों को हेल्पर दैनिक वेतनभोगी के पद पर रखा गया था उनकी नियमित नियुक्ति सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर, द्वारा क्लीनर के पद पर पहले ही कर ली गयी है जो अभी भी उक्त पद पर कार्यरत है। शेष 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वीकृत नियमित पदों के अभाव में अभी तक नहीं की गयी है।

पर्यटन स्थान, कालींजर को रमणीक बनवाने की परियोजना

33—श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बाँदा)—

क्या पर्यटन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद के ऐतिहासिक पर्यटन स्थान कालींजर को रमणीक बनवाने तथा वहाँ पर्यटक आवास बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 8 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

पर्यटन मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हाँ।

कालींजर के पर्यटन की दृष्टि से विकास की परियोजना को विभाग की छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। विधायक महोदय को तदनुसार सूचित किया जा चुका है।

खण्ड विकास अधिकारियों की सेवाओं को राजपत्रित वर्ग देने का विचार

34—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों की सेवाओं को राजपत्रित वर्ग को देने का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हाँ, तो यह निर्णय कब से प्रभावी होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

35—श्री मंजूर अहमद—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

36—श्री रवीन्द्र सिंह—

[12-3-70 को अतारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

विकास खण्ड, सरदार नगर, जिला गोरखपुर में कार्यरत ए0 डी0 ओ0 (कृषि) का स्थानान्तरण

37—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खण्ड सरदार नगर, जिला गोरखपुर के ए0 डी0 ओ0 कृषि इस ब्लाक पर कितने दिनों से सेवारत हैं ? अब तक इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या इनके विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र भी जिलाधिकारी, गोरखपुर को जनवरी, 1979 को प्राप्त हुआ है ? तथा शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

विकास खण्ड, सरदार नगर, जिला गोरखपुर के ए0 डी0 ओ0 (कृषि) इस ब्लाक पर दिनाँक 14–7–1978 से कार्यरत हैं। तैनाती की अवधि कम होने के कारण उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। उनके विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर को जनवरी, 1979 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर उन्होंने जाँच के आदेश दे दिये हैं।

38—श्री राम आसरे वर्मा—

[12–3–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 61 द्वारा उत्तरित।]

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में सहायक अधीक्षक के पद

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में इस समय सहायक अधीक्षकों के कितने पद हैं तथा नवम्बर, 1976 से अब तक कितने पद पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

कृषि उत्पादन आयुक्त, कार्यालय में इस समय सहायक अधीक्षक के पाँच पद स्वीकृत हैं। नवम्बर, 1976 से अब तक सहायक अधीक्षक के दो पद भरे गये जिसमें से एक पद पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी की पदोन्नति की गई है।

श्री शिव कुमार मिश्रा, सहायक यातायात निरीक्षक का रद्द निलम्बन आदेश

40—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि बरेली क्षेत्र के शाहजहांपुर उपक्षेत्र में कार्यरत सहायक यातायात निरीक्षक श्री शिव कुमार मिश्र को क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, बरेली के आदेश पत्र संख्या वी0आर0/1–1(डी)-77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किया गया था तथा आपके आदेश दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 के द्वारा उक्त निलम्बन आदेश क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली के आदेश पत्र संख्या बी0 आर0/1–1(डी)/77/9896-वी, दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 के द्वारा रद्द किया गया ? यदि हां, तो आरोप क्या था, तथा निलम्बन आदेश रद्द करने का कारण क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्री शिव कुमार मिश्रा, सहायक यातायात निरीक्षक, जिस बस (संख्या यू0एस0ई0 7974) में यात्रा कर रहे थे, उसमें 3 यात्री बिना टिकट थे और चेकिंग स्क्वायड के साथ चालक और परिचालक द्वारा दुर्व्यवहार करने में श्री मिश्र का हाथ होना पाया गया। फलस्वरूप उन्हें निलम्बित किया गया।

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्कालीन परिवहन मन्त्री जी के आदेशानुसार पेंडिंग इंक्वायरी उनका निलम्बन आदेश अनन्तिम रूप से रद्द कर दिया गया।

कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक, श्री डी० एस० बग्गा की इंग्लैण्ड यात्रा पर व्यय

41—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 एस0 बग्गा, प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव डेरीफेडरेशन को इंगलैण्ड भेजने पर कितना व्यय हुआ और किस कार्य से उनको इंगलैण्ड भेजा गया था ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

श्री डी0 एस0 बग्गा, प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0, लखनऊ के इंगलैण्ड यात्रा पर कुल व्यय रुपए 9,299.66 का हुआ।

श्री बग्गा को फ्रीडम फ्राम हंगर कम्पेन (यूनाइटेड किंगडम) कमेटी के निमन्त्रण पर ब्रिटेन में मिल्क मार्केटिंग बोर्ड की कृत्रिम गर्भाधान डिवीजन के संगठन कार्य के अध्ययन हेतु इंगलैण्ड भेजा गया था।

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की दलपतपुर, मेरठ तथा फैजाबाद यूनिटों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

42—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1977 के बाद आज तक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन से सम्बन्धित दलपतपुर, मेरठ तथा फैजाबाद स्थित यूनिटों में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष द्वारा की गयी और वह लोग कौन-कौन से जिलों के रहने वाले हैं ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की दलपतपुर, मेरठ तथा फैजाबाद स्थित यूनिटों में दिनांक 1 जनवरी, 1977 के बाद आज तक नियुक्त किए गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 'क', 'ख' तथा 'ग' पर संलग्न† है।

गड़वारा विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों को सहायता

43—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में गड़वाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवार लिए गए हैं उनमें से कितने परिवारों को मदद दी गयी और किस रूप में सहायता दी गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जनपद प्रतापगढ़ के गड़वाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1285 परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से 159 परिवारों को मदद दी गयी है। यह सहायता उन्हें ऋण/अनुदान के रूप में दी गयी है। उक्त परिवारों को जैसा कि नियम है ऋण की राशि नकद न देकर वस्तु रूप में जिसमें दुधारु पशु, ऊंट इक्का घोड़ा, रिक्शा आदि शामिल है, दी गयी है।

झांसी नगर में दुग्ध योजना खोलने पर विचार

44—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगर में शासन द्वारा दुग्ध योजना खोलने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि में समिति संसाधनों को देखते हुए वर्तमान दुग्ध संघों का सदृढ़ीकरण पुर्नगठन के विस्तार किया जाना ही प्रस्तावित है।

45—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[4थे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

---

†छापी नहीं गयी।

विकास खण्ड, सिरसिया, जनपद बहराइच में ग्राम सेवकों द्वारा विकास सम्बन्धी कार्य की प्रगति

46--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शासन को जानकारी है कि विकास खण्ड सिरसिया, जनपद बहराइच में ग्राम सेवक अपने-अपने हल्के में नहीं रहते हैं जिससे विकास सम्बन्धी कार्य की प्रगति नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा कौन-कौन कदम उठाए गए और कितनी बार कब-कब तथा कहां-कहां ग्राम सेवकों के हल्के में निवास स्थान की आकस्मिक निरीक्षण उपस्थिति सम्बन्धी की गयी और कितने अनुपस्थित पाए गए जिनके विरुद्ध कौन-कौन कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद--

शासन को यह जानकारी है कि आंशिक अपवाद के अतिरिक्त ग्राम सेवक अपने हलके में रहते हैं तथा विकास सम्बन्धी प्रगति सन्तोषजनक है। जिला विकास अधिकारी ने 9-4-75, 10-4-75, 6-5-76, 20-7-77 को सिरसिया ब्लाक के ग्राम सेवकों के हलके/निवास स्थलों का उनकी उपस्थिति सम्बन्धी आकस्मिक निरीक्षण किए और केवल एक बार दिनांक 6-5-76 को शाहपुर बरगदवा हलके के ग्राम सेवक को अपने हलके से अनुपस्थित पाया था। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी और उन्हें दंडित किया गया।

श्री डी० एस० मलिक, सचिव, गन्ना सोसाईटी, मवाना (मेरठ)के विरुद्ध शिकायतों की जांच

47-श्री राम दयाल (जिला मेरठ)--

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री डी0 एस0 मलिक, सचिव, गन्ना सोसाईटी, मवाना (मेरठ) के विरुद्ध भ्रष्ट कार्यों व अनियमितताओं की गम्भीर शिकायतें गत 6 मास से प्रश्नकर्ता की ओर से उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

श्री डी0 एस0 मलिक, सचिव, सहकारी समिति, मवाना (मेरठ)के विरुद्ध भ्रष्ट कार्यों व अनियमितताओं के सम्बन्ध मे उक्त समिति के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति-पत्र सहित, प्राप्त हुए। इन शिकायतों के सन्दर्भ में मुख्यालय के जांच दल द्वारा जांच कराई गयी। जाँचोपरान्त श्री मलिक को गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 3548-52, दिनांक 30 जनवरी, 1979 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति में है।

मण्डी समिति, मवाना के सचिव श्री सूबे सिंह के स्थानान्तरण आदेश तथा सुपरवाइजर व कर्मचारियों की निरस्त नियुक्तियों के आदेश

48--श्री राम दयाल--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि मण्डी समिति, मवाना (मेरठ) के सचिव, श्री सूबे सिंह के स्थानान्तरण आदेश व एक सुपरवाइजर व 6 लिपिकों की अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश गत मास (दिसम्बर, 78) में शासन ने किए थे जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाए हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मण्डी समिति, मवाना के सचिव श्री सूबे सिंह के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20 मार्च, 1979 को मण्डी परिषद् द्वारा जारी हुए हैं। मण्डी समिति, मवाना में दिनांक 26 जून, 1978 को चयनित सुपरवाइजर तथा 6 अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनाँक 29 दिसम्बर, 1978 को जारी हुए थे। इन आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मण्डी परिषद् से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खण्ड (देवरिया) में अन्त्योदय योजनान्तर्गत लाभान्वित गरीब ग्रामीण

49—श्री पुरुषोतम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किन-किन गरीब ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

देवरिया जनपद के विकास खण्ड पडरौना तथा विशुनपुरा में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत क्रमशः 140 तथा 89 अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित व्यक्तियों की सूची संलग्न† है।

पडरौना विकास खण्ड, देवरिया के कतिपय बाजारों में सम्पर्क मार्ग का अभाव

50—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना विकास खण्ड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग मोती ललहा स्कूल से मोतीललहा पकड़ी खुर्द होरलापुर बाजार पिपरासी बाजार शिवपुर बुजुर्ग बाजार तथा सेख बनिया बाजार में इण्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग के अभाव में ग्रामीणों को अवर्णनीय कष्ट है ? यदि हां, तो शीघ्र सम्पर्क मार्ग बनाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

एक महीने से अधिक हो गया किन्तु जिलाधिकारी, देवरिया ने सूचना नहीं भेजी है। उन्होंने शासन द्वारा भेजे गए आदेशों की अवहेलना की है। इस आचरण के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन किया जा रहा है।

विशुनपुरा विकास खण्ड (देवरिया) में मार्ग का निर्माण

51—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि विशुनपुरा विकास खण्ड (देवरिया) सर्वाधिक पिछड़ा है ? यदि हां, तो पडरौना से विशुनपुरा विकास खण्ड मुख्यालय तक (मंसाछापर) शीघ्र पीच मार्ग का निर्माण कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

एक महीने से अधिक हो गया किन्तु जिलाधिकारी, देवरिया ने सूचना नहीं भेजी है। उन्होंने शासन द्वारा भेजे गए आदेशों की अवहेलना की है। इस आचरण के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन किया जा रहा है।

पडरौना में पकड़ी मिल्की-कसया, पकड़ी खुर्द-गांगरानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

52—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में पडरौना विकास खण्ड के अन्तर्गत रवीन्द्र नगर (घूस) से पूर्व की तरफ पकड़ी मिल्की—कसया पकड़ी खुर्द होते हुए गाँगरानी तक सम्पर्क मार्ग न होने से ग्रामीणों को अपार कष्ट है ? यदि हाँ, तो ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र करा दिया जायेगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

सड़क के अभाव में ग्रामीणों को कष्ट होना स्वाभाविक है परन्तु इस सड़क का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि उस विभाग के बजट में इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए कोई धनराशि का प्राविधान नहीं है।

---

†छापी नहीं गयी।

पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खण्ड के लघु सीमान्त कृषकों को अनुदान

53—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद में पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खण्ड के लघु सीमान्त कृषकों को 1 जनवरी, 1976 से 20 जनवरी, 1979 तक पोटेशिक तथा फासफैटिक खादों पर एक तिहाई अनुदान देने के शासन के निश्चयानुसार किन-किन कृषकों को उक्त अनुदान दिया गया है तथा किस माध्यम से दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर-लखनऊ मार्ग पर हुई बस दुर्घटना में व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को सहायता

54—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4–5 अगस्त, 1978 को राजकीय परिवहन बस सीतापुर–लखनऊ मार्ग पर दुर्घटना ग्रस्त हो गयी जिससे कि कुछ व्यक्ति मर गये तथा अनेक घायल हुए ? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा आहत व्यक्तियों के आश्रितों को तथा घायलों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ ।

दिनाँक 4 जून, 1978 को वाहन संख्या यू0टी0 सी0 9476 जो कानपुर से सीतापुर जा रही थी और जिसमें कुल 34 यात्री थे, की ग्राम सरैया के निकट सामने से आती एक ट्रक से टक्कर हो जाने के फलस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और 16 अन्य व्यक्ति घायल हुए । इनमें से चालक सहित 5 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए । अन्य 11 घायल व्यक्तियों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी । मृतक के वारिसों को एक हजार रुपए की अन्तरिम सहायता दी गयी तथा गम्भीर रूप से घायल चालक सहित 5 व्यक्तियों को 500 रुपए (प्रत्येक) आर्थिक सहायता दी गयी है ।

घाटमपुर (कानपुर) में पकड़ा गया गेहूं

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत ब्लाक भीतर गाँव में बी0डी0ओ0 व बी0ओ0पी0आर0 डी0 को 100 कुन्तल गेहूं बेचने के निमित्त ले जाने को तैयार ट्रक सहित परगनाधिकारी, घाटमपुर व थाना इंचार्ज, घाटमपुर ने क्षेत्रीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, कमलेश बाजपेयी व जगदीश नारायण शुक्ल के साथ मौके पर 1 अगस्त, 1978 की रात्रि 12 बजे लगभग पकड़ा था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उपरोक्त गेहूं किस कार्य हेतु बी0डी0 ओ0 आदि को दिया गया था ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास खण्ड, भीतरगाँव में ब्लाक के सूचना केन्द्र पर 100 क्विन्टल गेहूं खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मजदूरों को वितरण हेतु कानपुर से बी0ओ0, पी0वी0 डी0 द्वारा ले जाया गया था जिसमें से कुछ क्विन्टल गेहूं एफ0सी0आई0 के बोरों में से दूसरे बोरों में पलटा गया था और पल्टे हुए बोरों को उसी ट्रक पर रखा गया था । इसी बीच परगनाधिकारी को सन्देहात्मक रिपोर्ट मिली जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय विधायक के साथ परगनाधिकारी मौके पर निरीक्षण हेतु पहुंचे । परगनाधिकारी ने स्थिति की जानकारी करने के पश्चात् खण्ड विकास अधिकारी को आदेशित किया कि वे अपने सामने गेहूं का वितरण मजदूरों को पुनः करें ।

प्रारम्भिक जाँच के आधार पर तत्काल बी0ओ0, पी0वी0डी0 तथा खण्ड विकास अधिकारी को स्थानान्तरित कर सहायक अभियन्ता (ग्रा0अ0से0) तथा जिला संगठन कर्ता से जाँच कराई गयी। उक्त जाँच के आधार पर सम्बन्धित बी0ओ0, पी0वी0डी0 तथा खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगे गये जो प्राप्त हो गये हैं।

जिला परिषद्, सीतापुर के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध गबन सम्बन्धी जांच तथा उनकी पुनर्नियुक्ति

56—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, सीतापुर के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1976–77 में गबन सम्बन्धी जाँच चल रही थी? यदि हाँ, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जमुना प्रसाद—

वर्ष 1976–77 में त्वरित योजना के अन्तर्गत तत्कालीन अभियन्ता श्री जे0पी0 शर्मा तथा अवर अभियन्ता श्री मधुसूदन मिश्रा के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले में जाँच की जा रही है।

57—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, सीतापुर के कितने कर्मचारी गबन तथा भ्रष्टाचार के आरोप में वर्ष 1977–78 में निलम्बित किए गए? क्या उन्हें पुनः नौकरी पर ले लिया गया? यदि हाँ, तो किस आधार पर?

श्री जमुना प्रसाद—

वर्ष 1977–78 में केवल श्री राज किशोर लिपिक को एक घाट की नीलामी में अनियमितता बरतने में निलम्बित किया गया था और बाद में सेवा से पृथक भी कर दिया गया।

भूमि संरक्षण कार्यालय, बाराबंकी तथा फतेहपुर में जूनियर लिपिकों की चयन समिति द्वारा नियुक्ति

58—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में स्थित भूमि संरक्षण कार्यालय में दो तथा फतेहपुर में एक जूनियर लिपिक की नियुक्ति सन् 1978 में की गयी है? यदि हाँ, तो क्या उनकी नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

कार्य के हित में अभ्यर्थियों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी थी।

बरवां (कसिया) जिला देवरिया मे स्थित आलू बीज सम्वर्धन केन्द्र का विस्तार तथा सीलिंग से निकली भूमि के अधिग्रहण पर विचार

59—श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरवाँ (कसिया) जिला देवरिया आलू बीज सम्वर्धन केन्द्र का विस्तार इस फार्म से सटे हुए लगभग 100 एकड़ तमकुही राज की सीलिंग से निकली हुई जमीन लेकर करने का है? अगर सीलिंग में नहीं है, तो भी क्या सरकार जनहित में उसे अधिग्रहीत करने की कार्यवाही करेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। बरवाँ (कसिया) जिला देवरिया में स्थित राजकीय आलू बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र का विस्तार तमकुही राज की सीलिंग से निकली लगभग 72 एकड़ भूमि पर किए जाने का प्रस्ताव था परन्तु प्रश्नगत भूमि को अतिरिक्त घोषित किए जाने की कार्यवाही

न्यायालय के विचाराधान होने के कारण उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही इस समय सम्भव नहीं है ।

अनिवार्य सेवानिवृत्त श्री हरि जी श्रीवास्तव की पुनर्नियुक्ति की मांग

60—श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि जी श्रीवास्तव, सहायक यातायात निरीक्षक, देवरिया डिपो रीजन गोरखपुर को 3 फरवरी, 1976 से ही आपातकाल के दौरान स्क्रीनिंग कर काम से पृथक कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि शासन में तभी से उनकी अपील पड़ी है ? यदि हाँ, तो पुनः काम पर वापस लेने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विरुद्ध श्री हरि जी श्रीवास्तव का प्रत्यावेदन उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) वाराणसी द्वारा दिनाँक 18 मार्च, 1979 को अस्वीकृत कर दिया गया है । इससे पूर्व इनके प्रत्यावेदन पर नियमानुसार शासन द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था ।

फाजिलनगर, विकास खण्ड देवरिया में भवन का निर्माण कार्य

61—श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के फाजिलनगर ब्लाक के कार्यालय का निर्माण किया जाना शासन के विचाराधीन है ? अगर हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

देवरिया जिला के फाजिल नगर विकास खण्ड के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है, परन्तु भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । भूमि के प्रबन्ध हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

थाना तुर्कपट्टी, जिला देवरिया में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव

62—श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तुर्क पट्टी बाजार, थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया में एक पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? अगर हाँ, तो कब तक खुलेगा ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी नहीं ।

63—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[24-8-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6–7 के द्वारा उत्तरित]

64—श्री रियासत हुसैन—

[19-3-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित]

सामुदायिक धान नर्सरी योजना के अन्तर्गत बहराइच जनपद के विकास खण्डों को अनुदान

65—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 'सामूहिक धान नर्सरी' योजना के अधीन बहराइच जिले के किन-किन विकास खण्डों में कितना-कितना अनुदान किन-किन गाँवों के किन-किन व्यक्तियों को वर्ष 1978–79 में दिया गया ? क्या यह सही है कि सभी विकास खण्डों में

'सामूहिक धान नर्सरी' में लगाकर केवल निजी काश्तकारों की लगाई हुई धान को ही नर्सरी दिखाकर अधिकारियों ने शासन से अनुदान लिया है जिसकी शिकायत जिले के कई विधायकों ने जिलाधिकारी से की है ? यदि हाँ, तो जाँच उपरान्त पूर्ण विवरण क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

'सामुदायिक धान नर्सरी योजना' के अन्तर्गत बहराइच जनपद के विकास खण्डों में जो अनुदान वर्ष 1978–79 में दिया गया है, उसकी सूची संलग्न † है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी बीज गोदाम भवन का निर्माण और लागत व्यय

66—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में सहकारिता विभाग द्वारा विकास खण्डवार पिछले तीन वर्षों में अब तक कितने और कहाँ-कहाँ पर सहकारी बीज गोदाम भवन कितनी-कितनी लागत के निर्माण कराए गए हैं ? क्या यह भी सही है कि हरिहरपुर रानी ब्लाक में 35 हजार से लेकर 45 हजार रुपए की लागत तक के बीज गोदाम भवन बनाए गए हैं और कच्ची जुड़ाई की गयी है तथा हजारों रुपयों का गोलमाल नीचे स्तर पर किया गया है ? यदि हाँ, तो जाँच कब किसके द्वारा की गयी और जाँच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पाए गए कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

67–68—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[उरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 85–86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर के महमूदाबाद, पहला तथा रामपुर-मथुरा विकास खण्डों में विकास खण्डों के निमित्त प्रदान की गई धनराशि

69—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद अन्तर्गत महमूदाबाद, पहला तथा रामपुर–मथुरा विकास खण्डों में वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976-77 1977–78 तथा 1978–79 में कितनी धनराशि विकास कार्यों के निमित्त प्रदान की गयी है तथा उनका उपभोग किन-किन विकास कार्यों में किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी व उनका स्थानान्तरण

70—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय से सेवारत हैं ? ऐसे कर्मचारी जिनका समय 5 वर्ष या इससे अधिक हो चुका है क्या उन्हें स्थानान्तरित करने के लिए कोई व्यवस्था की जायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री जमुना प्रसाद—

सीतापुर जनपद में विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से 68 कर्मचारी सेवारत हैं । इनके स्थानान्तरण की व्यवस्था के लिए मई–जून, 1979 में सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जायगा ।

†छापी नहीं गयी ।

71—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[1ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड, सूरतगंज, जनपद बाराबंकी का एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विकास

72—श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ? यदि हाँ, तो वह कौन से कारण थे कि विकास खण्ड सूरतगंज इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट स्कीम में सम्मिलित नहीं किया गया तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या सरकार जनहित में इस विकास खण्ड को भी उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत लेने जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लिए विकास खण्डों के चयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से जो निदेश दिए गए उनके अनुसार पिछड़ेपन का आधार मूलतः विकास खण्ड में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए ।

विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में उनका प्रतिशत केवल 17 है और इसीलिए इसे योजना में नहीं लिया जा सका। जनपद के शेष 15 विकास खण्डों में यह प्रतिशत 20 से अधिक है। अतः उन्हें योजना में ले लिया गया है।

अगले 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 50 नये विकास खण्डों में योजना का प्रसार किया जायगा जिनका चयन मुख्यतया अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा जनपद में कुल विकास खण्डों में से अब तक योजना में लिए गए विकास खण्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जायगा।

यद्यपि विकास खण्ड सूरतगंज को सम्मिलित करने का विचार किया जायगा परन्तु आवंटन के लिए उपलब्ध विकास खण्डों की सीमित संख्या को देखते हुए इस विकास खण्ड के लेने की सम्भावना कम है।

आर० टी० ओ०, मेरठ द्वारा दिए गए बसों के परमिट

73—श्री मन्जूर अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जून, 1977 से लेकर 5 जनवरी, 1979 तक आर0 टी0 ओ0, मेरठ को अलग-अलग रूट पर किन-किन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और किन-किन को बस परमिट दिए गये ? क्या यह भी सही है कि मुजफ्फरनगर शाहपुर, मन्सूरपुर आदि-आदि दो बस के परमिट साले बहनोई को बगैर किसी मीटिंग के दिए गए हैं ? यदि हाँ, तो कारण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

74—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र में परिचालकों की परीक्षा तथा प्रवीक्षा सूची

75—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1977–78 में गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी क्षेत्र में परिचालकों की परीक्षा हुई थी ? उसमें किन-किन क्षेत्रों में किस प्रतिशत से प्रतीक्षा सूची बनाई गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र में वर्ष 1977–78 में परिचालकों के पद हेतु परीक्षा हुई थी ।

उक्त पद की प्रतीक्षा सूची बनाए जाने हेतु गोरखपुर एवं लखनऊ क्षेत्रों में लिखित व साक्षात्कार दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 51 प्रतिशत व 33.33 प्रतिशत तक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में रखे गये ।

वाराणसी क्षेत्र में केवल मेरिट के आधार पर सूची बनाई गयी जिसमें इस परीक्षा के लिए निम्नतम योग्यता हाई स्कूल रखी गयी थी और कुल 49.69 प्रतिशत अंक तक प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में रखे गये ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर में परिचालिकों के पद हेतु परीक्षा तथा परीक्षार्थियों को प्राप्त हुये अंक

76—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में गत वर्ष 1977-78 में जो परिचालकों की परीक्षा हुई उनमें कितने लड़के हाई स्कूल, कितने इण्टरमीडिएट तथा कितने ग्रेजुएट, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनमें अलग-अलग कितने मार्क पाकर पास हुए थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1977–78 में परिचालकों के पद हेतु ली गयी परीक्षा में कुल 1306 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे जिनमें 435 हाई स्कूल पास, 615 इण्टरमीडिएट पास तथा 256 ग्रेजुएट अभ्यर्थी थे । इन सम्मिलित अभ्यर्थियों में से 38 हाई स्कूल, 77 इण्टरमीडिएट तथा 37 ग्रेजुएट अलग-अलग अंक प्राप्त कर पास हुए ।

'श्रम के बदले खाद्यान्न योजना' के अन्तर्गत टांडा तहसील में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

77—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष 1978–79 में फैजाबाद जनपद के टाण्डा तहसील में श्रम के बदले अन्न योजना के अन्तर्गत कितने मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों का लक्ष्य रक्खा गया है और उनमें से अब तक कितने मार्गों का निर्माण हो चुका है ? अवशेष का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत टाँडा तहसील में 7 सम्पर्क मार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था । अभी तक 4 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है । 3 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री आत्माराम, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के पद का कार्यकाल तथा उनके विरुद्ध गबन का आरोप

78—श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी (श्री आत्मा राम) कब से कब तक जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के पद पर रहे तथा उस अवधि में कितने कर्मचारियों द्वारा कितने गबन किए गए तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री आत्मा राम, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के पद पर दिनांक 9 जुलाई, 1972 से 7 जून, 1975 तक कार्यरत रहे। इस अवधि से सम्बन्धित रुपया 299,393.92 का गबन व हानि का मामला प्रकाश में आया है। इसके लिए नौ अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी पाया गया है।

दोषी पाए गए कर्मचारियों में से एक को सेवा से पदच्युत तथा दो को उचित दण्डों के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया है। शेष छः के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खण्डों का लिंक रोड योजना के अन्तर्गत निर्माण

79—श्री श्रीनारायण—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिंक रोड योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले के विकास खण्ड अधिकारी, रामकोला, नौरंगिया तथा खड्डा द्वारा निर्माणाधीन लिंक रोक किन कारणों से बन्द कर दी गयी है ? क्या सरकार इन योजनाओं की पूर्ति में विलम्ब करने वाले बाधक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास खण्ड रामकोला में बरघाट से खाटही तक विकास खण्ड नबुआ नौरंगिया में सिरसिया से बिहारी छपरा तक तथा विकास खण्ड खड्डा में करहद से बुलहवा तक के जन-सम्पर्क मार्ग का निर्माण बीच में गन्नों की खड़ी फसल के कारण रोक देना पड़ा था। फसल के कटते ही पूरे जन सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर दिया गया है। किसी अन्य कारण से निर्माण कार्य नहीं रोका गया था।

मिर्जापुर स्थित सहकारी उपभोक्ता भण्डार में विभिन्न संस्थाओं और समितियों को आवंटित किया गया कपड़ा

80—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार में माह जुलाई, 1978 से माह नवम्बर, 1978 तक विभिन्न प्रकार का कितना नियन्त्रित वस्त्र आया और उसे किन-किन संस्थाओं एवं समितियों को कितना-कितना कपड़ा आवंटित किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मिर्जापुर जनपद स्थित सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0, मिर्जापुर में माह जुलाई, 1978 से नवम्बर, 1978 तक विभिन्न प्रकार का निम्नलिखित वस्त्र आया —

(1) कपड़ा 1,63,139–50 मीटर
(2) धोती/साड़ी 16,206

उक्त अवधि में निम्नलिखित समितियों तथा संस्थाओं को उनके सम्मुख उल्लिखित कपड़ा/धोती/साड़ी आवंटित की गयीं :—

समिति/संस्था का नाम	कपड़ा (मीटरों में)	धोती/साड़ी (संख्या में)
1—सहकारी संघ	29,079	1951-50
2—साधन सहकारी समितियाँ	12,333.10	892
3—प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ ..	63,089.75	4363
4—क्षेत्रीय सहकारी समितियाँ	5353.90	327
5—क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ	32,819.50	2,705-5

81—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, निगम कानपुर द्वारा प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन

82—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, कानपुर द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 को प्रशिक्षण हेतु कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? क्या इस चयन हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा परीक्षण हेतु पत्र संख्या 07/शिशु 18328, शिशु 12/400 द्वारा कोई सूची भेजी गयी थी ? क्या उक्त सूची में अनुसूचित जाति, जन जाति तथा महिलाओं के लिए कोई रिजर्व कोटा था ? यदि हां, तो चयन की गयी सूची में कितन लोग रिजर्व कोटे से लिए गए ? क्या चयन किए गए लोगों में कुछ महिलाएं भी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 को जनरल क्लर्क तथा स्टोर कीपर के अप्रेंटिसशिप हेतु पदों के लिए चयन किया गया। जनरल क्लर्क पद के लिए केवल एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी चुना गया। स्टोर-कीपर के पद के लिए कोई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया। उक्त दोनों वर्ग के पदों के लिए कोई अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। महिलाओं को अनुपयुक्तता के आधार पर नहीं चुना गया। इनके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

लखनऊ मण्डल की जिला परिषदों में लिपिकों की अनियमित नियुक्तियां

83—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अप्रैल, 1974 से मार्च, 1978 तक लखनऊ मण्डल के किन-किन जिला परिषदों में लिपिकों की नियुक्तियां बिना पद को विज्ञापित किए तथा सेवायोजन कार्यालय से बगैर नाम मांगें तथा बगैर उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 में वर्णित चुनाव प्रक्रिया का अनुसरण किए की गई हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इस प्रकार की गयी नियुक्तियों को समाप्त करन सम्बन्धी कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

लखनऊ मण्डल की चार जिला परिषदों—लखनऊ, खीरी, रायबरेली व हरदोई में लिपिकों की क्रमशः पांच, चार, एक व तीन अनियमित नियुक्तियां प्रसंगगत अवधि में की गई थीं। इनमें से रायबरेली की एक व हरदोई की दो अनियमित नियुक्तियां समाप्त की जा चुकी हैं।

शेष अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम सभा सुरजनपुर, खनैका, जिला सीतापुर के प्रधानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन सम्बन्धी जांच

84—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुरजनपुर, खनैका, ब्लाक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के प्रधानों के विरुद्ध वर्ष 1976–77 में भ्रष्टाचार तथा गबन सम्बन्धी कुछ जांच चल रही थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है और अभी तक उत्तर न देने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जवाब मांगा गया है ।

अनुदानों पर विधान परिषद् में हुयी चर्चा को उठाने का प्रयास

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं एक संवैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। इस प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। आपको विदित है कि 22 तारीख को इस माननीय सदन ने अनुपूरक अनुदान पास कर दिया। मान्यवर, इसके बाद यह काउंसिल के अन्दर गया। 31 मार्च को यह सप्लीमेन्ट्री बजट पास होना चाहिए ताकि जो खर्च सरकार कर चुकी है वह रेगुलेराइज हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी हमारे पास इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है इसलिए इसको उठाने की इजाजत नहीं देता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उस सदन के अन्दर जो प्रोसीडिंग है वह पब्लिक प्रोसीडिंग है, प्रकाशित हो चुकी है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे पास जब तक सूचना नहीं आती तब तक कोई नोटिस नहीं ले सकते। मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

अध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के स्थगन के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 8 (1) के परन्तुक (ख) के उपबन्धों के पुनः निलम्बन का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। "यह सदन 22 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम 1 के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के प्रारम्भ से 15 दिनों के भीतर ऐसी तिथि को, जो भी राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो ।"

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। प्रस्ताव जो मुख्य मन्त्री जी लाए हैं वह ठीक है लेकिन एक संवैधानिक प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय राज्यपाल ने कोई तारीख चुनाव की निश्चित की है और यदि की है तो क्या इस माननीय सदन को यह अधिकार है कि जो तारीख माननीय राज्यपाल ने निश्चित की हो, उसे वह निरस्त कर सके ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं पहले ही घोषणा कर चुका था कि माननीय राज्यपाल ने 27 मार्च अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्धारित की थी लेकिन इस सदन को किसी भी नियम को निलम्बित करने का पूरा अख्तियार हर समय है। इसलिए यह आपत्ति आपकी सही नहीं है। राज्यपाल महोदय को जब सिफारिश जायगी तब वह अपना दूसरा फैसला करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमान, (व्यवधान)

(श्री नारायण दत्त तिवारी के बैठ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ गए थे. . . .

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते थे इसलिए आदर स्वरूप मैं बैठ गया था। मैं उनका आदर करता हूं। यह जो नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है वह ऐसा लगता है कि किसी नाम में अभी तक एक मत होना सम्भव नहीं हो पा रहा है और यह भावना है कि एक मत से ही स्पीकर का चुनाव हो। केवल यही भावना हमें बाध्य कर रही है और कोई भावना नहीं है कि जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने, श्रीमन्, प्रस्तुत किया है उसे हम स्वीकार करें। मैं एक बात के लिए माननीय नेता सदन से अवश्य आग्रह करूंगा कि उन्होंने एक आध नाम पर मुझ से कृपा करके सहमति ली थी। वह ऐसी बात नहीं है। किसी का भी नाम सर्व सम्मति से हो सकता है, उपाध्यक्ष का नाम सर्व सम्मति से हो सकता है। इस बीच में इसकी चेष्टा की जाय. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आप इतने लोकप्रिय हैं, इसके लिए आप को बधाई है। क्योंकि आप भी इस पद पर इतने प्रसन्न हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस दृष्टिकोण से माननीय नेता सदन के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बात तो केवल इतनी है कि माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है हमको ऐसा आभास हो रहा है कि बड़ी नेक नीयती का प्रस्ताव है। जो प्रस्ताव रखा गया उससे ऐसा लगा कि तिवारी जी इस चीज को मान लेंगे और मान भी गये। लेकिन तिवारी जी ने जो कहा उससे लगता है कि जितने भी लोग हैं सम्भवतः सभी खड़े हो सकते हैं सबको खुश करने की कोशिश इस अपनी स्पीच में कर दी। मैं निवेदन करूंगा कि जो नेकनीयती से मसला आया है उसमें राजनीति का अंश न हो, तो अच्छा होगा। यह प्रस्ताव जो है इसे सबको मान लेना चाहिए, इस पर विवाद की गुन्जायश नहीं है। जहां तक नियमों की बात है इस सदन का अधिकार रहा है किसी भी नियम को निलम्बित करने का। जिस नियम के मातहत गवर्नर ने जो तारीख तय कर दी थी और उस पर चुनाव होने की बात थी, इस सदन को अधिकार है उस नियम को निलम्बित करने का और गवर्नर से अगले सत्र में दूसरी तारीख डालने के लिए प्रार्थना करने का। यह कोई असंवैधानिक बात नहीं है जैसा नेगी जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा । यह सर्व सम्मति से प्रस्ताव होना चाहिए और इस पर सबको खुशी जाहिर करनी चाहिए कि यह नेकनीयती का प्रस्ताव बनारसी दास जी की तरफ से आ रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं समय के अनुकूल समझता हूं और उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि एक मत से कोई उम्मीदवार हमारे सामने आएगा ।

श्री उपांध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन 22 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के प्रारम्भ से 15 दिन के भीतर ऐसी तिथि को, जो भी राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) ---

व्यवस्था का प्रश्न है । न उर्दू हिन्दुस्तान की 14 जबानों में से एक है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने नियम 301 की सूचनायें ले ली हैं । आप बैठें ।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित बलिया जिले में बांटी गयी अहेतुक सहायता में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना शून्य प्रहर में सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

गत बाढ़ एवं अतिवृष्टि से भीषण रूप से प्रभावित बलिया जनपद के नागरिकों की सहायता हेतु पर्याप्त सहायता शासन द्वारा सहृदयता के साथ बलिया भेजी गयी किन्तु खेद है कि उक्त सहायता का व्यापक रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बलिया जनपद के सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान नीति के अनुसार अहेतुक सहायता का वितरण नहीं किया गया । बलिया तहसील क्षेत्र में प्रति परिवार दस (10) किलो गेहूं देने का कार्यक्रम चलाया गया जबकि वितरण पंजिका में दस किलो का विवरण ही अंकित किया गया । अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकृष्ट करने पर भी उन लोगों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और जन प्रतिनिधियों को शिकायतों एवं सुझावों को अनसुना किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारी खुल कर मनमानी के साथ लूट खसोट किये ।

मैंने अनेक ग्रामों में वितरण की मौके पर स्वयं जाँच की और गल्ले का वजन भी कराया । कुछ स्थानों को छोड़ कर अधिकांश स्थानों पर गल्ले का वितरण मात्रा से कम पाया गया । उदाहरणार्थ बलेहरी, गंगापुर, टेगरही, असुधरघाट आदि ग्रामों में सात किलों से नौ किलों तक का ही वजन पाया गया जब कि वितरण दस किलो दिखलाया गया था । इस प्रकार गल्ले के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजर सिंह]

वितरण में हजारों बोरे की चोरी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई है। गृह अनुदान के वितरण में भी भारी गोलमाल की शिकायत मिली है। अधिकारी सौ रुपये देते हैं किन्तु पंजिका पर धनराशि का कोई अंकन नहीं करते। संदेह है कि बाद में मनमाने ढंग से अधिक धनराशि का अंकन करके हजारों की चोरी की जाय। आज तक गृह अनुदान एवं बाढ़ सेवा में लगी नावों का भुगतान नहीं हुआ है।अधिकारी तिथि निश्चित करके मौके पर वितरण हेतु प्रायः नहीं जाते हैं परिणाम स्वरूप जनता के लोग व्यर्थ में परेशान होते रहते हैं अधिकांश वितरण मुख्यालय पर ही अधिकारी मनमाने ढंग से कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तत्काल उचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

देवरिया जिले की पड़रौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से भुखमरी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

महोदय, पडरौना तहसील में सघन ग्रामीण आबादी (95 प्रतिशत) अधिकांश झोपड़ियों में रहती ह। सरकारी रिकार्ड के अनुसार भी प्रतिवर्ष इस तहसील में आगजनी की जितनी घटनायें घटित होती हैं उतनी देश के किसी भी भाग में नहीं होतीं। प्रदेश सरकार को लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हैं। इस वर्ष प्रारम्भ में ही उक्त तहसील के पचास गाँव अभूतपूर्व अग्निकांड से स्वाहा हो चुके हैं। लाखों की क्षति हुई तथा पचास हजार लोग बेघरबार हुये जिनमें 90 प्रतिशत गरीब ग्रामीण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन स्तर के हैं। अग्निकांड से प्रभावित गाँवों में चितहा, पकड़ी, बुजसग, मिश्रौली, बबुइया, हरपुर, बहोहापुर, माधी, अमवाखास, बखा पट्टी, कोढिलवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हजारों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यदि समय से प्रभावी कार्यवाही न की गई तो अनेक लोग मौत के शिकार हो जायेंगे। अस्तु लोक महत्व के अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय पर सद्यः कारगर कदम उठाने हेतु सदन व शासन के संज्ञान में ला रहा हूं।

बाराबंकी जनपद में केन यूनियन, बुढ़वल द्वारा बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में केन यूनियन बुढ़वल द्वारा गन्ना मूल्य के पिछले बकाया का भुगतान किया जा रहा है जिसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। भुगतान की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसान भुगतान हेतु केन यूनियन कार्यालय आते हैं, दस बजे रात तक बैठे रहते हैं। अन्त में उन्हें बिना रुपया पाये हुये निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। इस प्रकार का क्रम पन्द्रह-पन्द्रह दिन चलता रहा है और किसान पैसा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। केन यूनियन कार्यालय पर कुछ दलाल टहलते रहते हैं जो किसानों से सौदेबाजी करते हैं, जिसका नतीजा है कि किसान मजबूरन पाँच-दस रुपये प्रति पर्ची देकर अपने गन्ना मूल्य को भुगतान कराने की कोशिश करते हैं। जो किसान इस सौदेबाजी से वंचित रहना चाहते है उन्हें रोजाना केन यूनियन कार्यालय से वापस लौटना पड़ता है और अब सभी इस नतीजे पर पहुंच गये ह कि बिना कुछ पैसा दिये भुगतान नहीं पाना है। परिणामस्वरूप रोजाना कर्मचारियों तथा दलालों की साजिश से किसानों की जेब से हजारों रुपया रिश्वत में जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक कहावत है कि "जबरा मारे, रोवे न देय" एक तरफ रोजाना हजारों रुपया रिश्वत के रूप में किसानों की जेब से जा रहा है। दूसरी तरफ किसान इस डर से भी नहीं कह पा रहे हैं कि ऐसा न हो शिकायत करने पर मिलने वाला गन्ना मूल्य जो दस-पाँच रुपया प्रति पर्ची देने के बाद मिल जाता है, वह भी न मिले। जो किसान रिश्वत देकर दलालों एवं कर्मचारियों को सन्तुष्ट कर लेते है उन्हें रात में चुपके से भुगतान किया जाता है जिससे यह भी डर बना रहता है कि ऐसा न हो कि पैसा छिन जाय।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जनहित में माँग करता हूं कि सरकार केन यूनियन, बुढ़वल के शोषित, पीड़ित किसानों की ओर तत्काल ध्यान दे और उनके बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कोई ऐसी माकूल व्यवस्था करे जिससे उनका शोषण बन्द हो तथा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी सदन को कार्यवाही से अवगत करायें।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विद्युत् वितरण खंड, देवरिया भ्रष्टाचार, लूट और अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। इस खंड के कार्यालय, स्टोर्स के साथ ही साथ इसके अन्तर्गत समस्त उपखंडों के कार्यालयों एवं स्टोर्स में भ्रष्टाचार एवं लूट-पाट अपनी चरम सीमा पर है। मेरे एक शिकायती पत्र पर जाँच के दौरान देवरिया जनपद के विद्युत् वितरण खंड में एक लिपिक द्वारा लगभग 6 लाख की रसीदें काटकर उसे बैंक में न जमाकर खुद की जेब में रख लेने की घटना प्रकाश में आई है। हजारों रुपये का फर्जी टी0 ए0 एवं अन्य भत्ते वसूले गये हैं। इससे संबंधित अभिलेखों को गायब किया जा रहा है।

विगत वर्षों में लगभग 17 लाख रुपये के सामान का घपला स्टोर्स में किया गया है। गत वर्ष आई आँधी तूफान से क्षतिग्रस्त खंडों एवं विद्युत् लाइन को ठीक कराने में लगभग 15 लाख रुपये मस्टर रोल पर खर्च किया गया है जिसमें लगभग तीन लाख रुपया केवल सलेमपुर उपखंड में मस्टर रोल पर खर्च किया गया है। इस खर्च का अधिकांश भाग अधिकारियों ने अपनी जेबों में भर लिया। कुल मिलाकर अब तक लगभग 40 लाख रुपया हड़पा जा चुका है।

विद्युत विभाग के इन कार्यालयों में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा करने, बिजली का कनैक्शन लेने और मीटर की चेकिंग कराने आदि में बुरी तरह उपभोक्ताओंका शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार जहाँ कार्यालयों के एकाउन्टस और स्टोरों में अनियमितताओं एवं गबन से विभाग जर्जर होता जा रहा है वहीं जनता भी विभागीय अधिकारियों के शोषण एवं दुर्व्यवहार से त्रस्त एवं चिंतित है।

अतः आज मैं आपकी आज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय विद्युत मंत्री से विद्युत वितरण खंड, देवरिया एवं उसके उपखंडों के कार्यालयों के स्टोर्स तथा अभिलेखों को सील कराकर विशेष आडिट कराने की माँग करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक आदमी निलंबित किया गया और ज्योंही वह निलंबित किया गया और जेल भेजा गया वहाँ पर रिकार्डों की चोरी की जा रही है। मैं विद्युत मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम वह सारे रिकार्डों को सील करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा की तहसील फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में फसलों में कीड़े लगने से क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में चना की फसल को गिड़ार नामक कीड़ा लग गया है जिससे चना के खेत बंजर हो गये हैं और चना में घेघरी ही नहीं आई है जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। अरहर की फली में भी कीड़ा लग चुका है जिससे अरहर के किसान बेहद परेशान है। मटर में भी गिड़ार बड़े जोर से लग गई है जिससे चना, अरहर और मटर की फसल प्रायः नष्ट हो गई है। किसान भारी दुखी और बरबाद हो गया है। जिला कृषि अधिकारी, आगरा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। किसान बिना किसी सहारे के सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रह ह और अपनी वेदना का हल ढूंढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। खलिहान में रबी मटर व खेत में खड़ी मटर, सब बरबाद हो गई है।

मान्यवर, यही नहीं मेरे क्षेत्र में लाहा सरसों की फसल को लहसा लग गया जिससे लाहा के बंजर खेत दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री जी को अनेक बार लिखा गया है और जिला कृषि अधिकारी को इसके लिए कहा लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, चना, मटर, अरहर व लाहा, सरसों के काश्तकार बरबाद हो चुके हैं। उनके पुनर्वास की समस्या है।

मान्यवर, इसी प्रकार जमुना नदी की बाढ़ से बर्बाद ग्रामों को पुनः फरवरी 1979 की बाढ़ ने नष्ट कर दिया है। जो भी फसल खड़ी थी उसमें कीड़ा लग गया है, मटर नष्ट हो गई है। इनके पुर्नवास की भी एक समस्या है।

अतः माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि चना, मटर, अरहर, सरसों, लाही के बरबाद काश्तकारों तथा यमुना की बाढ़ से दो बार बरबाद काश्तकारों के पुनर्वास हेतु प्रभावी सहायता दे और जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी करें तथा बर्बादी को सरकार सदन के संज्ञान में लाये।

रासायनिक प्रयोगशाला, आगरा में व्याप्त अनियमितताओं तथा नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान निम्न तथ्यों की ओर आकृष्ट कर निवेदन करना चाहते हैं कि रासायनिक प्रयोगशाला व कार्यालय का पुनर्निर्माण लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बन कर तैयार हो गया। क्या कारण है कि अभी तक उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण उक्त बिल्डिग में नहीं हुआ ? आगरा के रासायनिक परीक्षक इस समय दो पदों पर कार्यरत है जबकि नियमतः यह गलत है। एक, आगरा परीक्षक के पद पर द्वितीय निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ। इस प्रकार दो स्थानों पर कार्य करने से शासन का हजारों रुपया अपव्यय के रूप में जाता है तथा किसी भी स्थान का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता है।

आगरा रासायनिक परीक्षक ने प्रयोगशाला के निर्माण के समय अपनी कोठी का निर्माण कराया जिसमें हजारों रुपये का सामान अपनी निजी कोठी में लगा लिया।

प्रयोगशाला में दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी प्रयोग रासायनिक परीक्षक द्वारा अपने घरेलू प्रयोग में लाई जा रही है। यह सब कार्य उनके अधीनस्थ कर्मचारी ही करते हैं जिन्हें अवैधानिक रूप से पदोन्नति या अन्य प्रलोभन दिये जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रासायनिक प्रयोगशाला, आगरा में व्याप्त अनियमितताओं तथा नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

आगरा के प्रयोगशाला परीक्षक द्वारा जो विभागीय पदोन्नतियां की जा रही है उसमें भी जातिवाद, रिश्तेदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके कई प्रमाण है जो समय पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

रासायनिक परीक्षक, आगरा द्वारा विभागीय नियमों एवं आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार मोहन मीकिन्स के सैम्पिलों का निरीक्षण कानपुर में होना चाहिए परन्तु यह सब कार्य आगरा के परीक्षक द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका ज्ञान अभी तक मेरी समझ में नहीं आया।

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्युनल द्वितीय क्लैम नं0 445-टी-77 ने परीक्षक के विरुद्ध कई स्ट्रिक्चर पास किये अभी तक उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ।

अतः मैं आपके माध्यम से उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।

प्रदेश की नगर क्षेत्र समितियों की सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर जमींदारों के कब्जे के विषय को नियम 301 के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खेतिहर जमीन की जमींदारी तोड़ी गयी है, वहीं पर नगर क्षेत्र समितियों की सीमा के अन्तर्गत की आबादी में जो जमीने खाली हैं उसकी जमींदारी न तोड़ने से जमींदारों का आज भी प्रभाव बना हुआ है। जबकि गांव सभा की भांति नगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत की सार्वजनिक एवं पोखरा, ताल, गढ़ई, जो टाउन एरिया की सम्पत्ति मानी जाती है, उन जमीनों पर भी जमींदार अपना कब्जा बता कर अवैध तरीके से बेच रहे हैं। इस तरह अवैध बयनामा पर रोक लगाने हेतु कई बार मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। कार्यवाही न होने के कारण नगर क्षेत्र समितियां सिसवा, जनपद गोरखपुर के भूतपूर्व जमींदार जो तत्कालीन सरकार में मंत्री तथा विधायक रहे हैं, सिसवा की सार्वजनिक जमीन भालोदिया के मकान के उत्तर जिस पर सब्जी की बाजार लगती है और मौलहर के घर के सामने की गढ़ई जिसमें नगर का गन्दा पानी एकत्र होता है, उस जमीन को 15 मार्च, 1979 को 48,000 हजार रुपए में बेचने हेतु अग्रिम धन ले रखा है। अधिकतर सिसवा क्षेत्र की जमीने जो सार्वजनिक हैं उसका बयनामा न करके रजिस्ट्री शुल्क की भी क्षति जमींदार द्वारा किया गया है। भूतपूर्व जमींदार के पास हजारों एकड़ जमीन वर्ष 1973–74 में सीलिंग एक्ट लागू होने के पहले थी। किन्तु सीलिंग ऐक्ट का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। यदि नगर क्षेत्र समिति सिसवा के अन्तर्गत की जमीन पर अपना अधिकार बताते हैं तो क्या उस जमीन को सीलिंग में उनके द्वारा दर्शाया गया है? मेरी जानकारी में सिसवा नगर क्षेत्र समिति की जमीन को छुपा कर रखा गया है जिसमें गोपाल नगर में 10 एकड़ जमीन खानगी तौर से इकरारनामा के आधार पर बेच कर रजिस्ट्री शुल्क का भी क्षति भी उनके द्वारा कराया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से सिसवा क्षेत्र नगर समिति के अन्तर्गत की सार्वजनिक जमीन जो टाउन एरिया की सम्पत्ति है जिस पर बाजार आदि लगते है, उस जमीन को जो अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, उस पर अविलम्ब रोक लगाने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय राजस्व मंत्री से बयनामा होने वाले जमीनों पर रोक लगाने की मांग करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मुझे नियमों पर कुछ आपत्ति करनी है . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री नारायण जी ।

श्री गौरी शंकर तिवारी, उप प्रधान, ग्राम सभा खोटही, जनपद देवरिया की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद देवरिया में घटी एक घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 23 मार्च, 1979 को अपराह्न साढ़े सात बजे लक्ष्मीगंज बाजार से आकर खोटही टोला अमवां के बस स्टेशन से दो बीघे तक आगे अपने घर की तरफ जाते हुए श्री गौरीशंकर तिवारी, उप प्रधान ग्राम सभा, खोटही की, हत्यारों ने जो पहले से गन्ने के खेत में छिपे थे भाले और फर्से से मारकर, निर्मम हत्या कर दी ।

मान्यवर, इस हृदय विदारक दुर्घटना से क्षेत्र की सारी जनता सन्तप्त है। देवरिया जिला के थाना रामकोला में ग्राम सभा खोटही छोटी गंडक नदी के तट पर पड़ता है। छोटी गंडक नदी का किनारा जो नेबुआ नौरंगिया तथा रामकोला थाने में पड़ता है, पूर्णतया अशान्त तथा असुरक्षित हो गया है। सही बदमाशों का पता लगाने में पुलिस अक्षम हो गयी है।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देकर, मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करा दिया जाय ।

हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के कतिपय ग्रामों में वन गायों से फसल को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के सदरपुर, रहुला, गदुआपुर, महमदपुर, बधियारी, गौरा, न्योली, सरैया, पड़रा लखनपुर, परसोला, बावटमऊ आदि अनेक गांवों के किसान लगभग 300 वनगायों के प्रकोप से परेशान हैं। गत वर्ष भी उनकी फसलें चर गयी थीं और इस वर्ष भी फसल समाप्त प्रायः है ।

उक्त गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान गत वर्ष भी आकर्षित किया था किन्तु उनको पकड़वाने के कोई उपाय नहीं किये गये। इस बार पुनः शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त वनगायों को अविलम्ब पकड़ाये जाने की व्यवस्था की माँग करता हूं ।

सरकारी वाहनों को किराये पर चलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान विभाग के सरकारी वाहनों को किराये पर चलाये जाने सम्बन्धी अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 7–8 मार्च, 1979 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चलने वाले डम्पर (ट्रक) को व्यक्तिगत तौर पर प्राइवेट कामों में लग कर हजारों रुपये अधिशासी अभियन्ता, श्री रामकृष्ण सहायक अभियन्ता श्री विनोद छाबड़ा एवं जूनियर इंजीनियर श्री गर्ग कमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ट्रक नम्बर 7383 दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 5 व्यक्ति घटनास्थल पर व एक अस्पताल में जाकर मर गये और 4 अभी गंभीर रूप से घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। यह ट्रक करमरा ग्राम में स्कूल निर्माण हेतु रात्रि को प्रतिदिन चन्दखारी भरता था और डेढ़ सौ रुपय प्रति ट्रक किराये के रूप में प्राइवेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ठेकेदारों से लेता था। यह ट्रक अधिशासी अभियन्ता ने पिछली तिथि में चोरी दिखाया है। चूंकि यह दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था तथा किराये पर चल रहा था। इसका प्रमाण घटना के समय उसमें भरी चन्दखारी और मजदूरों को बैठा होना है।

मान्यवर, 6 परिवार नष्ट होने से सम्पूर्ण क्षेत्र में रोष व्याप्त ह तथा उन नष्ट परिवारों के बच्चे और बृद्ध माता-पिता दाने-दाने को मोहताज हैं। जब मैं स्वयं अधिशासी अभियन्ता से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री से लेकर मुख्य अभियन्ता तक को फीड (पोषण) करता हूं इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं है। ऐसी घटनायें तो होती ही रहती हैं। इसके पूर्व भी पी0 डब्लू0 डी0 के ट्रक का चालान इसी आधार पर तालबेहट थाने में हुआ था। इसका एक और उदाहरण मार्च 1979 में 6 सरकारी ट्रकों द्वारा सतना से सीमेन्ट लगभग 5 हजार बोरी न उठा कर प्राइवट ट्रकों द्वारा महरौनी और ललितपुर मंगाया गया जिसमें लगभग 15 हजार रुपये सरकारी धन की हानि हुई। विभागीय ट्रक प्राइवट कामों में लगे रहे। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और जूनियर इंजीनियर हजारों रुपये की अवैध कमाई कर रहे हैं। मरा शासन स अनुरोध है कि तुरन्त हस्तक्षेप कर अपराधी अधिकारी निलम्बित कर जाँच कराये तथा 6 परिवार जो कि पी0 डब्लू0 डी0 के ट्रक से मरे हैं उनके परिवारों की अविलम्ब सहायता जीविकोपार्जन के लिए की जाय।

प्रदेश में ताड़ी बन्दी से लाखों लोगों के बेरोजगार हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ताड़ी बन्दी एवं नीरा नीति से लगभग 20 जिलों के पासी, भर, बेलदार तथा राजभर आदि जातियों के लाखों बेरोजगार की विषम परिस्थिति की सूचना आपके माध्यम से माननीय सदन को दे रहा हूं। मान्यवर, सरकार के मद्य निषेध कानून से हम लोग सहमत हैं लेकिन ताड़ी व्यवसाय पर उपरोक्त जातियों के लाखों लोग आज से दो वक्त के भोजन के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा-दीक्षा तो दूर रहा भोजन और दवा दारू के मोहताज और निराश हो गये हैं। सरकार का अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया है।

मान्यवर, ताड़ी मद्य नहीं है बल्कि औषधि है। आयुर्वेदिक पुस्तकों में इसकी बीसों मर्ज की दवा की चर्चा की गयी है कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे मद्य बना दिया था जिसके भुक्तभोगी उपरोक्त जाति के परिवार हो रहे हैं। नियंत्रित नशीली वस्तु भांग व बीयर में केवल पाँच प्रतिशत अलकोहल होने के नाते नियन्त्रण हटा लिया गया जब कि ताड़ी में उससे कम अलकोहल है, इस पर नियंत्रण लगाना कितना अन्यायपूर्ण है, जो लाखों के जीविको पार्जन का सहारा था। नीरा कानून इतना जटिल है कि इससे ताड़ी पेशेवर व्यवसाय नहीं कर पायेंगे, यह कितना अन्यायपूर्ण है। नीरा नियम जो बना है उससे भ्रष्टाचार पनपेगा और ताड़ी पेशेवर, अधिकारियों के चंगुल में पड़कर तड़प-तड़प कर मर जायेंगे। क्योंकि नीरा का निरीक्षण आबकारी विभाग के अतिरिक्त पुलिस विभाग व राजस्व विभाग और उद्योग विभाग को सौंप दिया गया है।

ताड़ी बन्दी से देश में एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। विदेश में तमाम कच्ची शराब की भट्ठियाँ बढ़ रही हैं। बिहार सरकार ने इन मूल भूत तथ्यों को ध्यान में रख कर ताड़ी से प्रतिबन्ध हटा लिया हैं। आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी और इससे विस्थापित लाखों लोगों को रोजी देने हेतु ताड़ी से प्रतिबन्ध हटा लेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय आबकारी मंत्री जी, यह हजारों परिवारों के रोटीरोजी का सवाल है। आप इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था सोचें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
मान्यवर, आज 23 तारीख है.....

श्री उपाध्यक्ष—
अभी 301 चल रहा है। उसके बाद कहिए।

इटावा में कृषकों के धान के बकाया मूल्य के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद इटावा के लाखों कृषकों के धान की बिक्री की बकाया धनराशि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इटावा जनपद में करोड़ों रुपया चावल मिल व कच्चे-पक्के आढ़तियों पर कृषकों के धान की बिक्री का रुपया बकाया पड़ा है। बेचारा कृषक गन्ने में लूटा गया, आलू ने कमर तोड़ दी साथ ही करोड़ों रुपये धान का बकाया पड़ा है। आज कृषक हितैषी सरकार में किसान की दुर्दशा हो रही है। वैसे भी किसान को धान की खरीद में लूटा गया है और अब भुगतान न करके दुहरी हानि पहुंचाई जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर माँग करता हूं कि अविलम्ब किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान कराने की सरकार व्यवस्था करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उसे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—
अभी नियम 301 चल रहा है।

लखनऊ में एक कार दुर्घटना में घायल रूसी लड़की रोजी के गायब होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—
मान्यवर, करीब 15 दिन पूर्व लखनऊ में एक कार दुर्घटना हुई उसमें रूसी लड़की रोजी का होना बताया जाता है। परन्तु उस लड़की का अब तक पता नहीं है कि वह कहाँ है। रोजी एक बड़े व्यवसायी की विश्वसनीय सचिव के रूप में कार्य करती थी। श्री बहुगुणा के मुख्य मंत्रित्व काल में जब हिन्द-सोवियत मैत्री जोरों पर थी उस समय विदेश मंत्रालय के इन्टेरेस्ट में एक रूसी जोड़ा लखनऊ में कार्यरत था उसमें रोजी भी थी। रोजी क सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह एयर फोर्स आफिसर के साथ संलग्न पायी गयी। अतः यू0 एस0एस0आर0 दूतावास द्वारा लड़की को वापस कराने का आदेश दिया गया परन्तु उस समय उस पर सोने के जेवर चुराने का आरोप लगाया गया और रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिससे उसकी यात्रा स्थगित हो गयी, उसी समय उसका लखनऊ में कालेज का साथ रहने वाला अमेरिका चला गया। मिनिस्ट्री आफ एक्सटरनल अफेयर्स ने रोजी तथा उसके पास के बारे न कोई जाँच किया और न फाइल में इन्टरी की। यह लड़की आपातकाल में एक बड़े राजनीतिज्ञ के सम्पर्क में लखनऊ के एक होटल में आयी जहाँ पर उसने सचिव के रूप में कार्य आरम्भ किया। बताया जाता है कि इस समय रोजी का सम्बन्ध आगरा के ट्रांसफारमर बनाने की उस फर्म से था जिसके ऊपर विद्युत् परिषद् द्वारा अधिक भुगतान का आर्डर विद्युत् परिषद् ने दिया था। यह भी जानकारी है कि आगरा के ट्रांसफारमर बनाने वाली फर्म का एक प्रतिनिधि का हाथ मिट्ठू गावा लड़की के आत्महत्या के सम्बन्ध में बताया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

15 दिन हो गया है कार दुर्घटना के बाद से उस रोजी लड़की का कहीं पता नहीं है और न किसी को जानकारी है। इससे लगता है कि लखनऊ में लड़कियों से सम्बन्ध रखने वाला एक इन्टरनेशनल रैकेट है जिससे देशी लड़कियों के अलावा विदेशी लड़कियाँ भी अछूती नहीं हैं। ऐसी दशा में शासन से अनुरोध है कि रूसी लड़की रोजी कहाँ है, शासन इस पर अपना वक्तव्य दे ।

मान्यवर, मुझे यह भी कहना है कि हिन्दुस्तान टाइम्स के पब्लिकेशन . . .

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप इस पर भाषण भी दे रहे हैं ?

श्री राम अधार—

मान्यवर, यह घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है और जिस आगरे की फर्म के बारे में बताया गया उसकी सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँच भी हो रही है। मैं चाहता हूं कि शासन इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे ।

(कार्य-सूची की मद 2 को लिए जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, नियमों के सम्बन्ध में मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सूचना दी है, उसे आप सुनने का कष्ट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है जिसको मैं आपके संज्ञान भी ला चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर समय आने दीजिए, पहले मद 2 को लेने दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है, उस पर मुझे सुनने का कब मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मद 2 के बाद लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 12 मार्च, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 13 मार्च, 1979 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 23 मार्च, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया ।

राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रि परिषद् के सामने प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्वाइंट आफ आर्डर संविधान से संबंधित उठाना चाहता हूं, जिसकी जानकारी पहले नहीं थी। चूंकि अब पुष्टि हो गयी है, इसलिए अब उठाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

घटी है। अत: उसको एक प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वह गवर्नर का एड्रेस नहीं है जो कि होना चाहिए था, कान्सटीट्यूशनल प्रोप्राइटी के आधार पर, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के सामने स्वीकृति के लिये पहले नहीं रखा गया था, उसे मंत्रिमंडल ने नहीं देखा था और न ही उस पर उसने विचार ही किया था। इसलिए जो गवर्नर का एड्रेस है। वह गवर्वर का एड्रेस नहीं है।

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, यह गलत सूचना है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को सूचित कर दूं कि 28 तारीख को मंत्रि परिषद् की बैठक में इस पर विचार हुआ था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नहीं हुआ था।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, 27 तारीख को मंत्रि परिषद का गठन हुआ और 28 को इस पर विचार हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आपने राज्यपाल को आपत्ति भेज दी है। अब सरकार को जबाब देना शेष है, वे कल दे देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

27 तारीख को पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना था, 27 आदमियों का मंत्रिमंडल 7 मार्च को बना। इसलिए इसे गवर्नर का अभिभाषण नहीं कहा जा रहा है और उस मंत्रिमंडल के सामने यह अभिभाषण नहीं आया....

श्री रमा शंकर कौशिक—

27 तारीख को दल के नेता का चुनाव हुआ और 28 तारीख को मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और उसी दिन उस मंत्रि परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में श्री राज्यपाल का अभिभाषण तैयार हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

27 आदमियों की मंत्रि परिषद ने उसे नहीं देखा, मंत्रियों के पोर्टफोलियों भी बाद में बांटे गये लेबर मिनिस्टर बैठे है, इनको भी 7 तारीख को पोर्टफोलियो मिला, 7 मार्च को मंत्रि-मंडल में यह नहीं रखा गया, नये मंत्रियों को यह मौका नहीं मिला कि वे अपनी राय का समावेश उसमें कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण यहाँ पढ़ कर सुनाया और उस पर इतने दिनों से यहाँ चर्चा हो रही है। आप अगर उसको विधिवत नहीं मानते तो अब उस पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती और रहा यह कि आपने अपना आपत्ति-पत्र राज्यपाल महोदय को भेज दिया है और उसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी भेजी है .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो राज्यपाल महोदय से मिलने भी जा रहा हूं, इसमें तो संविधान की अवहेलना हुई है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मंत्रि परिषद् तो आगे 50 का भी हो सकता है, इसलिये यह कोई आपत्ति की बात नहीं है। 27 तारीख को नेता का चुनाव हुआ और 28 को मंत्रि परिषद का गठन हो गया और 28 तारीख को ही उसकी बैठक हुई जिसमें यह तैयार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यहाँ इस सदन में संविधान की कोई अवहेलना नहीं हुई है। आपने राज्यपाल महोदय को तो लिख कर भेज ही दिया है, देखिये वहाँ से क्या आता है, लेकिन हमारे हिसाब से सदन की कार्यवाही विधिवत चल रही है, इसमें संविधान की कोई अवहेलना नहीं हुई है।

श्री सोहनवीर सिह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक प्रश्न माननीय नेता, विरोधी दल ने उपस्थित किया है....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर तो मैं अपना निर्णय दे चुका हूं, मैं सोचता था कि शायद आप कोई दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री सोहनवीर सिह तोमर—

आप मेरा निवेदन सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठें।

अनुपूरक अनुदानों पर विधान परिषद् में हुई चर्चा को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं संविधान की धारा 204 और 205 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कन्सालिडेटेड फंड से कोई भी पैसा तब तक खर्च नहीं होगा जब तक कि ला न बन जाये। उसी प्रकार जैसे कि अभी आज के एजेन्डे के आइटम 2 में है, जिसे आपने यहाँ पढ़ कर सुनाया। ला बनने के लिये इस सदन से एप्रोप्रियेशन बिल पास होकर विधान परिषद में जाता है, वहाँ से पास होकर गवर्नर साहब के पास जाता है। इस सदन ने 3 अरब, 81 करोड़ की ग्रान्ट्स स्वीकृत कीं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्वाइन्ट जो आप उठाने जा रहे हैं, इसको मैं यहाँ अस्वीकृत कर चुका हूं, यह उठाया जा चुका है। मैं अब इसको पुनः उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

सारे अखबारों में यह आया है कि काउन्सिल की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो निर्णय लिया था, कौन्सिल ने उसे संशोधित कर दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप उस समय नहीं थे, अभी 31 मार्च तक का समय है, यह आपत्ति आपकी उचित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, इस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। हमारे सदन में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अभी 31 मार्च तक का समय बाकी है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन—

अखबारों में सारी रिकमेंडेशन्स, सारी चीजें छपी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक हमारे पास कोई सूचना न आवे, तब तक मैं उसकी नोटिस नहीं लेता।

दिनांक 22 मार्च, 1979 को श्री औसान सिंह के सदन से हुए निलम्बन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न आपकी अनुमति से उठाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने लिखित सूचना भी भेज दिया है। दिनाँक 23–3–79 को इस माननीय सदन के माननीय सदस्य श्री औसान सिंह का जो निलम्बन हुआ था नियम 63 के अन्तर्गत, वह नियम 63 के अन्दर नहीं आता, इसलिए मैंने निवेदन किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

सदन से एक प्रस्ताव पारित हो गया, तो दुबारा हम उसको किस तरह से ला सकते हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जिस समय हम इस सदन में किसी विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करते हैं, उस समय यह हाउस अपनी सामान्य शक्ल में नहीं रहता, उस समय यह हाउस कोर्ट की शक्ल में बैठता है, तो जब यह हाउस कोर्ट की शक्ल में बैठता है, तो उसका एक जूरिस्डिक्शन होता है, अगर उस जूरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई फैसला इस सदन द्वारा होता है, तो वह नल एण्ड व्यायड होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन जो है वह सर्वोपरि है। सदन द्वारा कोई इर्रिगुलेरिटी, अनियमितता हुई है और सदन ने कोई निर्णय ले लिया है, तो वह नियमित हो जाता है और वह निर्णय अंतिम हो जाता है। किस नियम के अन्तर्गत आप कह रहे हैं ? लोक सभा या इस विधान सभा की कोई परम्परा ऐसी रही है कि एक प्रस्ताव सदन में पास हो चुका हो और दुबारा फिर उस पर विचार किया गया हो, तो वह आप बतावें ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, नियम 63 के अन्तर्गत आपने फैसला दिया, नियम 65 में ग्राह्यता की शर्तें दी गयी हैं। इस नियम के उप नियम (1) का (ख) देखें। इसमें लिखा है—"सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो।" मान्यवर, नियम 63 में सजा तभी दी जा सकती है, जबकि सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो। अब मान्यवर, देखें कि इस सदन के जो विशेषाधिकार हैं वह इस सदन को कहाँ से मिलते हैं। इसके लिए मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के उप अनुच्छेद (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है—"अन्य बातों में राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेन्ट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।" मेरा निवेदन यह है कि अभी तक इस सदन ने विधि सम्मत कानून नहीं बनाये हैं। अनुच्छेद 194 के सब-सेक्शन (3) के अन्तर्गत इस सदन के वही विशेषाधिकार हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं।

अब मान्यवर, आपके अधिकार क्या हैं, विशेषाधिकार क्या होते हैं, इसके लिए मैं "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार," महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें पृष्ठ 186 पर विशेषाधिकार डिफाइन किया गया है। विशेषाधिकार की एक सीधी सादी परिभाषा यह है कि विशेषाधिकार "छूट का असाधारण अधिकार" है। इस शब्द का कानूनी अर्थ यह है कि "यह किसी कर्त्तव्य, बोझ,

उपस्थिति या दायित्व से छूट है जो बाकी सबके लिए हो।" लेकिन संसदीय भाषा में यह शब्द सामूहिक रूप से संसद के प्रत्येक सदन और व्यक्तिगत रूप से दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के कुछ ऐसे अधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जिन के बिना वह अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता और जो दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकारों तथा उन्मुक्तियों से अधिक है।"

मान्यवर, इसी सिलसिले में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस, जिसका नाइन-टीन्थ एडीशन मेरे हाथ में है, के पृष्ठ 138 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि--

"Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or absiain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House is a contempt of that House."

श्री उपाध्यक्ष--

इसको आप हिन्दी में बता दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

इसका मैं अनुवाद कर देता हूं। "दोनों सदनों में से किसी भी सदन के किसी आदेश की अवहेलना, चाहे वह आदेश किसी सामान्य प्रक्रिया या व्यवहार के संबंध में हो, या किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष के करने का आदेश देता हो या किसी कार्य विशेष के करने से रोकता हो, वह सदन का अवमान होगा।"

मेरा निवेदन यह है कि इस परिभाषा को जब आप देखेंगे, जिस दिन की वह घटना थी, तो आप पायेंगे कि वह विशेषाधिकार नहीं था इसलिए जो कुछ उन्होंने किया उससे विशेषाधिकार का हनन नहीं बनता है।

मान्यवर, अभी मैंने जैसा आपकी सेवा में निवेदन किया, जिस समय यह सदन बैठता है विशेषाधिकार का फैसला करने के लिए, तब वह कोर्ट की तरह ऐक्ट करता है। कोर्ट के कुछ जूरिस्डिक्शन होते हैं। उसी तरह के जूरिस्डिक्शन हमें भी संविधान के आर्टिकिल 194 (3) में प्राप्त होते हैं। हाउस में नेता विरोधी दल बैठे हैं। माननीय नेता सदन हैं, जो इस समय हाउस में नहीं हैं, दोनों संसदीय मामलों में माहिर हैं, मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूं, अगर एक भी मिसाल हाउस आफ कामन्स की दे दें कि ऐसी घटना हुई है और ब्रीच आफ प्रिविलेज माना गया हो। अगर नहीं हुई है तो हमें यह अधिकार नहीं मिलेगा। इसी तरह से इस देश के अन्दर एक-आध घटना मैंने पढ़ी है। महाराष्ट्र में घोटे पर कन्टेम्प्ट हुआ था। लेकिन वह इस परिभाषा के अन्दर बनता था जो मैंने अभी, 'मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस' में सुनायी लेकिन जो इस सदन की घटना है इस सिलसिले में, मैं कहता हूं कि हम को जूरिस्डिक्शन है या नहीं, यह बात इस सदन को तय करनी है।

संविधान के निर्देशों में हमें अपरिमित अधिकार दिये गये हैं। सवाल आप उठा सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना ब्रीच आफ प्रिविलेज में नहीं आयेगी। तो कैसे इसका निर्णय किया जायेगा। श्रीमन्, सी0 पी0 सी0 में एक दफा 151 है जिसमें इन्हरेन्ट पावर दी है कोर्ट को। उसी तरह से हमारी नियमावली में नियम 313 है जिसमें सारी अवशिष्ट शक्तियाँ दी गयी हैं। आप उस नियम के अन्दर इसको लेकर कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैंने भी कुछ कहा है, आप सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा आपसे केवल एक निवेदन है कि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं था। उसको आप नियम 313 के अन्तर्गत, जिसमें आप को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गयी हैं, रेगुलराइज कर दें अन्यथा यह असंवैधानिक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 313 में जो अधिकार है, उससे सदन के निर्णय को बदल देने का हमको अधिकार नहीं है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, नियम 74 को भी देखने की कृपा करें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, नियम 73 का उपनियम (3) देखने की कृपा करें। 'सदन प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश कर सकेगा कि निलंम्बन का दिया हुआ दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाये।' तो इस तरह का अधिकार है। यह सवाल मैंने नहीं उठाया, सवाल मैंने यह उठाया कि क्या इस सदन को यह अधिकार है कि संविधान के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित कर सकता है। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं जो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं वह माननीय तिवारी जी के प्रश्न से थोड़ा भिन्न है। त्रिपाठी जी ने 314 की बात कही। 314 में साफ लिखा है कि अध्यक्ष के विनिश्चय को चुनौती नहीं दी जायगी। लेकिन इसके बावजूद इस अध्यक्ष पीठ से व्यवस्थायें की गयी हैं और अध्यक्ष को अपने निर्णय को बदलने का भी अधिकार है। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन, 1952 से 67 के पृष्ठ 96 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें है कि अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था हो चुकने के उपरान्त भी अध्यक्ष अपनी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। उस दिन माननीय नेता सदन ने माननीय औसान सिंह को 3 दिन के लिये निलंबित करने का प्रस्ताव किया तो वह प्रस्ताव ही अनियमित है। मुझे वैधानिक आपत्ति है। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था मैं उसको चुनौती दे रहा हूं। आप देखें, पृष्ठ 96 पर है। 11 जुलाई, 1967 को श्री राज नारायण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार के समय श्री हरीश कुमार गंगवार ने आपत्ति की कि आपने व्यवस्था लगभग दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पृष्ठ बतायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पृष्ठ 96 पर है। आगे उसी पृष्ठ पर है कि माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य ने बीच में रोक कर यह इच्छा प्रकट की कि वह कुछ कहना चाहते हैं। तो यहां ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष की व्यवस्था हो जाने के बाद भी अगर अध्यक्ष को इस बात का विश्वास हो गया कि वह व्यवस्था गलत है तो उस व्यवस्था को संतोष के लिये अध्यक्षों ने दोहराया है। तो मैंने उसी भावना से प्रेरित होकर, एक माननीय सदस्य को जो कुछ कहना चाहते थे, अवसर दिया।' उसी पृष्ठ पर मान्यवर, नीचे लिखा है कि 'अध्यक्ष अपनी व्यवस्था के बाद भी किसी सदस्य को बोलने को अनुमति दे सकते हैं।' मैं पृष्ठ 94 के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 'अध्यक्ष किसी विषय पर सदन के मत की घोषणा हो जाने के पश्चात भी विशेष परिस्थितियों में सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दे सकते हैं।' इसी पृष्ठ पर आगे है कि 'किसी विषय पर निर्णय देने से पूर्व सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने या न देने अथवा किसी निर्णय में परिवर्तन करने का अध्यक्ष को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार है। तो माननीय, किसी निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार आपको है। इसलिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि उस दिन जो 3 दिने के निकालने की प्रक्रिया की गयी, मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि जो नियम हमारे बने हैं अगर उनको ताक पर रख कर काम किया जायगा तो क्या मीसा और डी0 आई0 आर0 की पुनरावृत्ति नहीं हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारे उस अधिकार को बतायें जिसमें सदन का एक निर्णय हो चुका हो और विचारार्थ मैं उसको ले सकता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त—

मान्यवर, मैंने इतनी व्यवस्थायें पढ़ी हैं जिसमें आपको अधिकार है कि आप अपनी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो माननीय नेता सदन का उस दिन प्रस्ताव था वह रोक सकते थे लेकिन उसको मानने के पहले नियमों के निलम्बन की आश्यकता थी। जैसे कि अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में प्रस्ताव पास किया है तो उस दिन भी नियम 299 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाये। रखने के लिये किसी को निर्देश दे सकेंगे और यदि वह नहीं निकलता है, तब प्रस्ताव का प्रश्न था। इसलिये सामान्य प्रस्ताव आने की आवश्यकता थी कि नियमों का निलम्बन किया जाय। लेकिन नियमों का निलम्बन नहीं किया गया और प्रस्ताव लाया गया। मान्यवर, श्री औसान सिंह की खास बात नहीं है लेकिन मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों तक, जब तक संसदीय परम्परा की बात है, आपकी व्यवस्था रहेगी। इसलिये मान्यवर, आपसे और नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नियमों के विरुद्ध है उसको कार्यवाही से निरस्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस सदन के असीमित अधिकार हैं और यह सदन चलाया जाता है उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से। व्यवस्था मैं आपकी यह चाहता हूं कि क्या यह प्रक्रिया नियमावली जो हमारा संविधान है उसके यदि विपरीत कार्य करने की सोचे और उस दिशा में प्रक्रिया नियमावली के तहत ऐसे संकल्प या प्रस्ताव यह सदन ले ले जो संविधान के खिलाफ हों तो उस समय प्रक्रिया संचालन के अनुसार काम करेंगे या संविधान के अनुसार ? प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार जो भी संकल्प लिया है या जो निर्णय लिया है उस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप क्या चाहेंगे कि इस सदन ने जब एक निर्णय लिया तो उस समय यदि बुद्धि में बात नहीं आयी कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिये या जो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम अक्षम हैं, तो आप उसको क्या विपरीत नहीं कर सकते, चूंकि एक सदन ने निर्णय लिया है ? इसलिये सदन को निर्णय लेने का अधिकार है तो उसको बदलने का भी अधिकार है। किसी समय भी यदि सदन को मालूम हो जाय कि यह सदन उन मान्यताओं, परम्पराओं और उस संविधान के तहत जिसके अनुसार सारे संकल्प पारित होते हैं, जो नीतियां निर्धारित करते हैं या जो निर्णय लेते हैं, वह संविधान के विपरीत है तो सदन को उसे बदलने का भी अधिकार है।

[श्री राज मंगल पान्डेय]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी परम्परा न बनायी जाय कि आने वाली पीढ़ी हमको कोसे। जब सदन को मालूम हो जाय कि उसने जो निर्णय लिया है वह सही नहीं था तो उसको यदि न बदला गया तो वह देश की व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिये निवेदन है श्री रमा शंकर कौशिक जी से कि वह पार्लियामेन्टरी मान्यताओं और मर्यादाओं को न तोड़ें वरना भविष्य हमें क्षमा नहीं करेगा और जब तक देश जिन्दा रहेगा तब तक वह हमे कोसता रहेगा इसलिए मान्यताओं को आप जख्मी न होने दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, श्री तिवारी, श्री गुप्ता और श्री पांडेय ने संसदीय परम्पराओं की बात कही है, वह अच्छी बात है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि कोई माननीय सदस्य जानबूझकर जंगल के पशु पक्षी की तरह बोली बोले या किसी की नकल करके बोली बोले तो यह क्या संसदीय परम्परा है ? तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ....

एक सदस्य—

अगर किसी का गला खराब हो जाय तो ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर गला खराब हो जाय तो कोई बात नहीं है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नियम 63 के अन्दर स्वयं लिखा हुआ है कि—

"परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो, तो सदन, अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही, कार्यवाही कर सकेगा।"

तो मैं पाँडेय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इस सदन की जो परम्परायें हैं, इसकी गरिमा की रक्षा करें। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, जो सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। किसी की नकल करना और संसदीय परम्पराओं और जनतंत्र की दोहाई देना, इन दोनों में विरोधाभास है। आपको भी अधिकार ह—नियम 314 पढ़ें। आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इस माननीय सदन के सामने जो विशेषाधिकार भंग हुआ है, उसकी कार्यवाही हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परम्पराओं और जनतंत्र की दोहाई दे रहे हैं, कृपा करके उनकी रक्षा करें।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था तो चल रही है, अब व्यवस्था में क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यह व्यवस्था चाहता हूं कि जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा—वह मान भी लें तो यह व्यवस्था देनी पडेगी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बोली को या आवाज को उसी रूप में नकल करके भी बोलता हो तो क्या इसको ब्रीच आफ प्रिविलेज मानेंगे ? क्योंकि किसी की बोली की नकल करना असंसदीय हो सकता है, अमर्यादित हो सकता है, किसी की बोली की नकल करना बहुत अच्छी बात नहीं, तो क्या उसको ब्रीच आफ प्रिविलेज मानेंगे ? मैं नहीं कहता कि यह काम अच्छा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बहस की बात है। हम उस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं कभी नहीं कहता कि यह बात अच्छी है। लेकिन किसी की नकल करना ब्रीच आफ प्रिविलेज है कि नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, जहाँ तक माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने जो कान्स्टीट्यूशन 194 (3) का हवाला दिया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विधान मंडल, विधान सभायें स्वयं सक्षम हैं अपना नियम बनाने में और जहाँ नियम नहीं है, वहाँ हम हाउस आफ कामन्स को देखें। जहाँ तक नियमावली का सवाल है, स्पष्ट रूप से उसमें सारी चीजें हैं। जहाँ तक यह सवाल है कि कौन सा प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न है और कौन सा नहीं है, क्या अवमानना है, क्या नहीं है, यह तो सदन के विवेक पर रहेगा—इसकी कोई परिभाषा कहीं पर संग्रहीत नहीं है। यह व्याख्यात्मक हो सकता है। इसलिये नियम 63 में बिल्कुल स्पष्टरूप से लिखा हुआ। जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा है—कि सदन के अध्यक्ष की अनुमति से, अगर किसी सदस्य के आचरण से किसी की अवमानना होती है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। श्रीमन्, इसी को नियम 68 के तहत नेता सदन ने आपके समक्ष बात रखी थी कि इसको अवमानना मानता हूं और इस बात को कोई भी माननीय सदस्य, बिना पहले सूचना दिये हुये, रख सकता है। उसको सिर्फ नेता सदन ही नही, बल्कि कोई भी सदस्य रख सकता है। इसको मैं सदन की अवमानना मानता हूं और इसी के फलस्वरूप सदन ने एक प्रस्ताव रखा और आपकी अनुमति से उसको पारित किया। मान्यवर, आप देखें नियम 63 के परन्तुक में लिखा है यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सहमति से बिना किसी शिकायत के कार्यवाही कर सकेगा। पहले शिकायत नही हुई लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अवमानना महसूस किया गया और उस पर कार्यवाही के लिये आपसे अनुमति माँगी गयी और प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन ने दण्डित किया। वह तीन दिन के लिए था और आज तो सदस्य सदन में मौजूद भी हैं। इसलिए इस प्रश्न को उठाकर व्यर्थ ही सदन का समय नष्ट हो रहा है, अतः इसे समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं....

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल है। मान लीजिए नेता सदन की आवाज की नकल माननीय सदस्य महोदय ने किया। श्रीमन, गर्मी के दिन है। अगर किसी ने आइसक्रीम खा ली....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने श्री त्रिपाठी जी को बुला लिया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक चीज मैं आपकी व्यवस्था के लिए प्रस्तुत करता हूं। माननीय औसान सिंह ने चाहे गलती से या द्वेषवश नेता सदन की आवाज की नकल किया। मैं यह मान लेता हूं कि जानबूझकर नेता सदन की आवाज की नकल किया और उससे नेता सदन की भावनाओं को ठेस पहुंची। पहला प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह है कि क्या किसी सदस्य की नकल करने से विशेषाधिकार भंग होता है, यह प्रश्न अभी पाण्डेय जी ने भी उठाया। माननीय कौशिक जी ने यह कहा कि सदन इस बात का निर्णय ले सकता है अवमानना हुई और इस सदन ने निर्णय ले लिया। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार का निर्णय लिया जायगा तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लेंगे, कम से कम उसको सुनने का मौका तो देंगे यह जुरिसप्रुडेन्स का एक सेटेल्ड प्रिंसिपल है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम 71 देख लें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

आप नियम 63 और उसके बाद की प्रक्रिया देख लें अथवा नियम 299 देख लें। जब भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध होता है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है यह इसी नियम में संकेत है। माननीय औसान सिंह को सुनने का मौका नहीं दिया गया। माननीय नेता सदन ने जैसे ही प्रस्ताव किया आपने प्रश्न उपस्थित कर दिया और मतदान करा लिया।

मान्यवर, नियम यह है कि जब भी विशेषाधिकार अथवा अवमानना का प्रश्न उठता है पहले उसके बारे में सदन की सम्मति होनी चाहिए, एक फैसला होना चाहिए कि विशेषाधिकार भंग किया गया, उसके बाद दण्ड़ के बारे में मतदान होना चाहिए। आप सदन की उस दिन की कार्यवाही निकलवाकर देख लें। प्रस्ताव प्रस्तुत होते ही उसे मतदान के लिए रख दिया गया। सदन में उस पर कोई विचार नहीं किया और माननीय सदस्य जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी उनको सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया। यह सारी चीजें नियम विरुद्ध हैं बल्कि न्याय के सिद्धान्त के भी विरुद्ध हैं और जिन लोगों ने माननीय सदस्य को निर्वाचित करके भेजा है उनकी भावनाओं को समाप्त करने का यह प्रयत्न है। आपने उन्हें तीन दिन के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने से सदन में वंचित कर रखा है जो नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है। मैं एक बड़ा स्पष्ट प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं कि यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि माननीय श्री औसान सिंह जी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे आप लिखकर भेजें और मैं आज जो सुन रहा हूं इसके ऊपर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखूंगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जो मैंने और राजेन्द्र गुप्त जी ने लिख कर दिया है. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्रस्ताव की शक्ल में नहीं है। आपने जो आपत्ति की है वह कोई प्रस्ताव नहीं है आपका। तिवारी जी, आपका कोई सुझाव है ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि जिस दिन यह चर्चा हुई, जिस दिन यहां यह सन्दर्भ उठा, उस दिन कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में भाग लेने के कारण मैं सदन में दुर्भाग्यवश उपस्थित नहीं था लेकिन समाचार पत्रों से और जो कुछ आज सदन में मैंने सुना, उससे अवश्य यह मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं एक संक्षिप्त निवेदन इस सम्बन्ध में करूं। जो कुछ भी उस दिन हुआ वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है चाहे वह सदन के कक्ष में मारपीट की घटना हुई हो, वह अशोभनीय है। मैं सबसे पहले तो उपनेता सदन के माध्यम से नेता सदन से यह आग्रह करूंगा कि वे क्रोधित न हों। क्रोध संसदीय परम्पराओं का सबसे बड़ा शत्रु है, पहली संसदीय परम्परा यह है कि क्रोधित न हों। कठिन से कठिन, कठोर से कठोर आक्रमण, संसदीय आक्रमण की दशा में भी सदन के नेता को, सबसे अधिक उनका दायित्व है, उनको चाहिए कि वे क्रोधित न हों, आक्रोश में न आवें। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन वे आक्रोश और क्रोध में आ गये।

श्री रमा शंकर कौशिक--

आप तो थे ही नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपकी बात बहुत प्यारी है श्रीमन्, लेकिन हमारी बात भी तो सुन लें। गम्यते यदि मृगेन्द्र मन्दिरम्। मैं यह कह रहा था कि श्रीमन्, कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इस सदन में किसी माननीय सदस्य की बोली पशु-पक्षी या जंगली जानवरों से मिलती है। हर एक की अपनी बोली होती है, अपना उच्चारण होता है। श्रीमन्, यह भी मुझे आश्चर्य हुआ इस सदन में सुनकर कि पशु-पक्षी और जंगली जानवरों से किसी सदस्य की बोली की तुलना की जाय। इस सदन में हम लोग सबकी वाणी सुनते आए हैं और हमारे नेता सदन तो हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी वाणी पर हमें बड़ा गर्व है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई इस प्रकार का सन्दर्भ नहीं उठना चाहिए कि हम किसी की बोली की यहां निन्दा करें। मेरी बोली भी किसी को कर्कश लग सकती है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं कितना ही मधुर भाषण करने की चेष्टा करूं लेकिन मेरे किसी मित्र को बुरा लग सकता है। इसलिए सवाल कर्कशता का नहीं है, सवाल यह है कि अपनी संसदीय पद्धति में कई बार यह प्रश्न आ चुका है, माननीय सदस्य सीतापुर ने तो एक दिन का हवाला दिया, होता यह है कि जब कभी सदन के सामने ऐसी बात आती है तो आप कहते हैं कि 'अवमान हो गया ह, मैं इसको इंगित करता हूं'। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उस दिन किसी माननीय सदस्य को इंगित किया ? क्योंकि प्रक्रिया शुरू करनी सिर्फ आपके हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 63 के परन्तुक में इंगित करना आवश्यक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वही निवेदन तो मैं कर रहा हूं कि अवमान हुआ है ? विशेषाधिकार भंग हुआ है ? जब सदस्य भाषण कर रहे हों तो भाषण करना अवमान नहीं है। इस सदन में भाषण करना अवमान नहीं माना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे संक्षेप में आप कहें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

माननीय सदस्य उस दिन उपस्थित नहीं थे तो उस के बारे में अपनी राय बेमतलब आप दे रहे हैं। सब गलत बात कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या इस सदन में भाषण देना अवमान है, प्रश्न यह है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सदस्य बोल रहे थे। वह भाषण देने के अलावा क्या कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दें। इसमें प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि अवमान क्या हुआ था। उस दिन मैं उपस्थित नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने क्या किया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

उस दिन की कार्यवाही पढ़ लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, कौन सा अवमान हुआ जिसके कारण वह दंड़ित किए गए ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कार्यवाही आपके पास भिजवा दूंगा आप उसे पढ़ लीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री बता दें, अवमान क्या था ? कौन सी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो सोचता था कि कोई ऐसी बात आवेगी कि जिस प्वाइंट पर यहाँ चर्चा चल रही है कि क्या अध्यक्ष को अधिकार है कि सदन का जो निर्णय है उसे वह किस प्रकार विचारार्थ दुबारा ले सकते हैं। केवल एक ही मुद्दा यह था जिसके बारें में मैं सुनना चाहता था।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अवमान क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो सदन का एक निर्णय हो चुका है।

श्री रमा शंकर कौशिक---

आप भी निर्णय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके ऊपर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

एक सुझाव सुन लीजिए. . .

श्री उपाध्यक्ष---

निर्णय सुरक्षित रखा गया है। आप बैठें। और ज्यादा समय नहीं लें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

मैं एक बात कहना चाहता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो निर्णय सदन में किया है उस पर पुनर्विचार हो सकता है या नहीं। दो बातें सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि पनिशमेंट का बुनियादी सिद्धान्त है कि पनिशमेंट एविडेन्स पर होता है। मैंने सारी कार्यवाही पढ़ी है उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि श्री औसान सिंह ने कुछ एक शब्द कहे। तो मान्यवर, कैसे सजा दी गयी। दूसरी बात दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकता। एक पनिशमेंट तो यह दिया जा चुका है कि श्री औसान सिंह ने जो कुछ कहा वह कार्यवाही से निकाला जा चुका है। तो सदन में इसका पुनर्विचार कैसे हो सकता है ? यह सदन तो नियमावली के अनुसार ही निर्णय करेगा। अगर यह सदन यह प्रस्ताव पास करता है कि रेलवे के मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो इम्प्लीमेन्ट कर देंगे ?

इस सदन के निर्णय लेने की कुछ सीमाएं होती हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल की बात का समर्थन करता हूं कि जो एविडेन्स का रिकार्ड नहीं है तो उस पर निर्णय कैसे लेंगे ? मैं आपकी रूलिंग की ओर संकेत करता हूं जो इसी सम्बन्ध में है। संकलन दो जो है उसके पृष्ठ 57 पर ऐसी ही घटना का जिक्र है। एक सदस्य ने कुछ ऐसे शब्द कह थे जो जनतन्त्र प्रणाली के खिलाफ थे. . .

श्री रमा शंकर कौशिक---

उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया तो उस पर बहस क्यों हो रही है ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

माननीय कौशिक जी व्यवधान न डालें। इस तरह सदन नहीं चलेगा. . .

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने तोमर जी को इजाजत दे दी थी इसलिए वह बोल रहे थे। माननीय तोमर जी ने जो उद्धरण दिया है पृष्ठ 57 का वह हमारे पास मौजूद है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं कह रहा था कि जब कोई एविडेंस का रिकार्ड नहीं है तो उस पर निर्णय कसे लेंगे ? सदन में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है और जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वह रूल्स तथा संविधान के खिलाफ है। वह आपरेटिव नहीं होगा।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रदेश में जनता के बीच एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गयी है, अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है। 22 तारीख को जब यहाँ पर अनुपूरक बजट पर मतदान हुआ था उस वक्त मुख्य मन्त्री ने इस हाउस में मध्यावधि चुनाव की ओर संकेत किया था इसी मसले को लेकर 23 मार्च को मुख्य मन्त्री जी प्रधान मन्त्री से मिले हैं अखबारों में भी यह खबर निकली। इससे प्रदेश की जनता में अनिश्चितता को स्थिति ही नहीं है वरन् प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी इस अस्थिरता से निरंकुश बनते जा रहे हैं और शासन का कारबार पूरे तौर से ठप्प होने जा रहा है। इसके बारे में जानकारी करने का सदन को अधिकार है। माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं, अन्य मन्त्री बैठे हैं मैं चाहूंगा कि वह स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्न ले रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी दवा दारू मंत्री जी बोल रहे थे। उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्य समय नष्ट कर रहे हैं। आपके आसन से इसके सम्बन्ध में व्यवस्थाएं हुई हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष—

उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

(व्यवधान)

उरई में वकीलों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

एक निवेदन मुझे करना है। उरई के कलेक्टर के आदेश से वहां के 300 वकीलों पर जो शान्ति पूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे थे उस पर एस0पी0 की मौजूदगी में लाठी चार्ज हुआ। इस सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत मैंने 2 घंटे की चर्चा के लिएं सूचना दी थी। समाचार पत्रों में भी इस सम्बन्ध में चर्चा प्रकाशित हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय पत्रावली नहीं है। वह कार्यालय में होगी। मैं बतला दूंगा। अभी सदन की कार्यवाही चलने दें। आपकी सूचना आ जायगी नियम 51 में या अन्य नियम में चर्चा के लिए तब देख लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय आरिफ मुहम्मद खां ने नोटिस दिया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सन्दर्भ है अत: इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में स्वीकार कर लिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, सदन कल या परसों उठ जायेगा और जो सवाल उठाया गया है वह बड़ा अहम सवाल है इसलिए कम से कम सरकार का इस पर वक्तव्य करा दें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आज या कल दो घंटे की चर्चा करा दें। विधान परिषद् में इस पर आज चर्चा हो रही है और इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मन्त्री जी के पास जिले से सारी सूचनाएं आ गई हैं जिससे चर्चा कराने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आज 3 बजे कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक है। उसमें निश्चय कर लेंगे कि कब वक्तव्य दिलाना है। अब हम विशेषाधिकार के प्रश्न लेते हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

सबको आपने बोलने का मौका दिया मुझे भी आप अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें। जिन लोगों ने औसान सिंह के बारे में बयान किया है और निर्णय के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब स्थिति यह है कि जो मन्त्रि पद से उतर गए हैं उनकी बुद्धि का विकास हो चुका है. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आपकी बात समझ में आ गई।

श्री बाँके लाल—

जब सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर थीं. . .

(व्यवधान)

यहाँ पर निर्णय लिया गया था। 6 महीने की सजा हुई थी और आज निर्णय बदल दिया गया। उस समय नारायण दत्त तिवारी और राज मंगल पाण्डेय मौजूद थे. . . .

(व्यवधान)

किसी व्यक्ति के बारे में अगर उसको इंगित नहीं किया और उसकी नीयत साफ है. . .

(व्यवधान)

सदन में शेर और सियार की बोली बोली जा रही है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

विद्युत् मंत्री व विद्युत् सचिव के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री औसान सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय विद्युत् मन्त्री तथा विद्युत् सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। श्री औसान सिंह का कहना है कि माननीय विद्युत् मन्त्री ने पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 का गलत उत्तर दिया है। किन्तु माननीय सदस्य श्री औसान सिंह ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिस से यह सिद्ध हो सके कि माननीय विद्युत् मन्त्री . . .

(व्यवधान)

ने तथा विद्युत् सचिव ने जान बूझ कर सदन को गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी है।

(श्री औसान सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

विशेषाधिकार का प्रश्न तभी बनता है जब जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के प्रमाण हों। इसके अतिरिक्त श्री औसान सिंह दिनाँक 23 मार्च से, जिस दिन उन्होंने यह सूचना दी है, सदन की सेवा से तीन दिन के लिए निलम्बित किए जा चके हैं, अतएव

इस आधार पर भी उनकी सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतएव मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं. . .

(श्री औसान सिंह के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

जब यहाँ से कोई निर्णय या घोषणा हुआ करे तो कृपया उठकर न बोला करें।

गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि 12 मार्च, 1979 को वे शून्य प्रहर में देवरिया जनपद की दो चीनी मिलों बेतालपुर तथा देवरिया पर गन्ना किसानों का एक करोड़ रुपए के बकाए का विषय सदन के संज्ञान में लाए थे। मैंने इस सम्बन्ध में शासन को यह आदेश दिया था कि इस पर तत्काल कार्यवाही करके मिल मालिकों को निर्देश दे दिए जायं जिससे गन्ना काश्तकारों की परेशानी दूर हो। माननीय सदस्य का कहना है कि उन्हें इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और इस प्रकार माननीय गन्ना विकास मन्त्री ने सदन का अवमान किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी करण (चतुर्थ संस्करण) के पैरा–1(ङ) के अनुसार सम्बन्धित मन्त्री नियम 301 के अन्तर्गत सदन में उठाई गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच कराकर सम्बन्धित सदस्य को एक हफ्ते में अपने हस्ताक्षर से उत्तर देंगे। और यदि सात दिन में सूचना न दी जा सके तो सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर भिजवा दें। मैं माननीय गन्ना विकास मन्त्री का ध्यान उक्त निदेश की ओर आकृष्ट करते हुए उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करके माननीय श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी को सूचित करने की कृपा करें। मैं इसे सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के "किस्सा कुर्सी का—जनता स्टाइल" के लेखक श्री के० आर0 सुन्दरराजन तथा उक्त पत्र के प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहनवीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 2 मार्च, 1979 के संस्करण में एक लेख "किस्सा कुर्सी का–जनता स्टाइल" के सम्बन्ध में उक्त लेख के लेखक श्री के0 आर0 सुन्दरराजन् तथा उक्त पत्र के प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का एक प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य की शिकायत है कि लेख में विधायकों के चरित्र को अनेक प्रकार से लांछित किया गया है। पूरा लेख जानबूझ कर माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय विधायकों की छवि को धूमिल करने तथा उन्हें जनता की निगाह में गिराने का प्रयास है।

मैंने श्री तोमर द्वारा दी गयी सूचना की एक प्रतिलिपि "दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली के सम्पादक को वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने हेतु भेजी। सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने श्री तोमर की सूचना श्री के0 आर0 सुन्दरराजन् के पास वस्तुस्थिति की जानकारी देने हेतु भेजी। श्री के0 आर0 सुन्दरराजन् ने अपने 20 मार्च, 1979 के पत्र में कहा है कि उनके लेख से विधायकों अथवा सदन की गरिमा के कम होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उनके लेख में विधान मण्डल के कार्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने केवल दल के निर्वाचन में राजनीतिज्ञों के व्यवहार की आलोचना की है। जिसे सदस्य के नाते उनके कत्तव्यों पर आक्षेप नहीं माना जा सकता। दलीय निर्वाचन में राजनीतिज्ञों के रूप में व्यवहार और सदन में सदस्य के नाते किए गए कार्यों में बहुत अन्तर है।

[श्री उपाध्यक्ष]
उन्होंने यह भी कहा ह कि यदि उनके लेख में कोई तथ्य सम्बन्धी भूल हो तो हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक को लिखा जा सकता है जो क्षुब्ध व्यक्तियों के वक्तव्य को छापने के तत्पर होंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने अपनी सूचना में स्वयं ही कहा है कि लेख में जो आक्षेप लिया गया है वह जनता विधान मण्डल दल की बैठक में नेता के निर्वाचन के सम्बन्ध में है। महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 247 के अनुसार "सभा के एक भाग या सभा के किसी दल विशेष के लिए मान-हानिकारक शब्दों के प्रयोग को सभा का अवमान नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका प्रभाव सारी सभा पर नहीं पड़ता। लोक सभा में एक मामला हुआ था, जिसमें समाचार-पत्रों के अनुसार एक राजनीतिक नेता ने एक सार्वजनिक भाषण म कहा था कि विधान मण्डल में एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि "ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेगा" और "ऐसे लोग हैं जिनका जीविका का कोई अच्छा साधन नहीं है।" अध्यक्ष श्री आयंगर ने इस विशेषाधिकार प्रश्न की अनुमति नहीं दी। (लोक सभा वाद-विवाद 20-4-60 स्तम्भ 12729–34)।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, श्री आयंगर ने ब्रिटेन के हाऊस आफ कामन्स के अध्यक्ष के विनिर्णय का हवाला दिया। इस मामले में डेली मेल में छपे एक सार्वजनिक भाषण में सभा के एक भाग को "पागल टोरी–जलील, बदमाश और पाजी" की संज्ञा दी गई थी। व्यक्तियों और दलों के लिए प्रयुक्त किए गए कठोर शब्दों के सम्बन्ध में आवश्यक हो तो, मानहानि विषयक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सारी सभा के लिए किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन बुरे विशेषणों का प्रयोग कुछ लोगों के लिए किया गया है। इसलिए मेरे विचार में इन शब्दों के आधार पर प्रत्यक्षत: विशेषाधिकार भंग का कोई मामला नहीं उठता, [हाऊस आफ कामन्स का वा0वि0 (1954–55) का0 35–36]।

अत: दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स के 2 मार्च, 1979 के संस्करण में छपे लेख "किस्सा कुर्सी का, जनता स्टाइल" में इस सदन के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता और तदनुसार मैं श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा अभिसूचित इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

विधान सभा सदस्य सर्वश्री औसान सिंह, रणवीर सिंह व मुकीमुर्रहमान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—
उपाध्यक्ष महोदय—

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठें। दिनांक 23 मार्च, 1979 को राज्यपाल दीर्घा और डायस के बीच विधान सभा मण्डप के दरवाजे की ओर आने वाले रास्ते में कुछ माननीय सदस्यों के बीच हुई घटना जिसके बारे में दिनांक 23 मार्च, 1979 को सदन में उल्लेख किया गया था, के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं, 23 मार्च, 1979 को प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मुकीमुर्रहमान की माननीय सदस्य श्री औसान सिंह और श्री रणवीर सिंह के विरुद्ध है।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री औसान सिंह की माननीय सदस्य श्री मुकीमुर्रहमान के विरुद्ध है, जो माननीय सदस्य श्री औसान सिंह के निलम्बित होने के बाद उनसे प्राप्त

हुई है, जिसे नियमानुसार देने का अधिकार, निलम्बित सदस्य होने के नाते उन्हें नहीं था। इस कारण वह ग्राह्य नहीं की जा सकती।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की माननीय सदस्य श्री मुकीमुर्रहमान के विरुद्ध है।

उक्त स्थल, जहाँ यह घटना हुई बताई जाती है, सदन के परिसर के भीतर है। सदन के परिसर के भीतर इस प्रकार की घटना का होना दुखदायी होने के साथ-साथ सदन के सदस्यों से सदस्य के नाते अपेक्षित आचरण के विरुद्ध तथा सदन की गरिमा के प्रतिकूल माना गया है। अतएव, मैं माननीय श्री मुकीमुर्रहमान तथा माननीय सदस्य श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचनाओं को विशेषाधिकार समिति को परीक्षा, जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट करता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, आपने मेरे से एक वायदा किया था, मान्यवर, मैंने राजमंगल पाण्डेय के विरुद्ध जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसे आपने स्वयंमेव सुनने के लिए इसी सदन में कहा था। मैं उसी पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 23 तारीख को 'आज' दैनिक अखबार में प्रकाशित होने वाले उनके एक वक्तव्य की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस दिन के अंक में, 22 तारीख को जो यह मतदान हुआ, उसके बारे में उन्होंने नियमों के सर्वथा विपरीत जाकर कहा है। श्रीमन् नियम कहता है, उसमें आपने एक व्यवस्था दी और इस नियमावली के 298 (2) में निश्चित है कि विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जाय और उस पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी।" लेकिन मान्यवर, उसमें पाण्डेय जी ने उस पर आपत्ति की है और केवल इतना ही नहीं कि हमारे माननीय सदस्य श्री पाण्डेय जी ने उस मत विभाजन को चुनौती दी, वरन् यह भी साथ में कहा कि दैनिक 'आज' के पत्रकार को उन्होंने बताया कि इससे भी दिलचस्प बात तो यह थी कि दो मन्त्रियों श्रीमती चन्द्रावती और श्री रामाधार पाण्डेय ने सदन के नियमों के विरुद्ध मतदान किए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि यह दोनों मन्त्रिगण उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे। यह पूरी तरह से शरारतपूर्ण और भ्रमक वक्तव्य इसलिए दिया गया है ताकि इस तरह का भ्रम उठ सके।

श्री उपाध्यक्ष—

यह 'शरारतपूर्ण' शब्द जो है, उसे आप वापस लें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैं वापस लिए लेता हूं. . .

(व्यवधान)

पाण्डेय जी अभी बोलेंगे। इस सूचना के विषय में विशेषाधिकार हनन की जहाँ तक बात है..

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' एक साथ खड़े होकर बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

उनको मैंने बुलाया है, उनको आप सुनें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

यह मेरा व्यवस्था का सवाल है, आप सुनें। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं नहीं बैठूंगा। नियमों के तहत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, आप मेरी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठें। मैंने एक सदस्य को बुलाया है, तो उसके बीच में व्यवस्था नहीं होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं नहीं बैठूंगा, मुझे मजबूर होकर यह करना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कुछ कहेंगे, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप कृपा करके बैठ जायं। इस तरह से आपका यह कहना कि नहीं बैठूंगा अध्यक्ष पीठ का बिलकुल अवमान है। आप सदन को कायदे से चलने दें। जब मैंने सत्यदेव जी त्रिपाठी को बुलाया है तो आपको सहन-शक्ति के साथ उनकी बात सुननी चाहिए और मैं आप को मौका दूंगा अगर आप कोई बात कहेंगे। लेकिन इस बीच में बोलना, यह कोई ठीक चीज नहीं है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, लोक सभा में. . . .

एक सदस्य—

व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता। एक माननीय सदस्य को बुलाया हुआ है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आपने बुलाया है, कुछ कहने के लिए, गाली देने के लिए नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपत्तिजनक शब्द था वह उन्होंने वापस ले लिया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपया सुन लें, यह शरारतपूर्ण, नीचतापूर्ण. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने वापस ले लिया। मैंने उनको निर्देश दे दिया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

माननीय मुख्य मन्त्री को निर्देश दे दें कि उनको स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर बना दें। यह बन्द हो जाय।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इसी तरह का एक सवाल. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

त्रिपाठी जी, आप कोई ऐसी बात न कहें, जिससे. . . .

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

11 मई, 1965 को लोक सभा में श्री बी0 सी0 शुक्ला ने श्री मधु लिमये के खिलाफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया था। जर्नल आफ दि सोसाइटी आफ दि क्लार्क्स आफ दि हाउस . . .

श्री देव बहादर सिंह (जिला नैनीताल)—

आपको विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मिल चुकी है या वैसे ही बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मिल चुका है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

लोक सभा में शुक्ला साहब का जो मामला था श्री मधु लिमये ने स्पीकर लोक सभा द्वारा..

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री सत्यदेव त्रिपाठी से) आप बैठिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इतनी लम्बी चौड़ी बहस और उसके बावजूद अपनी जबान त्रिपाठी जी खराब कर रहे हैं, उनको परेशानी है, मैं मान लेता हूं, स्वत: चाहता हूं, आप प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज दें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसके बारे में एक व्यवस्था की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके ऊपर मैं निर्णय बाद में दे दूंगा। उन्होंने जो लिखकर भेज दिया है और जो बताया, वह भी सुन लिया। माननीय पाण्डेय जी ने जो कहा है उसको भी सुन लिया है। यह हमारे ऊपर है कि इस तरह का प्रश्न हम विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं या नहीं। किसी के कहने से थोड़े ही भेज देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

कोई प्रश्न विशेषाधिकार समिति में तभी भेज सकते हैं जब भेजने लायक हों, किसी के कहने से नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने स्वयं कह दिया। भेजने वाला होगा तभी भेजूंगा। वह तो मैंने कह दिया। अगर भेजना होगा तो भेजूंगा। किसी के निवेदन के ऊपर, किसी के अनुरोध के ऊपर थोड़े ही भेजूंगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

किसी ने अभियोग लगाया। मुद्दाअलेह ने तसलीम कर लिया। तो आप भेज ही दें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देख नहीं पाया हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था। माननीय त्रिपाठी जी को भाषण देने का शौक है। त्रिपाठी जी जैसे आदमी को जिनकी नजर कुर्सी पर लग सकती है, संसदीय परम्पराओं, संसदीय मान्यताओं के सम्बन्ध में उनको कुछ समय निकाल कर कुछ पढ़ना चाहिए। अभी आपने निर्णय दिया कि जो भी अखबार में छपा है उसका कागनीजेंस माननीय सदन नहीं लेता है। एक अखबार में जो चीज छप गयी उस पर भाषण देते चले जा रहे हैं और आप भाषण दिलवाते चले जा रहे हैं।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, इस पर तो रूलिंग हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

सुन तो सकते हैं। वह शब्द तो उन्होंने वापस ले लिया है। तो ओझा जी अब आपको आपत्ति क्या है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जब अखबारों में छपी हुई चीज का कागनीजेन्स यह सदन नहीं लेगा, तो उनको भाषण दिलाने का क्या औचित्य था ? आपने तो इस पर निर्णय ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार जो बात आती है उसको सुनने का मौका देना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय तोमर जी ने एक प्रश्न दिया था। आपने उनको नहीं सुना और आपने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अखबारों के बारे में कह रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में जो लिखा है उसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

राम आसरे वर्मा ने उठाया था, और उस पीठ से कई बार निर्णय हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिसको मैंने आवश्यक समझा उसके लिए समय दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आपकी समझ तो सर्वोपरि है।

एक सदस्य—

जिस चीज का आपने उदाहरण दिया कि अखबार में निकला। माननीय पाण्डेय जी ने अपने भाषण में कहा और यह कार्यवाही में लिखा हुआ है। आप उस दिन की कार्यवाही को उठा कर देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैं निर्णय देते समय उसको देख लूंगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर को प्राप्त 'मुख्य मंत्री द्वारा धमकी' के तार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट का मौका दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

आप मुझे सुन लें। आपको मैंने एक सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज आई है। हम कल आपको मौका देंगे। अभी हमारे सामने नहीं आई है। कल मैं आपको मौका दे दूंगा। अभी मैंने देखा नहीं है।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैंने नियमानुसार सूचना 10 बजे आपके कक्ष में दी है। टेलीफोन द्वारा भी सूचना दी है और आपने वादा किया था कि सदन में कहने का मौका दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मेरे सामने नहीं आया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर को प्राप्त 'मुख्य मंत्री द्वारा धमकी' के तार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मेरे घर से तार आया है कि मुख्य मन्त्री ने मेरठ जाकर धमकी दी है क्योंकि तोमर ने मेरे खिलाफ सदन में मत दिया है उनके घर का घेरा करो और घर से बच्चों को स्कूल न जाने दो। कल तक मेरे घर पर कोई घटना हो गयी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? माननीय मुख्य मन्त्री जी कल चलें मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं और जनता से पूछ लें। दोनों इस्तीफे दे दें और दोनों चुनाव लड़ लें। मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे सामने आ जाने दीजिए।

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है और वह यह है कि क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित हुए हैं :—

(1) डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)
(2) श्री पूरन चन्द्र एडवोकेट (अल्मोड़ा)

नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज समाचार पत्र कार्यालय में गैर कानूनी तालाबन्दी से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

मैसर्स एसोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जो लखनऊ से दैनिक समाचार-पत्र (1) नेशनल हेराल्ड (अंग्रेजी), (2) नवजीवन (हिन्दी), (3) कौमी आवाज (उर्दू) प्रकाशित करती है। इसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या लगभग 558 है। पिछले काफी समय से सेवायोजकों द्वारा आर्थिक कठिनाई के कारण कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण औद्योगिक अशान्ति रही है।

वेतन के समय से भुगतान न किए जाने को लेकर पहले जुलाई, 1978 में प्रतिष्ठान में कुछ समय के लिए हड़ताल हुई थी और बाद में कुछ कर्मचारियों ने 28 व 29 दिसम्बर, 1978 को अनशन किया था। वित्तीय एवं व्यावसायिक कठिनाइयों के कारण सेवायोजकों ने 11 जनवरी, 1979 से 25 जनवरी, 1979 तक समस्त कर्मचारियों को बैठकें भी की थीं।

माह जनवरी, 1979 का वेतन समय से भुगतान न करने के कारण श्रमिकों में काफी उत्तेजना रही थी। कुछ श्रमिकों ने 1 मार्च, 1979 को सायंकाल समाचारपत्रों के प्रकाशन हेतु मंगाए गए न्यूज प्रिन्ट की 6 रीलों को बरामदे में ही पड़ा रहने दिया और छपायी के लिए अन्दर नहीं जाने दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान के तीनों समाचारपत्रों का, प्रकाशन 2 मार्च, 1979 से बन्द हो गया और अभी भी बन्द है। सेवायोजकों ने 4 मार्च, 1979 को नोटिस देकर कर्मचारियों को सूचित किया कि यदि वह 5 मार्च, 1979 को कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें मजबूर होकर तालाबन्दी या बन्दी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बाद में सेवायोजकों ने कर्मचारियों द्वारा कार्य पर आने की अवधि 6 मार्च, 1979 तक बढ़ा दी थी। इसके बाद सेवायोजकों ने 6 मार्च, 1979 को सायं 6 बजे से अनिश्चितकालीन तालाबन्दी घोषित कर दी जो अभी भी चालू है।

सेवायोजकों द्वारा जनवरी, 1979 माह का वेतन कुछ अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों जैसे कुली, हाकर, दफ्तरी, चपरासी को वितरित करने की सूचना 3 मार्च, 1979 के नोटिस द्वारा दी थी, लेकिन श्रमिक उसी दशा में उक्त वेतन प्राप्त करने के लिए तैयार थे जब सभी कर्मचारियों को यह वेतन एक साथ वितरित किया जाय। श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर,

[श्री क्रान्ति कुमार]

लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करके सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सेवायोजकों को देय धनराशि रु0 67,422.74 को वसूल करके होली से पूर्व 13 मार्च, 1979 को ही वितरित करा दिया गया था। उसके अलावा श्रम विभाग ने सेवायोजकों के माध्यम से भी 12 मार्च, 1979 को कर्मचारियों को जनवरी, 1979 मास के वेतन का 50 प्रतिशत धनराशि जो लगभग एक लाख रुपया होती है समस्त कर्मचारियों को वितरित कर दी थी। अद्यतन स्थिति यह है कि 22 मार्च, 1979 के सायं 5 बजे तक 70 कर्मचारियों/अधिकारियों—जिनका वेतन लगभग रु0 28,850 के हैं—को छोड़कर समस्त कर्मचारियों को जनवरी, 1979 माह का वेतन वितरित किया जा चुका है। सेवायोजकों ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च, 1979 द्वारा सूचित किया है कि जनवरी, 1979 माह का वेतन समस्त कर्मचारियों को वितरित किया जा चुका है जिसकी पुष्टि विभागीय अधिकारियों से कराई जा रही है।

माह फरवरी, 1979 का वेतन भी श्रमिकों को दिनांक 7 मार्च, 1979 को देय हो गया है जो अभी तक सेवायोजकों ने वितरित नहीं किया है। सेवायोजकों ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 1979 द्वारा सूचित किया है कि 1 मार्च, 1979 से श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण वह श्रमिकों के माह फरवरी, 1979 के वेतन का भुगतान का ब्योरा बताने में असमर्थ हैं। इस माह के वेतन भुगतान के लिए सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को देय धनराशि की जानकारी हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। उक्त धनराशि के ज्ञात होते ही सेवायोजकों के विरुद्ध वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

जहां तक श्रम विभाग द्वारा सेवायोजकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का सम्बन्ध है, वर्ष 1976–77 के बोनस का समय से भुगतान न करने के कारण उनके विरुद्ध एक प्रामियोजन नवम्बर, 1978 में दायर किया गया था। दिसम्बर, 1978 व जनवरी, 1979 का समय से वेतन भुगतान न करने के कारण उ0 प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा-समय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सेवायोजकों के विरुद्ध दायर किए गए दो मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं। 11 जनवरी, 1979 से की गयी अनधिकृत बैठकी के सम्बन्ध में केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक अन्य प्रामियोजन चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में 19 जनवरी, 1979 को प्रतिष्ठान के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर तथा मैनेजर-कम-आकूपायर के विरुद्ध दायर किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

मेसर्स एसोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ के ऊपर प्राविडेंट फण्ड तथा राज्य कर्मचारी बीमा योजना के निम्नलिखित देय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर तथा क्षेत्रीय निदेशक, राज्य कर्मचारी बीमा योजना ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च, 1979 द्वारा सूचित किए गए हैं :—

(1)	प्राविडेंट फण्ड	.. रु0 7,48,000 जून 1977 से फरवरी, 1979 तक।
(2)	ई0एस0आई0	.. रु0 4,22,218.71
	ई0एस0आई0 का क्षतिभार	रु0 4,50,246.91

प्राविडेंट फंड के उपरोक्त देय के लिए सेवायोजकों के विरुद्ध रु0 7,05,000 के वसूली प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा तथा ई0एस0आई0 के उपरोक्त देयों में से रु0 3,91,606.34 के लिए क्षेत्रीय निदेशक, ई0एस0आई0 कारपोरेशन द्वारा कलेक्टर, लखनऊ को वसूली पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्राविडेंट फंड का पैसा जमा न करने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर द्वारा एक एफ0आई0आर0 भी धारा 406/409 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्राविधान अधिनियम, 1952 की धारा 14–ए के अन्तर्गत सेवायोजकों के विरुद्ध

नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज समाचार पत्र कार्यालय में गैर कानूनी तालाबन्दी से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्राभियोजन भी दायर कर दिए गए हैं। कलेक्टर लखनऊ शासकीय विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स को देय विभिन्न धनराशियों को अटैच की कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक प्रतिष्ठान पर रिसीवर बैठाए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 286–ए के अन्तर्गत यह अधिकार कलेक्टर में निहित है और वे ही उस अधिकार का प्रयोग मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में करने के लिए सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा उनको इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया जाना विधिक दृष्टि से उचित न होगा।

प्रतिष्ठान द्वारा घोषित तालाबन्दी के विवाद को सुलझाने हेतु श्रम विभाग द्वारा संराधन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

चांदपुर, जिला बिजनौर मे कुछ लड़कों द्वारा होली का चन्दा जबरन वसूल करने तथा श्री हीरा लाल वरुण, पुलिस इन्सपेक्टर के बीच-बचाव करने पर उन्हे पकड़ कर मारने की घटना के सम्बन्ध मे वक्तव्य

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 13–3–79 को सायं 3 बजे के लगभग श्री सुरेश चन्द्र देवरा ने थाना चाँदपुर जिला विजनौर पर सूचना दी कि बाजार चाँदपुर में ढाली पर होली के कुयें पर मोहल्ला साहूवान में बनिये व उनके लड़के लोगों को रोककर जबरदस्ती रंग डालने की धमकी देकर पैसा माँगते हैं। इस सूचना पर इन्सपेक्टर श्री हीरा लाल वरुण सादे कपड़ों में दो हेड कांस्टेबिलों एवं एक कानिस्टेबिल के साथ घटनास्थल पर गये। हेड कांनिस्टेबिल बृजपाल सिंह ने थाना चाँदपुर में सायं 4–20 बजे रोजनामचा में रिपोर्ट लिखाई कि वह तथा दो अन्य पुलिस कर्मचारी पुलिस निरीक्षक के साथ घटनास्थल पर गये थे तथा नवीन कुमार नामक व्यक्ति को धारा 34 पुलिस अधिनियम तथा धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके थाने भेजा गया। इसी सिलसिले में चार नामजद तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने निरीक्षक श्री हीरा लाल वरुण को पकड़ लिया और धकेल कर गाली देते हुये कुयें की तरफ ले गये। इस बीच 8–10 व्यक्ति थाने पर आये और पुलिस कर्मचारियों से कहा कि तुम्हारा इन्सपेक्टर हमारे कब्जे में है, अगर तुमने नवीन कुमार को बन्द किया तो तुम्हारे इन्सपेक्टर की हड्डी नसीब नहीं होगी। इस पर पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस निरीक्षक की जान के खतरे को देखते हुए नवीन कुमार को उन लोगों को दे दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिलाधिकारी, बिजनौर अतिरिक्त परगना मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपाधीक्षक अतिरिक्त फोर्स के साथ चाँदपुर घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री वरुण पुलिस निरीक्षक, श्री शर्मा, ए0 डी0 ओ0 के मकान में सुरक्षित है किन्तु भीड़ उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दे रही है। अधिकारियों के समझाने बुझाने पर भी जब भीड़ वहाँ से नहीं हटी तो उन्होंने बल प्रयोग की चेतावनी दी। इसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई और अधिकारी श्री वरुण को थाने लाये। थाने पर श्री वरुण पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त घटना के संबंध में पन्द्रह नामजद तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर अभियोग संख्या 71 धारा 147/149/332/323/379/342 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 3/7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कायम किया गया। नौ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनमें से दो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद थे। उपरोक्त नवीन कुमार आदि की ओर से अधिकारियों को एक सूचना दी गई थी जिसमें पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध शराब पीकर गाली गलौज करने का उल्लेख था। उक्त सूचना के आधार पर थाना चाँदपुर पर अभियोग संख्या 70 धारा 147/323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

श्री हीरालाल वरुण का डाक्टरी मुआयना कराया गया जिसके अनुसार उनको 18 चोटें पाई गई जो साधारण थीं। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक चाँदपुर पहुंचे। दोनों पक्षों ने मैजिस्टीरियल जाँच कराने की माँग की। दोनों पक्षों की ओर से लगाये गये आरोपों एवं प्रत्यारोपों तथा उत्पन्न तनाव को देखते हुये जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक 16-3-79 को मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये। चाँदपुर में इस समय स्थिति सामान्य है। मैजिस्टीरियल जाँच प्रचलित है।

यह कहना सही नहीं है कि हरिजन एवं मुसलमानों ने जब अधिकारियों का घिराव किया तब पुलिस इन्सपेक्टर को छुड़ाया गया बल्कि पुलिस निरीक्षक को छुड़ाने के लिये अधिकारी पहले ही प्रयत्नशील थे। यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों के दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। होली के पर्व के कारण नाजुक स्थिति को देखते हुये गहराई से छानबीन तथा धैर्य एवं सूझबूझ से कार्यवाही की गई। यह सही नहीं है कि हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने मामले को रफादफा करने के लिये पुलिस अधीक्षक निर्देश दिये थे बल्कि मंत्री जी ने मामले की छानबीन करके उचित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देश किये थे।

पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ को आदेश दिये गये है कि वे इस मामले की जाँच करें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनाँक 26 मार्च, 1979 को नियम 56 के अन्तर्गत 1 सूचना प्राप्त हुई, जिसको मैंने अस्वीकृत किया। श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री छेदी लाल की है वह 14 मार्च, 1979 को बिजनौर जिले के दरोगा श्री अरुण कुमार को पीटे जाने तथा 20 मार्च, 1979 को कानपुर नगर के दरोगा श्री ओ0पी0 मिश्रा द्वारा हत्याकांड के अभियुक्तों के गिरफ्तार करने पर श्री मिश्रा के निलम्बन से पुलिस जनों में असंतोष के संबंध में है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

श्रीमन्, यह बहुत अहम मामला है। श्रीमन् 1974 में इस प्रदेश में पुलिस ने विद्रोह किया था, इस प्रदेश की सरकार पलट दी गयी। आज हर शहर के थाने में जनता पार्टी के सदस्य जाकर थानेदारों को प्रेसराइज करते हैं, गलत काम कराते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप अपने भाषण में कहियेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

श्रीमन् कानपुर में दिन दहाड़े हत्या हुई। यह फोटो स्टैट कापी है श्रीमन्, दो मिनट विपक्ष को भी मौका दे दें। ओ0पी0 मिश्रा, थानेदार, अनवरगंज ने तत्काल हत्याकाण्ड के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, इसके बाद जनता पार्टी के सदस्यों ने थाने पर घेराव किया और कहा कि इस थाने का थानेदार इंदिरा गाँधी की पार्टी के है और वहाँ पर हरिजन दरोगा के मुंह में पेशाब किया जाता है। मान्यवर, कौंसिल में आपने इस बात को मंजूर किया है। श्रीमन् वहाँ के दरोगा को पीटा गया और उसके साथ ज्यादती की गयी, लेकिन यहाँ के मंत्री यह कह कर आये है कि अभी कोई ऐक्शन न लिया जाय। जिन्होंने दरोगा के साथ ज्यादती की, उसके खिलाफ अभी ऐक्शन न लिया जाय। क्या यह जायज है कि दरोगा को पीटा जाय और उसके मुंह में पेशाब किया जाय और मंत्री जी यह कह कर आ जायं कि कोई कार्यवाही न की जाय। यह कितनी बड़ी ज्यादती है मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

अब क्रम संख्या 9—श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने माननीय पुरुषोत्तम कौशिक को बुला लिया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय शम्भूनाथ चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी पक्ष के नेता जब बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रीमन् कोई बहुत ही धीर और गम्भीर शान्त बगुला सरोवर के तट पर बैठ कर मछलियों को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ा रहा है। स्वस्ति वाचन कर रहा हो जैसे कोई भेड़िया हिरन की खाल ओढ़ कर भेद भरे भावों से भेड़ों को भड़का रहा हो, उनकी हिमायत कर रहा हो। बड़ी गम्भीर भाषा है उनकी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोर मधुर वाणी में बोल रहा हो। मोर की वाणी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है "बोलहिं बचन मधुर जिमि मोरा, खाहिं महाअहि हृदय कठोरा।" इस प्रकार की भाषा में वे बोल रहे थे। श्रीमन्, एक बात और विरोध पक्ष के माननीय नेता श्री श्यामधर मिश्र ने कही कि यह अभूतपूर्व घटना है। मान्यवर, जो आदमी इधर से उधर चला जाता है तो कई पूर्व लग जाते हैं। कोई प्रेतपूर्व है, कोई पिशाचपूर्व है, कोई भूतपूर्व है और कोई अद्भुत और अभूतपूर्व है। मान्यवर, यह सारी स्थितियाँ जो हैं वह पैदा हो जाती हैं।

(इस समय 2 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन को बता देना चाहता क मैं मानता हूं कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब विरोध पक्ष का उचित सम्मान व सह ग हो। लेकिन एक बात है श्रीमन् विरोध पक्ष का भी कुछ दायित्व है। यह बात कहना कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया, इसमें 27 मंत्री हैं, माननीय नेता, विरोधी दल ने जो आपत्ति की है वह सरासर अनुचित है, तो श्रीमन्, वह भी नेता विरोधी पक्ष का विरोध भी संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन किया है क्योंकि नेता विरोधी दल शासन की त्रुटियों की समीक्षा कर सकते हैं अन्दरूनी व्यवस्था में दखल नहीं दे सकते। मान्यवर, आज संसदीय मामलों में तमाम ज्ञान रखने वाले मौजूद हैं, नेता सदन ने, माननीय मुख्य मंत्री ने विभागों का बंटवारा किस प्रकार किया है क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, यह मुख्य मंत्री का निजी अधिकार है। कल वह कहेंगे कि किस को कौन सा बंगला दिया गया है, आफिस कैसा एलाट किया है, फर्नीचर क्या है, क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मान्यवर, आपातकाल की बातें क्या प्रदेश के लोग भूल गये हैं। जो इधर से उधर बैठे हैं कोई गिद्धदृष्टि, संचय दृष्टि इस प्रकार सारी दृष्टियाँ मौजूद हैं।

"इस पार प्रिये तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा।"

श्री गुलाब सेहरा (जिला—आगरा)—

श्रीमन्, यह अच्छे सुर में हो जाये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि आखिर इस समय देश कैसा चल रहा है। 30 बरस के कांग्रेसी शासन काल में ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। जिस ब्यूरोक्रेसी के

---

†22 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

[श्री पुरुषोत्तम कोशिक]

वृक्ष का बीजारोपण हुआ उस विष वृक्ष को उन्होंने सीचा वह पुष्पित पल्लवित हो रहा है। मौजूदा पीढ़ियां उस ब्यूरोक्रेसी के जो विषय फलों को भी चखेगी। श्रीमन् 30 वर्षों में जो कुछ किया गया है यह उसी का परिणाम है। आपात कालीन घटन के सम्बन्ध में उस समय के एक कवि दुष्यन्त ने कहा है——

"ऐसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं,
अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं,
मौलवी की डाँट सुन कर अहले मक्तव, फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं।"

श्रीमन् मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस प्रदेश की करोड़ों की जनता एक बात सोच रही है घटकवाद की ओर, झटकवाद की ओर। घटकवाद में एक बड़ा घटकवाद बैठा है। और वह है घटोत्कच। यह घटोत्कच सारे घटकों को निकाल देगा और यह घटोत्कच है मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी का घटोत्कच। वह तब तक नियंत्रित नहीं होगा जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा।

आज दो चीजे हैं जिस तरह से शरीर में शिरा और धमनी में एक तरफ गंदा खून और दूसरी तरफ साफ खून होता है और गंदे खून की सफाई हो रही है इसी तरह से जो छोटी-छोटी ग्रामीण इकाइयाँ है उनके ऊपर कुठाराघात करके आज देश के ग्रामीण खून ब्लाक, तहसील, जिला, कमिश्नरी, प्रस्तर होते हुये सीधे केन्द्र तक जा रहा है और सारी व्यवस्था केन्द्रित की जा रही है।

गाँधी जी के ग्राम राज्य पर आज छुरी हावी दिल्ली हो, चुपचाप साधे पंजे चुहों के बिल पर ज्यों भूखी बिल्ली है। इसलिये मैं साथ-साथ यह भी आगाह करता हूं कि शासन में सत्ता का विकेन्द्रीकरण तत्काल किया जाय और बड़े पदों का सृजन रोका जाय। बड़े-बड़े पदों का सृजन हो रहा है और छोटे पद दबाये जा रहे हैं। जन और तंत्र अलग हो गये हैं। तंत्र जन पर हावी होता जा रहा है। हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी उसी तंत्र को बल पहुंचा रहे हैं। कहते हैं सब राजनीतिक जीवन भ्रष्ट हो गया है, सी0 बी0 आई0, सी0 बी0 आई0 का मतलब मान सरोवर का राजहंस होता है। क्या सारा राजनीतिक जीवन भ्रष्ट हो गया है? श्रीमन्, यह परिस्थितियाँ इसलिये है कि तंत्र जन पर हावी हो रहा है। जन अलग है तंत्र अलग है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की नींव दिन प्रति दिन खोखली होती जा रही है, प्राथमिक इकाइयाँ ग्राम पंचायतें कमजोर होती जा रही है। हमारी स्पष्ट माँग है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गाँधी जी की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की पद्धति आज ध्वंशावशेष के रूप में रह गयी है। मैं मांग करता हूं कि फसलों की बीमा योजना हो। आज किसान बर्बाद हो रहा है, किसान की कमर टूट रही है। अरबों रुपयों की फसल बरबाद हो रही है। हमारे प्रदेश की 2 नकदी फसलें हैं गन्ना और आलू। गन्ना और आलू की दुर्गति हो रही है। गन्ना मंत्री जी उपस्थित है और वह कृषि मंत्री भी हैं, गन्ना और आलू ही किसान की नगदी फसलें है उसकी बरबादी हो रही है और दूसरी तरफ 3 अरब रुपया इस ब्यूरोक्रेसी की अकुशलता से खर्च नहीं किया गया जो केन्द्र सरकार का पैसा था। यह राजद्रोह है, यह देश द्रोह है। सिंचाई विभाग में पच्चीस करोड़ समर्पित हो रहा है यह स्पष्ट राजद्रोह है।

श्री अधिष्ठाता——

अब आप समाप्त करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——

श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

(श्री शफीकुर्रहमान वर्क का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं दूसरे नम्बर पर था।

मैं सदन छोड़कर जा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका नाम दूसरे नंबर पर है।

(श्री लक्खी सिंह अपने आसन से उठकर जाने लगे, लेकिन पुनः वह अपने आसन पर बैठ गये।)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है और इस सिलसिले में जो पालिसी राज्यपाल महोदय ने पेश की है यकीनन चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक हो या सनत के मुताल्लिक हो या किसानों या बिजली के मुताल्लिक हो उस सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार ने इनके लिये जो पालिसी बनायी है, मुझे उम्मीद है कि जो कमियां अब तक रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जायगी।

इसी सिलसिले में मै चन्द बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारी सरकार अरबों रुपये प्लानिंग पर खर्च कर रही है लेकिन किस तरह रुपया खर्च हो, इस पर कैसे कंट्रोल हो और सही तरीके से खर्च किया जाय, समय पर खर्च किया जाय इसके लिये कोई ऐसी कन्ट्रोलिंग बाडी नहीं है जिससे अरबों करोड़ों रुपये नष्ट जो होता है वह न हो और बजट पर भार न पड़े। इसलिये मिसाल के रूप में मैं कहूंगा कि 1972 में स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट के तहत मानेटरिंग एन्ड साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट डिवीजन बनाया गया था ताकि जो पैसा खर्च हो वह उसको देखें। तो प्लानिंग में चाहे पावर हो, इर्रीगेशन हो, पी0 डब्लू0 डी0 हो सभी में यह बात है।

मैं इर्रीगेशन के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जो पैसा इसमें खर्च हुआ है वह समय पर खर्च नहीं किया गया, सरकार को फैसले लेने में देर लगी और कुछ देर में काम शुरू किया गया, इस लिए जो खर्च हुआ वह बजट पर भार पड़ा। 'कास्ट आफ डिले इन डिसीजन मेकिंग' किताब के पेज 38 में टेहरी डैम में जो ओरिजनल इस्टीमेट कास्ट थी वह 197.92 करोड़ थी लेकिन समय पर खर्च न करने से रिवाइज्ड कास्ट 305 करोड़ रुपये हो गयी। इस तरह 125.60 करोड़ रुपये का खसारा हुआ। इसी तरह गढ़वाल में 40.99 करोड़ ओरिजनल कास्ट थी जो कि 86.34 करोड़ हो गयी और इस तरह 31.02 करोड़ खसारा हुआ। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं कि जो बजट पेश किया गया प्लानिंग के सम्बन्ध में उसमें ठीक से खर्च नहीं किया गया और इसलिये ज्यादा खर्च हुआ।

इसी तरह मान्यवर, कालागढ़ में रामगंगा प्रोटेक्ट में 4 इक्सकेवेटर्स सरप्लस पड़े हुये हैं जो कि 1964 में खरीदे गये थे जिनकी कास्ट 30.8 लाख रुपये थी जिनके काम करने की क्षमता 15 हजार घंटे की है लेकिन आज उसकी कास्ट 15 लाख फी इक्सकेवेटर्स है। इस तरह दुगुने का फर्क हो गया। इसी तरह 27 डम्पर्स विभाग में पड़े हैं जिसमें 4 सरप्लस है और उनकी भी कीमत में आज बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग का पैसा खर्च होता है, अगर सरकार उसको वक्त पर सर्व करे तो उससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो कमी है, मैं समझता हूं, हमारी सरकार उसको दूर करेगी और जो कम्युनल रायट्स होते रहे है, उन पर रोक लगायेगी। साथ ही साथ मैं जनता सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने आर0 एस0 एस0 पर जो पाबन्दी लगायी है, वह लगी रहेगी और उनकी शाखायें नहीं लगने दी जायेंगी।

दूसरे, यह कि मैंने अभी जो 19 मार्च को सवाल किया था, जिसमें पूंछा था कि मुसलमानों की तादाद सर्विसेज में क्या है, कितने डी0 एम0 और ए स0 एस0 पी0 हैं; मान्यवर

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

56 जिलों में डी0 एम0 की संख्या केवल 1.8 परसेंट है, जो बहुत कम है और इसी तरह से, एस0 एस0 पी0 का परसेंटेज जीरो है। इसी तरह से और भी सर्विसेज में मुसलमानों का रिप्रेजेन्टेशन बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों का रिप्रजेन्टेशन, जितनी उनकी आबादी है, उतना उनको मिलना उनका आईनी हक है, और उतना उनको मिलना चाहिये। हम कोई भीख नहीं माँगते, बल्कि यह तो हमारा आईनी हक है।

जहाँ तक योजनाओं का ताल्लुक है, सरकार ने जो देहातों के लिये योजनायें तैयार की हैं, उसमें सड़कें भी बनेंगी। मेरे क्षेत्र और तहसील सम्भल, बिलारी और हसनपुर में अभी एक किलो के ओले पड़े हैं, ऐसे किसानों को, जिनकी फसल का सफाया हो गया है, अनाज बिल्कुल नहीं पैदा होगा, उनको भी मेरा निवेदन है कि सरकार उनको मदद देगी।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 30 सालों से मुसलमान कौम के साथ नाइंसाफी हुयी है। हमने भी जनता सरकार के लिये कुर्बानी दी है, मीसा में बंद रहे हैं। मुसलमानों के खून से यहाँ की जमीन लालाजार है। हर कदम पर मुसलमानों ने कुरबानी दी है, अपना खून बहाया है। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को उनका हक मिलना ही चाहिये। उनके साथ इंसाफ किया जाय और जो उनके साथ नाइंसाफी होती है, वह न होने पावे। उनके साथ जो सेकेन्ड क्लास का बर्ताव किया जाता है, वह न किया जाय।

इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मुसलमानों का सवाल यहां उठा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है ? क्यों उन पर जुल्म हो रहा है ? जनता पार्टी को उसके बारे में भी सोचना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस तरह से नहीं। सरकार का सभी तरफ ध्यान है।

श्री हरी सिंह—

सवाल सारे प्रदेश का है, किसी कौम या बिरादरी का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री लक्खी सिंह

मान्यवर, मैं पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और माननीय शम्भूनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है और जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है, उसकी एक-एक कलम मैंने पढ़ा है। बदकिस्मती है कि यहां नेता विरोधी दल नहीं हैं मेरे सामने। नेता विरोधी दल का ढपोरशंखो भाषण मैंने सुना। अधिष्ठाता महोदय, हमारे ब्रज में ढपोरशंख कहा करते हैं जैसा नेता विरोधी दल ने भाषण दिया है।

श्रीमन्, हमारी सरकार ने, मैं देख रहा हूं कि सन् 1936 से (श्री देव बहादुर सिंह के कुछ कहने पर) यह महाशय जो बोल रहे हैं यह तो उस समय थे भी नहीं, यह तो नये मुल्ला बनकर आये हैं। सन् 1936 की मिनिस्ट्री से लेकर आज तक जितना काम हुआ है, जितनी हमारी सरकार ने किया है, उतना कभी नहीं हुआ है। हर गांव में सड़क, काम के बदले अनाज, एक नयी नीति यह जनता सरकार के दिमाग की देन है और श्रीमन्, यह जरूर देखा कि जो खून बहाकर हमारी आजादी को लाये महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस और डाक्टर राममनोहर लोहिया और लाखों किसानों के बेटे बलिदान हुए, उस आजादी को हड़पकर यह बैठ गये। यह हमने जरूर देखा कि मिश्रा जी जो हमारे सामने बैठे हैं, यह हाथ उठाते रहते थे, जन आन्दोलन को मिटा रहे थे। यह हम नहीं करेंगे। श्रीमन्, आप देखें, हमारी सरकार है लेकिन हम यहां भी उनकी हां में हां नहीं मिलाते। जो मंत्री गड़बड़ करता है उसी का पोस्टमार्टम

भी हम करते हैं। यह राज्यपाल का भाषण वह भाषण है, शायद थोड़े पन्नों में है, लेकिन वह भाषण हिन्दी में है, हमारी राष्ट्रभाषा में वह भाषण है जो कि इनकी सरकार के समय किसी भी राज्यपाल ने नहीं दिया। श्रीमन्, यही नहीं.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लक्खी सिंह जी, राज्यपाल के अभिभाषण सदैव हिन्दी में होते हैं।

श्री लक्खी सिंह—

मैं झगड़ा नहीं करूंगा दाढ़ीवाले भाई की तरह.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माध्यवर, यह दाढ़ीवाले रियासत हुसैन को कह रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुझे नहीं, वर्क साहब को कह रहे हैं।

श्री लक्खी सिंह—

रियासत हुसैन लाल टोपी वाले मेरे साथी हैं यह न गड़बड़ करें क्योंकि लाल टोपी बड़ी खतरनाक होती है। श्रीमन्, हमारे वित्त मंत्री जी श्री दिघे शायद यहां नहीं हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह अभी मंत्री बने हैं। श्रीमन्, यह सरकार में गड़बड़ न करें, इसलिए इन मंत्रियों को जरा ठीक करो, टाइट करो, इसके लिये हम बराबर हवा भरते रहते हैं। कांग्रेस ने गड़बड़ किया उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो श्रीमन्, मेरे जिले में वित्त मंत्री जी गये ... मधुकर दिघे जी, नाम भी तो महाराष्ट्र का है। बहुत घोषणाएं कर आये कि शेरगढ़ में जमुना पर पुल बनेगा आप भी गये थे, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे साथी रहे हैं। श्रीमन्, वृन्दावन का पुल बनेगा, माननीय रावेश्याम शर्मा गये थे, वहां घोषणा कर आये, झूठ बोल आए और अभी तक एक ईंट नहीं जमी वहां। जनता के सामने जवाब नहीं दे सकते हम।

यह जो सामने बैठे हैं, इन्होंने तो वह किया कि अंग्रेजों ने रेल के पुल पर मथुरा पर गैलरी बना रखी थी पैदल जाने वालों के लिये, परिक्रमा देने वालों के लिये, गरीब सब्जी बेचने वालों के लिये, और यह त्रिपाठी की सरकार ने, और ऊदल है यहां ? यह नकली कम्युनिस्ट है, यह इंदिरा के बाथरूम वाला कम्युनिस्ट है, इन्होंने मिलकर वह गैलरी तुड़वा दी और त्राहि-त्राहि करते हैं मथुरा के लोग। जिस शहर में कृष्ण पैदा हुए हैं वहां सारी दुनिया का यात्री आता है, वह गैलरी तुड़वा दी।

श्री ऊदल—

इंदिरा से हमारा क्या मतलब ?

श्री लक्खी सिंह—

मीसा में आप इंदिरा का ही तबला बजा रहे थे। यहां सार्वजनिक निर्माण मंत्री हों तो नोट करवाओ, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण को जमुना से पार करके ले गये, गोकुल पर पुल बनना चाहिए। अभी भी गोकुल पर पुल नहीं है। एक पुल वृन्दाबन पर बनना चाहिए और एक पुल शेरगढ़ पर बनना चाहिए जहां किसान गन्ना लाते हैं और पुल है नहीं। मिल है छाता में और पुल है नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लक्खी सिंह जी, अब समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय सदस्यगण बैठ जायें।

श्री लक्खी सिंह—

मथुरा नगरी वह है जहां से क्रान्ति पैदा हुई। अन्याय का मुकाबला किया मथुरा ने, कृष्ण पैदा हुआ और कंस जैसे राक्षस को मार दिया। अब श्रीमन्, इसमें भी यह जनता सरकार के मंत्री जो अभी नये बने.....

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

[श्री लक्खी सिंह]

तुम चिन्ता मत करो, तुम्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, त्रिपाठी उम्मीद लगाये बैठा है, रावत फड़फड़ा रहा है और उधर अनीस झींकता पड़ता है। हमें न किसी ने मंत्री बनाया और न झींकें। मुझे जनता ने बनाया है और दो लाख जनता ने बनाया है। अगर यह सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी और जो राज्यपाल ने भाषण दिया है, पांचवें पन्ने को देखो, पांचवे पन्ने पर बोलते हैं राज्यपाल जी मद्यपान के बारे में। मैनेजर सिंह ने कहा कि दारू मंत्री है, चले गये। मद्यनिषेध के जिलों के नाम नहीं दिये हैं। सबसे पहले मथुरा में मद्य-निषेध होना चाहिए। सब से पहले तीर्थ स्थान में शराबबंदी होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के भाषण का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस समय जो श्री शम्भूनाथ चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हमारे समक्ष है मैं उसका घोर विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।

मान्यवर, मैंने इस अभिभाषण का एक-एक शब्द पढ़ा। इसमें हर एक वर्ग के लोगों का वर्णन है। उनके जीवन में कैसे सुधार किया जाय उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, शिक्षक आदि। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पूरे अभिभाषण में किसी भी जगह एक शब्द भी महिलाओं के प्रति जिक्र नहीं है। केवल यही नहीं सरकार के पक्ष के लोग पिछले तीन दिनों से लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे है, विपक्ष के लोग भाषण दे रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो जैसा सरकार पक्ष वैसा विरोध पक्ष, जैसा नाग नाथ वैसा सांप नाथ। किसी भी व्यक्ति ने जो बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ महिलाओं की समस्याओं के ऊपर प्रकाश नहीं डाला (व्यवधान) देखिये मैंने आप लोग जब बोल रहे थे तो कोई व्यवधान नहीं डाला। कृपा कर मुझे बोलने का मौका दीजिए। केवल एक महिला को सारे सेशन में आपने बोलने का मौका दिया है। मैं इतनी आपसे उम्मीद करती हूं कि मेरे भाषण में बाधा न डाली जाय।

तो मैं कह रही थी कि अभिभाषण में कहीं पर भी महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। यह मैं मानती हूं कि जब एक जनरल तरीके से तरक्की होगी तो उसमें महिलाओं का भी फायदा होगा मैं इससे इन्कार नहीं करती हूं लेकिन कुछ महिलाओं की अलग समस्यायें हैं जिन को अलग तरीके से हैन्डल करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं इतना कहती चाहती हूं कि चाहे महात्मा गांधी के शिष्य यहां बैठे हों, चाहे श्री जय प्रकाश नारायन के यहां शिष्य बैठे हों, मैं साफ कह देना चाहती हूं कि कोई भी क्रान्ति पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमें महिलाओं का पूर्णतया सहयोग न हो यह गांधी जी ने कहते-कहते अपना शरीर त्याग दिया। महिलाओं की वजह से गांधी जी के मूवमेंट को आन्दोलन को सफलता प्राप्त हुई। मान्यवर, केवल यह स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति का जन्म ही आज से पांच हजार पूर्व महिलाओं की त्याग और तपस्या से हुआ जैसा कि गीता और रामायण से हमें उपदेश मिलता है।

आज की महिला की क्या दुर्दशा है। मन्यवर, समय कम है लेकिन मैं एक महिला की समस्या आप के सामने पेश करती हूं। जो महिला त्याग और तपस्या की एक मूर्ति है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है? आज उस महिला को एक व्यापार का साधन बना दिया गया है। मान्यवर, अभी कुछ दिनों पहले की घटना आप को याद है बस्ती की। वहां क्या हुआ? यह हमारे लिए कलंक का विषय है। इसके लिए केवल सरकारी पक्ष को दोष नहीं दिया जा सकता। मैं सम्पूर्ण पुरुष जाति को दोष देती हूं कि जिनके रहते हुए ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्दशा महिलाओं की आज यहां पर हो रही है लेकिन फिर भी हमारे शरीर में खाना उतर रहा है। इसी प्रकार एक महिला का किस प्रकार अपमान किया गया इसकी भी घटना आज के अखबार में है ।

मिट्ठू गावा की घटना, जो कि मेडिकल कालेज में हुई। मैं हिन्दी में अनुवाद करना चाहती हूं "ऐसे व्यापार के मामले का पता चला है जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी लोग शामिल है और छोटी-छोटी नाजुक कन्याओं, भोली-भाली कन्याओं को व्यापार का माध्यम बनाने की कोशिश हो रही है।" मान्यवर, पहले भी मैं यह प्रश्न आपके सामने पेश कर चुकी हूं लेकिन इस पूरे अभिभाषण में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि किस तरह हम महिलाओं की इज्जत की रक्षा कर सकेंगे और जालिम व्यापारियों से हम उनको बचा सकेंगे। आप सिनेमा के पोस्टर्स को देखें, सिनेमा को देखें किस तरह से उनके रूप का प्रदर्शन किया जाता है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहती हूं क्या ये सिनेमा के पोस्टर्स का प्रदर्शन आपकी बहनों का, आपकी मां का अपमान नहीं है, आपकी बेटी का अपमान नहीं है ? महिलाओं को व्यापार का माध्यम बनाया जाय इसके लिये मैं अत्यन्त खेद प्रकट करती हूं।

जिस तरह से हमने मायनारिटी कमीशन बनाया है, पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया है उसी तरह से एक वीमेन कमीशन भी बनाना चाहिये जिसमें महिलाओं की विशेष समस्यायें हल की जायं और यह उनके सम्बन्ध में जो समस्यायें हैं उनका विशेष तौर से समाधान कर सके। जहां तक कानून का सवाल है औरत उसका फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि उसके पास पैसा तथा वकील नहीं है जिनके जारिये वह अपने सम्मान तथा जीवन की रक्षा कर सके।

आरक्षण की बात की जाती है। निम्नवर्ग के लिये, हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है लेकिन मैं जानना चाहूंगी की महिलाओं के आरक्षण के लिये आपने क्या किया है ? हजारों लाखों महिलायें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकती हैं लेकिन उनके लिये कोई सिलसिला रोजगार तथा तरक्की करने का नजर नहीं आता। मेरा निवेदन है कि महिलाओं को भी 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। हमारे अन्दर कोई जाति भेद नहीं है। सब महिलायें बराबर हैं। हम महिलाओं को हर प्रकार क क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिये। हमारी सीट्स रिजर्व होनी चाहिये।

मद्यनिषेध के बारे में कहा गया लेकिन घर-घर जो शराब बन रही है उसके विषय में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और सरकार क्या करने को सोच रही है ? महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है तो मद्य है और मद्य से ही किसी परिवार को सबसे अधिक नुकसान होता है लिहाजा मेरा अनुरोध है कि परिवारों की भलाई के लिये मद्य निषेध करना है तो पूरे प्रदेश में एक साथ लागू किया जाय।

महिलाओं की बेरोजगारी के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। बहुत सी महिलायें ऐसी हैं जिनको अपने परिवार का पालन करना होता है, किसी का पिता नहीं है तो उनको भी उस परिवार का पालन करना होता है। उनकी बेरोजगारी की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इसको ध्यान में रख कर उनको नौकरियों में परसेंटेज मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का विरोध करती हूं।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका मैंने पूरे तौर से अध्ययन किया। इस शासन की जो नीतियां है उनका काफी उसमें उल्लेख किया गया है लेकिन शून्य प्रहर में माननीय नेता विरोधी दल ने जो एक सैद्धान्तिक प्रश्न खड़ा किया कि यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है संभवतः वह मंत्रिमंडल के सामने नहीं रखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनाथ सिंह]

गया तो मान्यवर, जब मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा तो हमको यह लगा कि नेता विरोधी दल का जो आरोप है वह सही है। क्योंकि इस पूरे अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की कोई चर्चा नहीं की गई है और यदि इस मंत्रि-परिषद् के सामने यह अभिभाषण रखा गया होता तो निश्चित रूप से उसमें उल्लेख किया गया होता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को यह शासन कुचल कर रख देगा। इसमें उसका उल्लेख नहीं था इसलिये माननीय तिवारी जी के आरोप की पुष्टि हुई कि यह अभिभाषण मंत्रि-परिषद् के सामने नहीं रखा गया।

मान्यवर, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में साम्प्रदायिक ताकतों से निपटने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसकी चर्चा के दौरान एक-दो सदस्यों ने आर0 एस0 एस0 का नाम भी लिया है और चारों तरफ से एक धारणा बन गई है, एक मुद्दा बन गया है, चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। आज हर कोई सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के सहारे जीना चाहते हैं, मतलब निकालने के लिये उनके पैर छूने लगते हैं। अखिल भारतीय स्तर के तथाकथित नेता जिन्होंने कौमी एकता का सम्मेलन बुलाया था उन्होंने चारों तरफ आर0 एस0 एस0 के खिलाफ जेहाद बोल दिया।

आज कोई भी अपने दिल पर हाथ रख कर यह देखे कि देश में आर0 एस0 एस0 एक ऐसा संगठन है जिसके नौजवानों के अन्दर देशभक्ति, देश प्रेम की भावना भरी है, प्रेरणा भरी है और एक सच्ची नैतिकता भरी है। मैं समझता हूं कि मंत्रि-परिषद् के जितने भी सदस्य हैं वे कहीं न कहीं इसके बारे में बोल चुके हैं और इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। हर एक को आर0 एस0 एस0 की तारीफ करने का मौका मिला है। यहां तक कि 18 महीने की आपातकालीन स्थिति में वर्तमान उप मुख्य मंत्री ने सेन्ट्रल कारागार नैनी में इस संगठन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। किन्तु आज वही लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिये राजनीतिक कारण से उसकी तरह-तरह से आलोचना कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी शासन के लोग हैं वे इसका राजनीतिक मूल्यांकन न करें बल्कि सामाजिक मूल्यांकन करें।

जो सिद्धान्त हैं वे सत्य हैं और उनमें इनहेरेन्ट करेन्ट होता है इसलिये इन सिद्धान्तों के लिये बहुमत के समर्थन की या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सब लोगों ने जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा। जीसस क्राइस्ट ने प्रारम्भ में जब उसने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना चाहा था तो केवल उसके साथ 12 समर्थक थे और सारे लोगों ने उसका मखौल उड़ाया था। उन 12 लोगों में से एक ने उसका विरोध किया और इस प्रकार उसके 11 समर्थक ही रह गये और आप देखें कि प्रारम्भ में जिस सिद्धान्त का केवल मात्र 11 लोगों ने समर्थन किया धीरे-धीरे उनके समर्थक बढ़ते गये और आज विश्व में उसके धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके साथ सत्य है वह सत्य प्रकाशित होकर ही रहेगा, भले ही आज उसके कम समर्थक हों। सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता है और वह एक समय सबके सामने आ जाता है।

दूसरी बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हम सभी यह जानते हैं कि किसी भी देश की युवा शक्ति देश की एक बहुमूल्य निधि हुआ करती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज का युवक कुछ कारणों से भ्रमित हो चुका है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है, उसमें एक कमी आ गई है उसे समाप्त करने की भी यह सरकार कोशिश करेगी। मान्यवर, विगत डेढ़ वर्ष जो रहा है उसे यदि मैं यह कहूं कि वह अराजकता और हिंसा का वर्ष रहा है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आँकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा इंटर कालेजेज में कुल 9 हत्यायें एक वर्ष के अन्दर हुई हैं, जिसमें से 3 हत्यायें केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में हुई हैं एक हजार से ऊपर शस्त्र सहित या रहित संघर्ष शिक्षण संस्थाओं में हुए। अब तक छात्रावासों में जो छापे मारे गये उनमें 100 से ऊपर शस्त्र अवैध कब्जे में आने की शिकायत मिली है। उन अपराधी तत्वों को नियंत्रण में करने के लिए कोई सफलता नहीं मिली। परिसर के अन्दर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की दो सौ घटनायें घटित हो चुकी हैं और 5 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आज ऐसे हैं जिनमें एक साल से कुलपति अपने कार्यालय में कदापि नहीं बैठे। इस प्रकार की आज शिक्षा जगत की हालत है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुरूप यदि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ले जायं तो निश्चित रूप से हम उन्हीं आदर्शों और उन्हीं नीतियों के अनुरूप समाज को खड़ा कर सकते हैं।

तीसरी बात मैं राज्य शिक्षा आयोग बनाने के बारे में कहना चाहता हूं। एक राज्य शिक्षा आयोग बनाये जाने की बात इस सदन में बराबर कही जाती रही है और साथ ही लोक सभा में भी इस पर चर्चा होती रही है कि राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिये और बराबर शिक्षा मंत्री और सरकार ने इसे गठित करने के औचित्य को स्वीकार भी किया है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री राजनाथ सिंह---

मुझे थोड़ा समय और दे दें मैं एक बात किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ....

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं माँग करता हूं कि आज तीन-चार दिन से अभिभाषण पर चर्चा हो रही है .....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय शिक्षक जी, मेरे पास लिस्ट है, मैं समय दूंगा . . .

श्री नाथूराम शिक्षक---

मेरी शिकायत यह है कि जो पीड़ित तबका है उसको भी समय मिलना चाहिये।

श्री राजनाथ सिंह---

मान्यवर, केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं....

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी लिस्ट जो है उसी से आप बुलायें हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं हमें भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गौरी शंकर भैय्या, आप बैठिये, मैंने राजेन्द्र चौधरी को बुला लिया है

श्री राजनाथ सिंह---

मान्यवर, मेरे दो मिनट रह गये हैं।

श्री हरी सिंह ---

केवल सरकारी लिस्ट वालों को ही समय मिलेगा क्या ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय राजनाथ सिंह जी, आप बैठ जायं।

श्री राजनाथ सिंह---

माननीय शम्भूनाथ चौधरी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका अंत में मैं समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उस के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस अभिभाषण में काफी आशायें दिखाई गई हैं और सरकार की नीतियों का भी उल्लेख इसमें है । मैं रूलिंग पार्टी का सदस्य होने के नाते इसका समर्थन करूंगा ही । मान्यवर, हमारी जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके शुरू में लिखा है कि हम गाँधीवाद का विकल्प प्रस्तुत करेंगे यानि जनता पार्टी एक गाँधीवादी विकल्प प्रस्तुत करेगी ।

पिछले 30-32 सालों तक जो लोग शासन में रहे, उन्होंने बहुत से पाप किये हैं और उसमें से एक बड़ा पाप उन्होंने यह किया कि पूरे प्रदेश और देश में अफसरशाही को इतना मजबूत कर दिया है कि आज वह नियन्त्रणहीन और निरंकुश हो गयी । उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रह गयी है । आज वह एक तरह से प्रशासन के जरिये गरीब जनता को रौंदने का काम कर रही है । मैं यह भी जानता हूं कि यदि यह सरकार गाँधीवादी विकल्प इस देश और प्रदेश में प्रस्तुत करना चाहे, अगर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हों और इसलिए कहता हूं कि यदि गाँधी जी पुनः इस देश में आ जाएं और इस देश का प्रधान मंत्री या इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हो जाएं, किन्तु यदि उनके काम करने का तरीका यही रहा, अफसरशाही हावी रही, तो साक्षात गाँधी जी भी जनहितकारी शासन नहीं चला सकते हैं । मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, मुझे अपने थोड़े अनुभव से यहाँ यह महसूस हुआ है ।

अभी लक्खी सिंह जी यहाँ बोल रहे थे, जो कि एक जमाने से सदस्य रहे हैं, उनका अपना एक इतिहास रहा है, उन्हें प्रशासन को पास से देखने का मौका मिला है, जब मैं प्रशासन की बात करता हूं तो अफसरशाही की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वह जनता प्रतिनिधियों के बारे में इस प्रकार से सोचने लगे है कि वह अस्थायी है, टेम्पोरेरी है और हम स्थायी या परमानेन्ट हैं । उनके ऐसे विचारों के कारण जनता पार्टी की इमेज सीरियस नहीं हो पा रही है । गाँधीवाद के विकल्प को प्रस्तुत करने के लिये हमें काम के तरीके को बदलना होगा, हमें अफसरों के ऊपर अंकुश लगाना होगा और कांग्रेस के लोगों ने अब तक जो पाप किये हैं, उन पर उचित अंकुश लगाना पड़ेगा ।

अभी हमारे मित्र राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने आर0 एस0 एस0 की बहुत प्रशंसा की । शासन का एक आदेश हुआ कि शाखाओं पर प्रतिबन्ध रहेगा, लेकिन वह प्रतिबन्ध अभी कहीं दिखता नहीं है । इस दिशा में अभी प्रशासन ने ठीक से अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है । मैं भी उस प्रतिबन्ध का जोरों से समर्थन करते हुए यह माँग करता हूं कि आर0 एस0 एस0 शाखाओं पर शासन ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, प्रशासन को उस पर सख्ती से अमल कराना चाहिए । मंत्रि परिषद्, इसके बारे में आगे भी फैसले लेगी, लेकिन उस पर लगे हुए प्रतिबन्ध को, कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए ।

इस अभिभाषण में अन्य तमाम अच्छी-अच्छी बातों का जिक्र किया गया, जैसे विद्यार्थियों को रचनात्मक काम में लगाया जायगा, किसानों के हित के काम किये जायेंगे और श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा, आदि । मैं मोटे तौर पर दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं । मैं गाजियाबाद से चुनकर आया हूं । वह एक औद्योगिक नगर है । वहाँ पर आए दिन मिल मालिकान मिलों में तालाबन्दी किया करते हैं । प्रशासन की ओर से घोषणा होती है कि हमें श्रमिकों के हित में काम करना चाहिए, लेकिन वह कहीं होता नहीं है । जगह-जगह गैर कानूनी रूप से तालाबन्दी करके श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है । गाजियाबाद की भारत इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी में ताला

बन्दी हो गई है, जो गैरकानूनी है। परसों मैं उनकी रैली में गया था। ऐसे बहुत से उदाहरण है, जिन पर प्रशासन ने आदेश किया है, लेकिन अमल में वह नहीं लाया जाता है।

आज विद्यार्थियों में एक निराशा और घबड़ाहट की भावना व्याप्त हो गयी है। यह जो निराशा है, यह आखिर आई कहाँ से ? यह 30–32 साल के पाप का नतीजा है। विद्यार्थी आज चौराहे पर खड़ा है, उसके सामने कोई भविष्य नहीं है । हम लोगों को भी शासन में आये दो साल हो गये, लेकिन अभी इस दिशा में सक्रिय नहीं हुए हैं। हमें चाहिए कि हम उनके मन में भावना पैदा करें कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, हम आपके लिए कुछ कर के दिखायेंगे। शिक्षा के बारे में भी उल्लेख किया गया है, हमारी यह मान्यता रही है, हम लोग यह मानकर चले हैं और जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी है कि हम जनता को सस्ती और समान शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और खर्चीले स्कूलों को बन्द करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका खास उल्लेख नहीं किया गया है। मैं शासन से माँग करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, आमूल, क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, सस्ती शिक्षा उपलब्ध करनी होगी, शिक्षा के अन्दर गैर बराबरी दूर करनी होगी। तभी शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर सकेंगे। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के जरिये हमने जो जनता से वादा किया है, तभी उस पर चल सकेंगे और लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकेंगे।

बेरोजगारी की बात की गयी है। हमारी हमेशा से मांग रही है और उस के लिए हम जैसे नौजवान जेल भी गये हैं कि जब तक बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं तब तक बेरोजगारी का भत्ता दें। इसमें सुझाव सुझाया गया है कि इन बातों को लेकर बेरोजगारी दूर करेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों में नौजवानों को लगाया जायगा। और पढ़े लिखे लोगों को काम देंगे। जब तक काम न मिल सके, तब तक बेकारी का भत्ता योजना लागू हो। अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है। शासन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे। मैं बहुत कम बोलता हूं। आप ने लाल बत्ती कर दी।

इन दो वर्षों में जनता पार्टी का शासन रहा है। उससे जनता के मन में जो तस्वीर बनी है वह निराशाजनक रही है। हम जैसे सदस्य पहली बार इस हाउस में आ गये हैं। हमें भी निराशा हो चली है। जो जनता से वादा कर आये हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे है। हमारा आपसी मनमुटाव रहता है और जो 30 वर्ष का पाप ढोना पड़ रहा है उसको भी सुलझा नहीं पा रहे हैं। अभी नया मंत्रिमंडल बना है। उससे कुछ उम्मीद जगी है जनता को हम लोगों को कि यह प्रशासन जनहित में कार्य करेगा।

मैं पहले भी बोल चुका हूं। अपने क्षेत्र में जिला अस्पताल की मांग की थी। गाजियाबाद नया जिला है वहां अस्पताल में सुविधाएं चाहिये। कल शिक्षा मंत्री जी वहां गये थे। मैं उनके कार्यक्रम में था। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहां बनना चाहिये। सड़कों के निर्माण के बारे में अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। मेरे क्षेत्र में शहर के अलावा 60–65 गांव हैं। वहां पर भी सड़कों का इंतजाम नहीं हो पाया है। जो होना चाहिये। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि नया मंत्रिमंडल इन बातों पर गम्भीरता से विचार करेगा।

श्री अधिष्ठाता––

श्री गौरी। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) मैं प्रयास करूंगा सब को समय में एडस्जट करने का।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)––

गौरी कोई सदस्य है नहीं। किसको पुकार रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता––

विक्रमा जी चश्मा लगा कर देखें।

श्री गौरी शंकर मैया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यह एक संयोग है कि जिन्होंने इस धन्यवाद के प्रस्ताव को सदन में रखा है वह बलिया जिले के हैं, और जो मंत्रिमंडल की अगवानी विधान सभा में कर रहे हैं वह भी बलिया जिल के हैं और मैं भी जो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वह भी बलिया जिले का हूं। मैं इन दोनों माननीय सदस्यों के सामने अपने जिले की बात प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश की और देश की बात बहुत से बोलने वालों ने कही है। मैं चन्द बातों की तरफ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इमर्जेन्सी के बाद, जब इमर्जेंसी देश में हटायी गयी, तो बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ पूरी जनता संगठित हुई। उसके बाद केन्द्र और प्रदेश में जनता पार्टी का शासन आया। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इस दिशा में दो कदम भी नहीं चले हैं उसने यह बहुमूल्य समय गुजार दिया है। हम लोग सम्पूर्ण क्रान्ति का वादा लेकर यहां पर आये हैं। लम्बे-लम्बे भाषण दिये जाते है; उनसे काम नहीं चलने वाला है। जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि हम सम्पूर्ण क्रान्ति लायेंगे। अगर जनता पार्टी ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया तो यह उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कांग्रेस की बालू की भीत खिसक गयी थी।

मान्यवर, बलिया जिले की उपेक्षा हो रही है। चाहे जिस क्षेत्र में हो उद्योग के मामले में हो और चाहे किसी अन्य मामले में हो, बलिया जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए है, वह भी बलिया जिले के ही हैं और जिस माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को पेश किया है वह भी बलिया जिले के है और मैं भी बलिया जिले का हूं। मैं उनका ध्यान बलिया जिले की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने अध्यक्षता भी की। 30 लाख रुपये स्थानीय विकास करने के लिए मिला था। लेकिन यह चीज अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी यहां से आदेश जारी कर दिया गया और जो वहां का परियोजना अधिकारी है वह एक नम्बर का चापलूस है, उसने कह दिया कि यह रुपया अन्त्योदय योजना को दे दिया जाय। मैं इन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यही रोना उनका भी था जब वह माननीय सदस्य थे और वही रोना हमारा भी है। जो रोना मंत्री जी आप रोते थे, वही रोना आपके सामने हम भी रो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन सारी योजनाओं को बलिया जिले में लागू करें जो वहां चल रही है।

एक लघु कृषक विकास योजना है। गधे, घोड़े, गाय और भैंस खरीदने की योजना है, इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग और कृषि यन्त्र भी खरीदने का काम किया जाना है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और न की ही जा रही है। मान्यवर, जो खरीदारी हो रही है जानवरों की या छोटी मोटी और चीजों जैसे सिलाई की मशीन आदि की खरीदारी में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गरीब लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है। माननीय मंत्री जी, आप उसकी जांच करा लें, आपको सब मालूम हो जायेगा।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो लिस्ट बननी चाहिए थी वह नहीं बनी। बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका सहयोग न होने के कारण जो लिस्ट बनी भी थी उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

दिल्ली की सरकार ने एक योजना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना चलाई है कि जो गांव एक हजार से अधिक के आबादी वाले है वहां पर बिजली पहुंचाई जायेगी, उनका विद्युतीकरण किया जायेगा। यह काम दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को द दिया है। मान्यवर, यह योजना लागू नहीं हो रही है इसलिये माननीय विद्युत् मंत्री जी से अनुरोध

करना चाहता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें केवल सामान सप्लाई करना है, बाकी रुपया तो केन्द्रीय सरकार देगी। 4 ब्लाक सोहांव, गढ़वार, हनुमान गंज, दुवहर जो लिए गए हैं, उनमें विद्युतीकरण का काम पूरा हो सके।

बाढ़ जब हमारे क्षेत्र में आई और मकान ध्वस्त हुए तब मन्त्री जी हमारे साथ वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर काफी मेहनत भी की लेकिन बाढ़ के उपरान्त जो वहाँ पर कम्बल, कपड़ा, गेहूं और अन्य वस्तुएं बाँटने का काम हुआ उसमें बड़ी गड़बड़ी की गयी। मैनेजर सिंह जी ने स्वयं एक लेखपाल को पकड़ा जो कम गेहूं दे रहा था तो वहाँ के कलेक्टर ने शासन में रिपोर्ट भेजी कि श्री मैनेजर सिंह वहाँ पर वितरण के काम में गड़बड़ी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता, श्री सत्य नारायण गुप्त, जनता पार्टी के हैं। उन्होंने एक अधिकारी को घूस लेते पकड़ा लेकिन वहाँ के जिलाधीश ने उस कार्यकर्ता को ही बन्द करवा दिया। उसके बारे में मैंने भी और उन्होंने भी सिफारिश की कि इस कार्यकर्ता ने सही काम किया है, उसको छोड़ दिया जाय लेकिन उसको जेल में भेज दिया गया।

इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक भरौली पुल है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है वहाँ पर जो इनकम टैक्स अधिकारी है उसके द्वारा इनकम टैक्स की चोरी होती है। इसी प्रकार से वहाँ एक पिपराघाट पुल है जिस पर टैक्स की बड़ी चोरी होती है। वहाँ पर चपरासी नियुक्त होने के लिए 500 रुपए, एक बाबू नियुक्त होने के लिए 5000 रुपए और बनारस में चीफ के लिए 20 हजार रुपया तक घूस का देना पड़ता है और यही कारण है कि पिपरा घाट पुल का टैक्स माफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बिहार से लगी हुई हमारी सीमा है। बिहार की पुलिस हमारे जनपद में आकर खेत कटवाने, गोली चलवाने और लूट करवाने का काम करती है। मेरी प्रार्थना है कि उस क्षेत्र में वहाँ पर और अधिक पुलिस की व्यवस्था करें ताकि लोगों को अपनी फसलों की कटाई में अधिक सुविधा मिल सके।

एक खाद्यान्न योजना भी चलाई गयी कि हर ब्लाक में 5 मील पर सड़क का निर्माण कराया जायगा। लेकिन हमारे जनपद में किसी भी ब्लाक में 5 मील की सड़क खाद्यान्न योजना के अन्दर नहीं ली गयी है। मेरी प्रार्थना है जितनी भी सड़कें ली जानी चाहिए थीं उनका तुरन्त निर्माण इस योजना के अन्तर्गत लिया जाय।

हमारे यहाँ पर एक गर्दन तोड़ बीमारी चली थी। उस समय सरकार में स्वास्थ्य मन्त्री श्री कल्याण सिंह जी थे। 7 महीने से हमारे यहाँ पर हास्पिटल में कोई भी डाक्टर सर्जन नहीं नियुक्त किया गया है। जब वर्तमान मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो उत्तर मिला कि उन्होंने नियुक्त कर दिया है लेकिन इस पद पर कार्य करने के लिए आज तक भी कोई डाक्टर नहीं पहुंचा है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने संशोधनों के साथ सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम कृष्ण (जिला बिजनौर)--

आज जिस अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा और उसके पढ़ने से ऐसा लगा कि बड़े रस्मी तौर पर यह अभिभाषण तैयार किया गया और जैसा कि सदन में भी डिस्कस हुआ, यह वैधानिक है भी नहीं, वैसा ही पढ़ने से भी लगा। इस अभिभाषण से हमारे प्रदेश की जनता का भी कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बल्कि हमारे विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है उससे उसमें कुछ शक्ति मिलती है और यदि उसके अनुसार यह सरकार अमल करे तो प्रदेश का बहुत विकास हो सकता है। हमारे प्रदेश में पिछले दो वर्षों में हमारी इस सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे चाहे अध्यापक वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, हर वर्ग में असन्तोष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]
की भावना बढ़ी है, कोई भी वर्ग आज सन्तुष्ट नहीं है। जो इस सरकार का रवैइया है उससे इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

मान्यवर, ऐसा लगता है कि जैसे यह सरकार एक प्रशिक्षण केन्द्र बन गई है, पहले कुछ मन्त्रियों को और एक मुख्य मन्त्री को प्रशिक्षण दिया, अब दूसरे मन्त्री और मुख्य मन्त्री आ गये। अब उनको सिखाया जायेगा। जब माननीय राम नरेश जी सीख कर चले गए अब दूसरे आ गए। अभी वाराणसी में एक जगह लहुराबीर चौराहे पर मैंने देखा कि एक जगह पर बोर्ड पर लिखा था, 'चाट और पकौड़ी भण्डार, का माननीय मन्त्री जी द्वारा उद्घाटन,

(व्यवधान)

तो आज यह काम मन्त्रियों का रह गया है।

इस सरकार ने शराब बन्दी जब से की है तब से शराब की बिक्री और भी अधिक बढ़ गयी है। शराब बन्दी से पूर्व शराब की बिक्री इतनी नहीं थी जितनी अब होने लगी है। ऐसा लगता है कि अब इस प्रदेश की यह सरकार जनता को छलने के लिए ही रह गई है। आज यह जनसंघ की सरकार है, भालोद की सरकार है, सी0एफ0डी0 की है, या खिचड़ी सरकार है। यह मिली जुली सरकार नहीं चल सकती है। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुनः आम चुनाव कराने की घोषणा की है, मैं कहता हूं कि जनता उसका इन्तजार कर रही है, आप कराइए। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी आम चुनाव की घोषणा करें। राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं किया गया है।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में, राजभवन एवं मन्त्रि मण्डल के सदस्यों की आवास सज्जा एवं अन्य सुविधाओं पर खर्च कम किया जायेगा तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरती जायेगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हमने सुना है कि हर साल एक-एक मन्त्री पर 11–12 लाख रुपए का खर्च आ रहा है।

इसके अलावा इस अभिभाषण में यह भी नहीं है कि सरकार हरिजनों, मुस्लिमों, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी।

हर उद्योग में केवल एक श्रम संगठन को ही मान्यता दी जायेगी। यह भी नहीं कहा गया है कि समाचार-पत्र उद्योगों में लगे सभी पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को श्रम कानूनों का लाभ तथा वेतन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अन्तरिम राहत तत्काल दिलाई जायेगी।

राज्यपाल सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश एवं जिला शिक्षा संस्था के स्तर पर छात्र समस्यायें निपटाने की दृष्टि से सरकार समितियों का निर्माण करेगी तथा छात्र कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा, ऐसा भी उल्लेख उसमें नहीं है। न छात्र कल्याण कार्यक्रम लागू किया है। बाल वर्ष में बच्चों की पौष्टिक आहार चिकित्सा तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। न शहरों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम ही कोई चलाया गया।

प्रदेश के सभी राज्य कार्यालयों में काम काज सिर्फ राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही किया जाय और अंग्रेजी के प्रयोग को वर्जित किया जाय। ऐसा कोई कार्य करने की पद्धति हमारे राज्यपाल के भाषण में नहीं आई है। हमारे कहने का मतलब यह है कि यह जो राज्यपाल का भाषण है, सरकार चलाने की पद्धति है, उसमें हमारे प्रदेश में बहुत गलत तरीके से ब आ रही है। जो हमारे वर्तमान मन्त्री बनाए गए हैं वे अब कृपा करके अपने-अपने विभाग में एक उच्चस्तर पर कार्य करने की प्रणाली डालें। आप जानते हैं कि जिन वर्ग के लिए वे काम कर रहे हैं क्या वे सन्तुष्ट हैं? वे बहुत ही नाराज हैं। इसलिए समान अधिकार समान अवसर, समान समाजवाद का जो निर्णय लिया गया था, उसको पूरा करना चाहिए, इन शब्दों के साथ मैं अपने अभिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की नीति का पता चलता है, किन्तु जहाँ पर यह बताया गया कि इस वर्ष बाढ़, सूखा से सहायता करने के लिए, मकानों के तथा अन्य मदों में 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं बांटा गया। 73 करोड़ से अधिक सहायता केन्द्र सरकार से मिली। लेकिन आज भी देखा जा रहा है श्रीमन्, कि वे सड़कें, वे मार्ग, वे पुल, पुलिया जो टूट गयी हैं, पानी के बहाव से बह गई, सड़कों पर गड्ढे हो गये, सड़क छिन्न-भिन्न हो गयी। आज भी वे मार्ग अवरुद्ध है और कार्य पूरा नहीं हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में सादुल्लानगर से रेहरा बाजार 16 किलो मीटर, रेहरा गुमड़ी मार्ग आदि की सड़कें टूट गयीं, पुल टूट गये, बाढ़ से बह गयी हैं, वहाँ की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। वहाँ पर दो गाड़ीवान गिर कर मरने से बचे हैं। तो श्रीमन्, यह जो अभिभाषण में राज्यपाल महोदय लिखा है और यदि कार्यान्वित नहीं होता, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।

जहाँ तक कमजोर और पिछड़े वर्ग के सुधार की व्यवस्था की बात कही गई है वहाँ पर यह नहीं दिखाया गया कि समाज के अन्दर महिला भी हैं, समाज के अन्दर गरीब भी है, भूखा और नंगा भी है, पिछड़ी जाति और हरिजन के नाम पर जो व्याख्या दी गयी है, उस जाति से ऊपर उठ कर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, गरीब की सीमा से भी ऊपर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस देश के अन्दर महिलाएं जो एकदम पिछड़ी हुई हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्तर जो गिरा हुआ है, उसको विकसित करने के लिए इस अभिभाषण में कहीं पर भी व्याख्या नहीं की गयी है।

मान्यवर, जहाँ युवकों में, विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण की बात कही गयी है, वहीं पर इसको भूल गए हैं, हो सकता है याद ही न रहा हो, लेकिन उधर चरित्र निर्माण करने की बात श्री राज्यपाल अपने अभिभाषण में कह रहे हैं और इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्था, जो चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर है, पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। चरित्र निर्माण करने के लिए शिक्षा पर विद्यार्थियों को अग्रसर कर रहे हैं। युवकों को, कहते हैं, प्रेरित किया जायेगा। यह पूरा होगा, श्रीमन्, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 2 वर्षों से श्रीमन्, हमारी जनता पार्टी की सरकार है। इधर वे प्रेरित कर रहे हैं चरित्र निर्माण करने के लिए और हम देख रहे हैं ठीक उसके विपरीत हो रहा है। वे अनुशासन की बात कहते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता, उदण्डता चरम सीमा पर है।

श्रीमन्, एक गाड़ी चलती है लखनऊ से गोरखपुर की तरफ—शाने अवध। इस गाड़ी में कोई पैसेन्जर अपने को सुरक्षित नहीं समझता। फर्स्ट क्लास पैसेन्जर को आजकल के युवक, विद्यार्थी, निकाल देते हैं, गाली गलौज करते हैं और अन्य बहुत कुछ बकते-झकते हैं। यह स्थिति है श्रीमन्, और इसके बाद भी हम वहीं कहते हैं कि अनुशासन लायेंगे, व्यवस्था करेंगे।

इसी अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जिसके सम्बन्ध में कहा जा सके कि वास्तविक संस्कार मिलेंगे, वास्तविक प्रेरणा मिलेगी जिससे वह शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। इसके विपरीत जहाँ पर आज कोई संगठन इस देश में विद्यमान है जो अनुशासन, चरित्र निर्माण, के लिए लोगों को अग्रसर करता हो, उस पर प्रतिबन्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए लगा दिये गए हैं। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में इस अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती

श्रीमन्, किसानों की समस्या को लीजिए। हमारी सरकार किसान हितैषी, है इस को मैं समझता हूं। किसानों की तरफ देख रहे हैं लेकिन श्रीमन्, उनके देखने की आँख जो है वह पुरानी है, चश्मा पुराना है जिससे हमारे से पहले वाले, काँग्रेसी लोग देखते थे। वही मापदण्ड का तरीका हमारा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दशरथ सिंह]

श्रीमन्, गन्ना की समस्या को लेकर, इस सरकार ने ज नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, गन्ना क. मूल्य गिरने न पाए, इसलिए सब्सिडी देकर किसानों का घाटा पूरा किया जाये, यह एक सराहनीय कार्य किया है। खड़ा कोल्हू जो है, उसमें कहा गया है कि टैक्स माफ किया है। गुण श्रीमन, बनाते हैं, वह कच्चा सौदा है, बिकने की कोई गुंजायश नहीं है, शादी ब्याह बच्चों के बन्द हैं, फैक्ट्रियाँ बन्द हैं। गन्ना तीन चौथाई अभी पेर नहीं सके हैं। हमारे क्षेत्र में वभनान मिल है। उसका गन्ना ट्रान्सफर करने की बात भी है। अगर उसको टेकओवर किया जाता है तब भी हमारा विश्वास है कि 15 दिन तक उसके चलने की सम्भावना नहीं है।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष जी,. . . .

श्री अधिष्ठाता—

अभी उन्हें दो मिनट और हैं। बोलने दीजिए।

श्री दशरथ सिंह—

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि जो सम्पर्क मार्ग हैं वह हर गाँवों से जोड़े देंगे। यह बहुत ही उचित है और ऐसा करने की बहुत ही आवश्यकता है। देश के विकास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो 50 फीसदी विकास वैसे ही हो जायगा। लेकिन जहाँ ऐसी बात कही गयी है वहीं जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने जो अपवाद रख दिया है, जो मापदण्ड रख दिया है उससे यह योजना केवल कागज पर ही रह जायगी, खाली कागज पर जोड़ते रहेंगे। ऐसी व्यवस्था की है कि वही सड़कें पाटी जायेंगी जो 20 फीट चौड़ी हों। आप श्रीमन्, देहात के रहने वाले हैं। गाँवों की तरफ देखिए, वहाँ जोड़ने वाले सड़क मार्ग 5 गट्ठा चौड़े नहीं हैं। तो फिर यह मार्ग कैसे चौड़े किए जायेंगे? सरकार ने इसके लिए भूमि एक्वायर करने की व्यवस्था नहीं की है तो केवल यह घोषणा कागज पर रह जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं, महामहिम राज्यपाल महो दय के अभिभाषण पर जो माननीय शम्भूनाथ जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है जिनको आगामी वर्ष में पूरा किया जायगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि उन योजनाओं के पूरा होते ही हमारे प्रदेश को आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि मेरे पास बोलने का समय कम है इसलिए उन अनेक योजनाओं का जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय ने किया है उनका उल्लेख मैं न करते हुये जिस महानगर से चुनकर आया हूं उस महानगर की कुछ समस्याओं की ओर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, कानपुर महानगर को एक बहुत बड़ी समस्या की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछली सरकार ने कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर गंगा नदी पर एक बाँध बनाने की योजना बनाई थी। इस बाँध के लिए कुछ आर्थिक प्राविधान भी कर दिया गया था, सर्वे हो गया था और कार्य शुरू हो गया था लेकिन न जाने किन कारणों से वह बाँध बनाने की योजना स्थगित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दी गयी। अभी पिछली वर्षा के समय जब बाढ़ आई तो उस योजना की ओर फिर से शासन का ध्यान गया ।

मान्यवर, आपको सूचनार्थ मैं निवेदन कर दूं कि पिछले लगभग 10 सालों से कानपुर जनपद में गंगा नदी की धारा का कटाव बराबर उन्नाव की ओर बढ़ता जा रहा है। जिसका परिणाम यह है कि उन्नाव के सैकड़ों गाँव गंगा की धारा में विलीन हो गये हैं। राष्ट्रीय सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग को खतरा उत्पन्न हो गया है। कानपुर में गंगा नदी पर बने दो पुलों को खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा की धारा हटने के कारण कानपुर में स्थित रिवर साइड पावर हाउस को पूरा पानी नहीं मिलता है और भैरों घाट पर स्थित पम्पिंग हाउस को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि बिजली सप्लाई में संकट पैदा हो रहा है और पानी का अभाव भी हो रहा है ।

पिछली बरसात के समय जब बाढ़ आई थी तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय राम नरेश जी उस बाढ़ को देखने गये थे और उन्होंने देखने के पश्चात् समस्या को समझा और कानपुर नगर महापालिका के प्रशासक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने कहा था कि बाँध की योजना के प्रति अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अन्दर शासन को दे। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कमेटी की 1–2 मीटिंगें हुई हैं और उस रिपोर्ट को बनाने की ओर कोई प्रगति नहीं हुई है जबकि 6 महीने समाप्त हो चुके हैं। इसलिए इस अहम मसले की ओर शासन को ध्यान देना चाहिए और छठी पंच वर्षीय योजना में बिठूर के निकट गंगा नदी पर बैराज बनाने की योजना बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, कानपुर में कलेक्टर गंज से लेकर जुहारी देवी गर्ल्स कालेज तक एक नहर बहती है जिसके दोनों ओर अतिक्रमण करके दुकानें बनी हैं। इस नहर को पाटने का आश्वासन दिया गया था कि नहर को पाट कर अतिक्रमण को हटाकर शापिंग एन्ड कामर्शियल काम्पलेक्स बनाया जायेगा लेकिन यह आश्वासन दिए हुए काफी समय हो चुका है। उसके पूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री बाजपेयी ने भी कहा था कि इस योजना को शीघ्र पूरा करायेंगे, लेकिन मालूम होता है कि योजना खटाई में पड़ गयी है। इस योजना में मुझे जहाँ तक मालूम है कि औपचारिकता केवल पूरा करना बाकी है जैसे कि नहर सिंचाई विभाग की है इसलिए उस जमीन को स्वायत्त शासन विभाग को हस्तान्तरित करना है लेकिन यह कार्यवाही पूरी नहीं हो रही है, इसलिए योजना खटाई में पड़ी है। नहर के दोनों ओर अतिक्रमण होने से आए दिन झगड़े होते हैं। अभी मार्च 14 को एक दुकान के कब्जे को लेकर दो दलों में गोली चली। इसलिए इस योजना को शीघ्र पूरा किया जाय जिससे वहाँ झगड़े समाप्त हों।

मान्यवर, परिवहन मन्त्री का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि कलेक्टर गंज में रोडवेज बस स्टाप है। वह ऐसी संकुचित जगह पर जहाँ यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं है, बसों को खड़ी करने की जगह नहीं है और न वहाँ पानी की व्यवस्था है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक योजना बनाई थी कि वहाँ पर बहती नहर को पाट कर वर्तमान स्टाप को एक आधुनिक ढंग का बस स्टाप बनायेंगे। लेकिन यह योजना भी काफी समय से खटाई में पड़ी है। इसलिये परिवहन मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस योजना को जो पूरा करने का आश्वासन दिया गया था उसको शीघ्र पूरा करने की कृपा करें।

मान्यवर, अब मैं कानपुर नगर की नगर महापालिका की निष्क्रियता की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर एक समस्याओं का नगर है। कानपुर जैसा गन्दा नगर हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगा। कानपुर नगर में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। सारे सीवर जाम पड़े हैं। मेन-होल में ढक्कन नहीं हैं। सड़कें टूटी हैं। कानपुर नगर महापालिका करोड़ों रुपए वसूल करती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नया मंत्रिमंडल बना है, इसलिये यदि आवश्यकता हो तो उन अधिकारियों को बदल दें जो निष्क्रिय हैं और इस गन्दे नगर को साफ किया जाय। वहाँ लोग एक-एक बून्द पानी के लिए

[श्री बाबू राम शुक्ल]

तरसते हैं। मैं जहाँ से चुनकर आया हूं वहाँ जैसे हरबन्स मोहाल, हूलागन्ज, शान्ति नगर, जाजमऊ आदि पूरा इलाका बाल्टियां ले-लेकर घूमता रहता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। वहाँ नगर महापालिका की ऐसी हालत है। इसलिए वहाँ पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी के साथ मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कानपुर जनपद में कानपुर में शहर जिला और ग्रामीण क्षेत्र जिला दो अलग-अलग जिले बनाए गए थे लेकिन जनता सरकार ने दोनों को मिलाकर फिर एक जिला कर दिया। तो मिलाते समय हम लोगों ने सरकार से कहा था कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा। लेकिन श्री राम नरेश यादव ने आश्वासन दिया था कि कानपुर जिले के पूरे क्षेत्र का विकास किया जायेगा लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी आज भी माँग है कि कानपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय और वहाँ एक विशेष योजना बनाई जाय जिससे वहाँ का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं श्री शम्भूनाथ चौधरी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सम्बन्ध में अपने माननीय सदस्य का जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, समर्थन करता हूं मान्यवर, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलन का अवसर दिया।

मान्यवर, इस अभिभाषण में जितनी भी बातें लिखी हैं, उनको पढ़ने से लगता है कि हमारी सरकार की जो नीति है, और जो इस अभिभाषण की पुस्तिका के रूप में हमारे सामने आई है। मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सरकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से इस प्रान्त को प्रगति के पथ पर ले जाने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

मान्यवर, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का और इस प्रदेश की भावी योजनाओं का संकेत इस अभिभाषण में है। मान्यवर, इसमें प्रान्त में आई बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा सबसे प्रथम में है। बाढ़ के समय में हमारी इस सरकार ने जितना किया है, वह हम सबसे छिपा नहीं है। जिस प्रकार की ऐतिहासिक बाढ़ थी, उसी प्रकार हमारी सरकार की सहायता भी एतिहासिक थी। पिछले 30 वर्षों में भी बाढ़ आती थी और सहायता भी दी जाती थी लेकिन जिस रूप में सहायता हमारी इस सरकार ने सहायता दी है, वह उल्लेखनीय है, वह केवल नाम के लिए नहीं दी है जैसा कि पिछली सरकार ने किया था। इसमें करोड़ों रुपए की सहायता दी गयी है।

इस सम्बन्ध में मेरा केवल एक सुझाव है कि बाढ़ प्रदेश में हर वर्ष आती है और आगे भी आयेगी, हर वर्ष करोड़ों रुपया सहायता के रूप में बांटने से काम नहीं चलेगा। हमें बाढ़ को रोकने के लिए कोई स्थायी हल और उसकी निश्चित योजना तैयार करनी पड़ेगी। हमें खेद है कि इस सम्बन्ध में इसमें कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बस्ती और गोरखपुर जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई निश्चित योजना तैयार होनी चाहिए जिसका संकेत इसमें नहीं है।

मान्यवर, पिछले 19/20 महीनों में जो काम इस सरकार ने किया है, वह ऐतिहासिक है। हमारे बस्ती जिले में पिछले 30 साल के अन्दर कोई वर्ष ऐसा नहीं ह जिसमें 20 ट्यूबवेल से ज्यादा आवंटित हुए हों, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को जिसने मेरे जिले में पिछले 2 वर्ष में 70 ट्यूबवेल आवंटित किए और उन्हें लगवा दिया गया। नहरों की भी योजना बनाई गयी है। इसी तरह से सिंचाई के लिए सरकार ने सुविधाएं प्रदान की हैं और भविष्य में भी प्रदान करने की योजनाएं बनाई हैं, जो कि अत्यन्त सराहनीय कार्य है।

इसमें भी मेरा एक सुझाव है कि ट्यूबवेल तो लगे हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उनमें मोटर नहीं दिया गया, बिजली की लाईनें तथा नालियां तक नहीं हैं। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि सिंचाई के और साधन बढ़ाने की अपेक्षा जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उनको ठीक कराया जाय ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके।

मान्यवर, इसी तरह से सड़कों के बारे में भी मेरा निवेदन है कि क्या इसकी तरफ पिछले 30 वर्षों में पिछली सरकार का ध्यान गया है? 18 महीनों में हमारी सरकार ने गांव की तरक्की के लिए जो योजनाएं दी हैं वह ऐतिहासिक है और इसके लिए सरकार हमारी बधाई की पात्र है। लेकिन मुझे खेद है कि गांव में सड़क बनने का क्रम तो जारी है, लेकिन अभी उन सड़कों का कोई उपयोग नहीं है। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बन रही हैं और काम हो रहा ह। लेकिन उन मार्गों पर पुलियों का कोई प्राविधान नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी सड़क बनाने से क्या लाभ जिसमें पुलियों का प्राविधान न हो। मैं निवेदन करूंगा कि जो सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उन पर पुलियों की व्यवस्था की जाय क्योंकि बिना इसके वे बकार हैं।

मान्यवर, सामाजिक उत्थान की जो बातें इसमें की गयी हैं वह सराहनीय हैं। हम सभी लोग मुख्य रूप से गरीबी, पिछड़पन और भूमिहीन की बात करते हैं। लेकिन उसके सम्बन्ध में मेरा केवल एक सुझाव है। मान्यवर, आरक्षण की भी बात उठाई गयी और उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। लेकिन मैं गांव से चुनकर आया हूं। अगर हम आप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो बाल विवाह को बन्द करायें। आपने कानून भी बना दिया है लेकिन वह बन्द नहीं है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आर0एस0एस0 की शाखाओं पर प्रतिबन्ध लगने के बावजूद अभी तक शाखाएं लग रही हैं। लेकिन इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है। अंग्रेजों ने इसके लिए कानून भी बनाया थ। कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार भी इस गलत काम को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही है। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि में आज भी बाल विवाह जोरों से हो रहे हैं।

मान्यवर, परिवहन मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं, जो भूतपूर्व स्वशासन मन्त्री भी रह चुके हैं। यह हमारे जिले में पिछले साल गये थे और घोषणा भी कर आये थे कि विस्कोहर और डुमरियागंज को टाउन एरिया बना दिया जायगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि सरकार इनको टाउन एरिया बनाकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य का अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, जो लोग सत्ता पक्ष की ओर बैठे हैं और जो बिपक्ष की ओर बैठे हैं उनमें से अधिकांश सदस्यों ने माना है कि देश में अराजकता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता के सामने जो भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में यह सरकार अक्षम रही है। लेकिन मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य इस बात को क्यों नहीं समझते कि उसका कारण क्या है? मान्यवर, आजादी के बाद जितने अमन समाई थे, अंग्रेजों के दलाल थे, अधिकांश कांग्रेस में हावी हो गए और बराबर यह बात कहते रहे कि कांग्रेस अभी बच्चा है, जरा सयाना होने दो। अंग्रेजों ने हमें बहुत दिन लूटा है उससे मुक्ति मिलने दो। यही कहते हुए वह सरकार बुड्ढी होकर मर भी गयी और उसकी जवानी का पता नहीं चला। इसी प्रकार कुछ माननीय सदस्य 27 वर्ष, 25 वर्ष, दो वर्ष अथवा 11 महीने कांग्रेस में रह कर तमाम कुकर्मों में हिस्सेदार थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जय राम]

मान्यवर, मैनेजर जी, सुनिए और तसलीम कीजिए, मान्यवर, आज वही लोग जब खड़े होते हैं सदन में तो सत्य तो चाहे कुछ भी हो लेकिन इतनी बेहयाई के साथ कहते हैं कि कांग्रेस ने 30 वर्ष तक इस देश को लूट डाला और गांधी जी की तस्वीर के नीचे इनको जरा भी दहशत नहीं होती कि हम राष्ट्रपिता बापू की नीति रीति और विधान के विपरीत 30 वर्ष तक करते रहे और आज भी हम इस बात को तसलीम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आर0एस0एस0 पर रोक लगाने की बात है। यह सरकार कभी रोक लगा नहीं सकती। कहने के लिए सदन में चाहे मान्यवर, ये हमारे माननीय सदस्य कुछ भी कहें। अब कहते हैं कि हम जनसंघ का विरोध नहीं करेंगे, जनसंघ हमारा घटक है। मान्यवर, जनसंघ तो आर0एस0एस0 की मां है। जनसंघ के गर्भ से आर0 एस0 एस0 के लोग पैदा होते हैं।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, ये जनसंघ और आर0एस0एस0 में किसी को मां और किसी को ता रहे हैं यह कहां तक उचित है ?

श्री जयराम—

मान्यवर, इस सदन में हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर हिम्मत के साथ कहते हैं कि आर0एस0एस0 के खिलाफ बोलने वाले लोग अनुशासनहीन ह, निकम्मे हैं, झूठे हैं, तमाम बातें कही जाती है। मान्यवर, यह सरकार जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 30 वर्ष तक झूठ बोलकर सरकार चलाती रही, वही स्थिति हमारी जनता पार्टी के लोगों की आज तक है। इसके आगे अगर कोई सुधार हो गया तो बात दूसरी है जैसे कि हमारे माननीय सदस्य मैनेजर जी के दिल में गुदगुदाहट पैदा हो रही है, शायद हिम्मत के साथ यह लोग खड़े हों।

मान्यवर, जनता पार्टी के कार्यक्रमों को अमल में लाने की बात है, इस सदन में हम पहले साल भी इस बात को कहे थे कि जनता पार्टी के लोगों की घोषणा है कि हम जमीन का बंटवारा करेंगे। मान्यवर, हमारे जिले में रेंगा एक गांव है। रेंगा गांव में 65 बीघे जमीन के ऊपर खेतिहर मजदूर, भूमिहीन हरिजन बीसियों वर्ष से हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तो कुछ प्रभावशाली लोग जो उस जमीन को जोतते हैं, उन लोगों ने बंटने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार चली गयी तो वह प्रभावशाली लोग जनता पार्टी में चले गए। मान्यवर, इतनी मोटी फाइल बनी हुयी है और कैबिनेट स्तर के दो-तीन मन्त्री यहाँ पर मौजूद हैं, शारदा भक्त सिंह राजस्व मन्त्री थे मान्यवर। मुझे वे बुलवाए कि हमारे कक्ष में आकर बात कीजिए। जब मैं उनके यहां गया तो उन्होंने बताय कि शिक्षा मन्त्री काली चरण जी गाजीपुर के हैं और वे लिख चुके हैं कि जमीन का बंटवारा न हो इसलिए सब कुछ बात सही रहते हुए, डी0 एम0 की रिपोर्ट, एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार की रिपोर्ट सही रहते हुए मैं बंटवारे के आदेश नहीं दे सकता। कालीचरण जी के पास हम गये। उन्होंने कहा कि गौरी शंकर राय जी का इतना दबाव है कि मैं इसे नहीं करा सकता। उनसे यह नहीं कहते बन पड़ रहा था कि उन्होंने ही उन्हें शिक्षा मन्त्री बनवाया। मान्यवर, सचमुच मैं एक सदन के सदस्य की हैसियत से कहता हूं कि नारायण सिंह जी भी उस फाइल को मंगवाने के लिए आज 4 दिन से आदेश दिए हुए हैं और उस फाइल को मंगवा कर देखें तमाम रिपोर्ट आने के बाद और कैबिनेट मन्त्रियों के कुछ लोगों के प्रभाव में आकर के जमीन नहीं बांटी जा सकी।

उसी तरह से कासिमपुर गाँव है। सन् 1976 में वहाँ पर जमीन एक्वायर की गयी उन लोगों को देने के लिए जिनके मकान गंगा की बाढ़ में बह गये थ। सन् 1979 मे वहाँ से रिपोर्ट आई सरकार के पास कि उन लोगों को जमीन से वंचित किया जाय। अब वहाँ के गरीबों को जमीन की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर मन्त्रियों से कहने के बावजूद हमारे राजस्व मन्त्री जी, भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने स्टे दे दिया। हमने

सत्याग्रह किया, गिरफ्तारी हुई, यहाँ से जमीन बाँटने का आदेश गया। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि यहाँ से आदेश डी0एम0 को गया गौर डी0एम0 ने एस0डी0एम0 को दिया लेकिन एस0डी0एम0 के कुछ लोगों के कुप्रभाव में आने से उस आदेश की कमप्लायन्स नहीं हो रही है, जमीन नहीं बाँटी जा रही है। मैं अपने जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सरकारें आती और जाती रहेंगी लेकिन हम लोगों को कुछ लज्जा और हया होनी चाहिए। इस सदन में बैठकर आप भाषण कर रहे हैं और आपकी बातों को अधिकारी ठोकर दें, जनता के हित के विपरीत चलें। मान्यवर, इस देश का क्या होगा, इस प्रान्त का क्या होगा ?

इसी तरह से अन्त्योदय कार्यक्रम के बारे में है। मान्यवर, अन्त्योदय कार्यक्रम में जो पैसा खच किया जा रहा है मेरी व्यक्तिगत जानकारी ह कि अधिकारी जब तक गरीबों से पैसा नहीं ले लेते उनका नाम अन्त्योदय परिवार की लिस्ट में नहीं आने देते। मैं चाहूंगा और अपने मन्त्रि परिषद् के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप हर जिले के विधायक को कुछ अधिकार दें और उसके सुझावों को अधिकारी मानें। हमारे मन्त्री लोग तो यहाँ मालूम होता है रबर के बबुआ बन गये हैं। जिस तरह की हालत काँग्रस की जमान में थी और अगर काँग्रेस के ही कुछ लोग आ कर के अपनी जान बचा कर आज मंत्रि मण्डल का उपभोग करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। माननीय गुरु प्रसाद जी . . .

श्री जय राम—

जिस तरीके से काँग्रेस उस वक्त कुछ गलतियों के कारण . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुरु प्रसाद जी . . . .

श्री जय राम—

इन शब्दों के साथ मैं, जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पैरा 2 में शान्ति और व्यवस्था के बारे में बहुत चर्चा की। मान्यवर, आप जानते हैं कि देश में आज अपराध की स्थिति बढ़ गई है। हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारी सरकार इसके प्रति सजग है। मैं मानता हूं कि सरकार सजग है तो भी इस मामले में पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है और सरकार को अपराधों को रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाना चाहिए।

मान्यवर, इसके बाद राज्यपाल महोदय ने पैरा 3 में लिखा है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है और सही लिखा है और सत्य है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है, भविष्य का कर्णधार है लेकिन वह क्षुब्ध तथा दिशा विहीन है। शिक्षा प्रणाली में उसके अनुरूप जो परिवर्तन होना चाहिए था काँग्रेस भी उसे नहीं कर पाई और जनता सरकार भी वह परिवर्तन लाने में पूर्ण रूप से अक्षम है। हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसी शिक्षा हर प्रदेश में लागू करें जिससे हमारे देश का भावी कर्णधार, भावी नवयुवक को हम ऐसे मार्ग का दिगदर्शन करा सकें जिससे प्रदेश का छात्र सुनियोजित ढंग से निर्माण कार्य में लग सके और इस प्रकार से उसका क्षुब्ध होना तथा दिशा विहीन होना समाप्त हो सके।

राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 4 में लिखा है कि हमारा प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है। बेरोजगारी हमारे देश तथा प्रदेश की मुख्य समस्या है। अगर हमारी सरकार बेरोजगारी को काबू में कर ले तो प्रदेश की आधी समस्याओं का समाधान हो जाय। हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरूप्रसाद]

प्रदेश में 5 महानगरियां हैं। उनमें जो सेवायोजन कार्यालय हैं उनमें एक-एक लाख प्रशिक्षित युवकों के नाम दर्ज हैं लेकिन उनको रोजगार देने हेतु कोई समाधान नहीं है। जो छोटे जिले हैं उनमें भी 50, 60 हजार लड़ के बेरोजगार दर्ज हैं लेकिन उनको रोजगार देने हेतु कोई साधन आपके पास नहीं है। काँग्रेस की सरकार पिछले तीस साल के शासन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकी शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत जिससे प्रदेश का युवक ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाता और उसकी शिक्षा विहीनता तथा बेरोजगारी समाप्त हो सकती। फलस्वरूप चाहे वह कालेज हो अथवा विश्वविद्यालय वहां से निकलकर देश तथा प्रदेश का नव-युवक आज बेकार घूम रहा है।

एक माननीय सदस्य ने भूमि वितरण का सवाल उठाया। अगर भूमि वितरित की जाय तो जो बरोजगार नवयुवक हैं उसको हम खती में लगा सकते हैं लेकिन आज इतने खत नहीं हैं जिनमें आज हम देश के नवयुवक की लगा सकें। महामहिम राज्यपाल न अपने अभिभाषण के पैरा 8 में लिखा है "कृषि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था एवं सम्पन्नता की आधार शिला है"। कृषि के लिए नये यन्त्रों तथा सिचाई की आवश्यकता है। कृषि के लिए ट्रैक्टर तथा ट्रालीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं उन पर भी कर निर्धारण हो जाता है जिसके कारण वे किसानों को सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

इसी तरह राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 12 में लिखा 'कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिए विद्युत् तथा सहकारिता की आवश्यकता अनिवार्य है।' लेकिन इन दोनों ही में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त ह। विद्युत् विभाग की हालत यह है कि कनेक्शन बाद में होता है और किसान के पास 6 महीने पहले ही बिल पहुंच जाता है और साथ ही किसान को बिजली का कनेक्शन लेने में हजारों रुपया भ्रष्टाचार के रूप में देना पड़ता है जिससे किसान अत्याधिक परेशान है। दूसरे, सहकारिता विभाग को लीजिए। मेरे क्षेत्र में 15, 20 साधन सहकारी समितियां हैं उन सब में लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पहले उसके जो सचिव थे वे लाखों रुपए का घोटाला करके कहीं और स्थानान्तरित कर दिए गएह। मान्यवर, अगर किसी ने 10 रुपए का कर्जा लिया है तो 100 रुपए का कर्ज लिया है तो उसके आगे एक सिफर बढ़ाकर कर्जा दिखाया गया है। इस तरह से सह-कारिता विभाग में घोटाला है और इससे आम काश्तकार परेशान है।

इसके अलावा मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु हुए अन्त्योदय कार्यक्रम की ओर ले जाना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी चीज है और हम लोग इसकी सराहना करते हैं। महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर इस अन्त्योदय कार्यक्रम की शुरुवात हुई, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन इसके अन्दर भी घोटाला होने लगा है। प्रदेश स्तर से लेकर गाँव स्तर तक इसमें वही व्यक्ति चुना जाता है जो सबसे गरीब आदमी होता है और उस व्यक्ति को जो सामान दिया जाता है जैसे भैंस,ऊंट,बकरी,घोड़ाघोड़ी आदि जो चीजें दी जाती हैं उनमें भी भ्रष्टाचार है। इसके बारे में सरकार को सी0आई0डी0 या अन्य किसी के द्वारा जानकारी करानी चाहिए कि किस तरह से उसमें गड़बड़ी होती है। यदि हम अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार दूर करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्वाद देता हूं। कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं. . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मुझे एक आपत्ति है। दूसरों को बोलने का मौका दिया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम भी लिस्ट में है. . .

श्री उपाध्यक्ष—

कोई जरूरी नहीं है कि सूची में जिनका नाम हो, उन्हीं को बोलने दिया जायेगा।

श्री रामजी—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामजी सिंह का कुछ नहीं लिखा जायेंगा।

श्री रामजी—

[* * *]

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं सरकार का ध्यान बस्ती जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ की जन संख्या करीब 35 लाख है और इसमें 6 तहसीलें हैं और एक दर्जन ऐसी नदियाँ हैं जिनमें हर साल भयंकर बाढ़ आती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाघरा नदी के काटान जोकि 96 किलोमीटर लम्बी और 20 किलोमीटर चौड़ी जमीन को प्रभावित करती है उसके सम्बन्ध में मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो ये घाघरा, कुवानों बूढ़ी राप्ती, मनवट आदि नदियाँ हैं इनकी बाढ़ से इस समय 45 करोड़ रुपए की फसल की क्षति हुई है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गयी है वह सराहनीय अवश्य है लेकिन मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मार्च के महीने में जो आप पैसे का बंटवारा करा रहे हैं उसकी जो व्यवस्था होगी उसमें गड़बड़ी होगी। इसलिए समय से पैसा बटवाकर किसानों को राहत दिलानी चाहिए।

मैं सिंचाई विभाग की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहाँ घाघरा में 65 डैम्पर लगाने की जिला अधिकारी ने सिफारिश की थी यहाँ पर जो सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता हैं उन्होंने केवल 24 डैम्पर बनाने की स्वीकृति दी है। जिला समिति ने 65 की सिफारिश की थी। चूंकि यहाँ के जो मुख्य अभियन्ता हैं उनका पूर्व से कोई वास्ता नहीं है पता नहीं क्यों वह सौतेला व्यवहार करते हैं पूरब की सारी योजनाओं को वह फेल कर रहे हैं। वहाँ के लिए हमेशा पैसा वसूल करने की मनोवृत्ति रहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ विक्रम से डूबोलिया तक जो सर्वे हो रहा ह उसके लिए लोग चाहते हैं कि वहाँ पर सर्वे न कराया जाय क्योंकि वह सड़क और गाँव से 6 मील पर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हीं कामों को किया जाय जिनकी स्थायी समिति ने सिफारिश की है उसी के मुताबिक बाढ़ नियन्त्रण की योजनायें बनाई जायं जिससे बस्ती जिले के किसानों को राहत मिल सके।

मैं आपका ध्यान गन्ना की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे मन्त्री जी बैठे हुए हैं वह गन्ने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जहाँ पर गन्ने की 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज होती है वहाँ के लिए 22 क्विंटल के हिसाब से मन्त्री जी ने आँकड़ा लगाया है। पता नहीं उनको कितना गन्ने का ज्ञान है, पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं जानता हूं लेकिन बभनान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने चौपट किया। उनको बभनान इश्यू पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने इसे उलझाया है। वहाँ पर खेतों में गन्ना खड़ा है। मैं मन्त्री जी से जब-जब मिला उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं और व्यवस्था करूंगा।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

आज खेतों में गन्ना खड़ा है और आप विचार ही कर रहे हैं किसान और गन्ना दोनों सूख रहे हैं। अब आपको कृषि विभाग भी दे दिया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि कृषि और गन्ना देकर हमारे मन्त्री इस प्रदेश को कहा ले जायेंगे।

मैं आपसे एक और निवेदन आरक्षण के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में आरक्षण आर्थिक आधार पर करने की बात नहीं कही गयी है। पदोन्नति में सिनियारिटी और योग्यता आधार होनी चाहिए और आरक्षण जो है वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण की लहर आज सारे प्रदेश में फैल रही है हम लोग उसमें जायेंगे इससे कोई बच नहीं सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छेदा लाल साथी और काका कालेलकर की जो रिपोर्ट है उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है। जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात उसमें नहीं कही गयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जिससे प्रदेश की जनता में जनता पार्टी के प्रति जो श्रद्धा है वह बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके 5 मिनट समाप्त हो गये।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं आपके माध्यम से पुलिस विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब पुलिस विभाग माननीय राम सिंह के पास था तो जिस प्रकार से उन्होंने सौतेला व्यवहार किया उसे आप बन्द करें और गृह विभाग के लोगों के साथ न्याय करें जिससे इस प्रदेश में जो अशान्ति फैली है वह समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अब मैं सम्पर्क मार्गों के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अब मुझे बहुत थोड़ा ही बोलना है आपने बहुत कम समय मुझे दिया। मैं अपनी ऐसी हालत में खुद ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से जो गेहूं आया, उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक 42 हजार टन ही गेहूं मंगा सकी है, जबकि राजस्थान सरकार ने एक करोड़ टन फरवरी में ही केन्द्रीय सरकार से मंगाया है। मैं चाहूंगा कि प्रदेशीय सरकार को जितनी गेहूं की आवश्यकता है वह केन्द्रीय सरकार से मंगाए। हमारे यहां एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीवास्तव थे, उनके स्पेशल आडिट के लिए जब मैंने अप्लीकेशन दिया, तो उस समय के विद्युत् मंत्री श्री रवीन्द्र शाही.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, आपका नहीं लिखा जाएगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[* * * *]

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर आपने अवसर दे ही दिया। मैं इस समय का उपयोग केवल अपने यहाँ की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाकर ही करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि म जिस क्षेत्र फाजिल नगर से चुनकर आत हं, उससे सटा हुआ कुशीनगर नामक पवित्र तीर्थस्थल है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। उसमें पर्यटकों हेतु तमाम सुविधाएं जुटाने और उसके विकास के लिए 2–2 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है, किन्तु आज तक वहाँ कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका है और यह धनराशि उसको देखते हुय कम ही है। आज तक वहाँ जनता होटल का निर्माण भी प्रारम्भ नहीं हो सका है। उसकी ओर सरकार को तुरन्त पूरा ध्यान देना चाहिए।

कसिया और कुशीनगर के बीच अहिरौली एक स्थान है, उस पर लोहे का एक बड़ा पुराना पुल है, वह ध्वस्त और जर्जर हो चुका है, जिसका कारण स्नातकोत्तर डिग्री कालेज, कुशीनगर और बौद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर के छात्र आने जाने म कठिनाई महसूस करते है और सबके लिए एक खतरा और परेशानी भी बनी रहती है। वह न तो ए ल0 आर0 पी0 के अन्तर्गत है और न पी0 डब्लू0 डी 0 में। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग उस पुल को पुन: बनवाने क प्रबन्ध करें। सरकार ने हमारे यहाँ जो सम्पक मार्गों का निर्माण कराया, है, उसके लिए हम और यहां की जनता सरकार को धन्यवाद देती है। किन्तु इतना निवेदन और है मधुरिया रजबहा की पटटी, जो जोकवा बाजार से जौरा बाज तक जाती है, उसे शीघ्र ही पक्की करा दिया जाए और जो फाजिलनगर से बनकटा बाजार तक पक्की सड़क बन चुकी है उसके लिए हम उसके आभारी हैं।

जनता पार्टी के राज में बहुत से अच्छे अच्छे काम हुए हैं और बहुत से निर्माण कार्य भी जनहित में हुए हैं, फिर भी बिपक्षी लोग उसकी आलोचना किया करते हैं। सम्पर्क मार्गों में हमारे यहाँ अनेक मार्गों का निर्माण हुआ है और देहाती जीवन की बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी हैं।

एक बात छात्रों के संबंध में यह और कहना चाहता हूं। इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके रखरखाव, पालनपोषण और पढ़ाई-लिखाई की समुचित यवस्था हो। उसका अच्छा और सस्ता प्रबन्ध किया जाय। सरकार को प्राथमिक पढ़ाई की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और उनके विद्यालयों की ओर ध्यान देंना चाहिए। प्राथमिक पाठशालाएं इस तरह जर्जर हो गई है कि बरसात में लड़के बैठ नहीं पाते हैं। अत: इस बारे में पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कराया जाए कि कितने स्कूल भवन ध्वस्त हैं और उनका अच्छा निर्माण कराया जाए। एक स्कूल शाहपुर पट्टी का भवन तो है, लेकिन वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी ओर भी पूरा ध्यान जाना चाहिए।

एक बात और हैं, वहाँ पर लोगों को फाइलेरिया की बीमारी होती है। उसकी रोकथाम पर सरकार को पूरी शक्ति लगानी चाहिए। इससे अलावा वहाँ पर हरिजनों को पक्के कुओं के निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है

कुएं न बना कर पाइप का प्रबन्ध किया जाय तो उससे फिल्टर हो कर पानी आयेगा, अच्छा पानी मिलेगा। वह हेल्थ के लिए लाभकारी होगा। जल प्रदूषण के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि छोटी गंडक, कप्तानगंज डिस्टिरी के गंदे पानी से इतनी बरबाद हो चुकी है, कि गंडक नह के अन्दर काला पानी बहता है जो जहरीला पानी होता है। उससे कई आदमी मर गये। पशु भी मर चुके हैं। लाखों मछुएं जिनकी जिन्दगी मछलियों के पकड़ने से चलती है आज वह बेसहारा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह ऐसे मिल मालिकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश पाण्डेय]

को कानून के द्वारा चेतावनी दी जाय, जो मिल मालिक गंडक में पानी छोडकर नालों में, रिवलेट्स में पानी बहाते हैं जिससे मछलियां तथा जानवर मरते हैं।

फाजिलनगर क्षेत्र में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। पूरी पडरौना तहसील में एक सहकारी कोल्ड स्टोरज है। अगर कोल्ड स्टोरज की व्यवस्था आने वाले सालों में नहीं की जायगी तो जसे गन्ना किसान तबाह हो रहे हैं, वैसे ही आलू उत्पादक तबाह हो जायंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री और डाइरेक्टर हार्टिकल्चर से कहा था। उन्होंने वादा किया था कि आलू का एक क्रय केन्द्र खोलेंगे। लेकिन सारी आशाओं पर पानी फिर गया आज तक आलू की खरीद शुरू नहीं की गयी। हमारा आलू कौड़ी के मोल बिक रहा है।

मुझे सरकार की तारीफ करते हुए खुशी होती है, जो इस सरकार ने अच्छे काम किये हैं। लेकिन जब हम देहात में जाते हैं तो गाली सुनते है। मेरे खयाल में कृषकों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। फाजिलनगर में कोल्ड स्टोरज का इन्तजाम होना चाहिए हमारे क्षेत्र में बतरौली बहुत बड़ा खंडसारी का इलाका है। वहाँ पर कई सौ खड़े कोल्हू चलते हैं, वह गुड़ का केन्द्र है, वहाँ पडरौना ट्रेन है। उस पर पुल का निर्माण करा दिया जाय तो यातायात की बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। चकबन्दी का इलाका है, चकबन्दी के मुकदमे सालों साल से चल रहे हैं, किसान घूस दे कर तबाह हो रहे हैं। आप आदेश कराएं कि शीघ्रातिशीघ्र उनके मुकदमों का फैसला हो जाय जो चार-चार, छः छः साल से पड़े हुए हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डेनाइड। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त करता हू।

एक सदस्य—

(श्रीमती कुदसिया बेगम का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, हमको भी बोलने के लिए समय दीजिये।

*श्री उपाध्यक्ष—

तीन इस तरफ से पूरे हो गये। अब अपोजीशन से बुलवा रहे हैं।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के भाषण म जो हमारी जनता सरकार ने अपने इरादों और अपनी नीतियों का इजहार किया है वह कोई नयी चीज नहीं है। हम सबको मालूम है कि जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार सन 1977 में आयी, केन्द्रीय सरकार बनी और यहाँ भी सरकार बनी, उस वक्त से यह वादे किये जा रहे हैं। पिछली बार जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था उसमें भी यह तमाम वादे किये गये थे। मगर मैं यह पूछना चाहती हूं कि उन वादों में से और जितनी भी नीतियों का इजहार किया था और यहाँ की गरीब जनता के लिए जो-जो वादे किये थे उनमें कितने वादे पूरे किये थे, हमारी पब्लिक, हमारे गरीब आदमियों के लिए कौन सी सहूलियतें मुहइया की? मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर वह पब्लिक की आवाज, पब्लिक के ख्यालात, पब्लिक की नब्ज के ऊपर हाथ रखते हैं। और जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं अगर वह सही तरीके से अपने ख्यालात रखें तो सरकार को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता में इस सरकार के बारे में क्या ख्यालात, पैदा हो रहे हैं।

जनता पार्टी के लिए और जनता पार्टी की सरकार के लिए पब्लिक में एक नफरत पैदा हो रही है क्योंकि यह सरकार अपने वादों की वादा खिलाफी कर रही है। हमारे वजीर साहेब बैठे हैं और दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं वह सारी चीजों को सही तरीके से करने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोशिश करें। क्योंकि जनता में इसके प्रति नफरत पैदा हो गयी है। जिस उत्साह से जनता ने आपको वोट दिया वह उत्साह जनता का खतम हो गया है। हमारे प्रदेश का क्या हाल है, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि किस चीज की बेहतरी हुई है। मैं कहना चाहती हूं कि हर जगह अफरातफरी पैदा हो गयी है। क्राइम और लालैसनेस बढ़ गयी है, जो पहले नहीं थी। आप देखे कि रोज किस प्रकार से कत्ल हो रहे हैं। उनकी तफतीश होती है, उसका किसी को इल्म नहीं होता है। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर थोड़ा और कहना चाहती हूं।

अब मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में कहना चाहती हूं। आप देखें कि आज उनका क्या हाल है। उनमें पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है। छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं। उनमें बड़ी इनडिसिप्लिन फैल रही है। हमारे वजीर साहेबान और सदस्यों की आपस की लड़ाई जो है उससे पब्लिक के दिल पर बुरा असर पड़ा है। मैं जब सुबह वाक के लिए जाती हूं तो छोटे छोटे ढाबे पर लोग मिलते हैं, उनके क्या ख्यालात है उनको आप देखें। हमारे संविधान में उनको डेमोक्रेसी के हकूक प्राप्त है और आज पब्लिक के अन्दर इस सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गयी है। सारा समय हमारी सरकार आपस में लड़ने में गुजार रही है। जनता पार्टी ने जो वादे किये थे उनको उसे पूरा करना चाहिए था। जनता पार्टी की जो सरकार है उसने वादा खिलाफी किया है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सरकार ने कहा था कि हम मुकदमों को कम करेंगे, लिटीगेशन को कम करेंगे। जस्टिस को सस्ता बनायेंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस सेठ ने मेरठ में अपनी तकरीर में कहा है कि एक लाख केसेज पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं हुआ है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सालों साल मुकदमे चलते हैं। जनता पार्टी की सरकार इतने साल गुजर जाने के बाद भी जनता को सस्ता न्याय नहीं दिला पा रही है। हमारी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है।

इसी तरीके से जनाबे वाला, कीमतों की क्या हालत हो रही है। केन्द्रीय सरकार के बजट की वजह से आज कोई जरूरत की ऐसी चीज नहीं है चाहे वह गरीब के लिए हो या अमीर के लिए, जिसकी कीमतों में फर्क न पड़ा हो, और महंगी न हुयी हों। रत्नों का किराया बढ़ना सामान को बेचने वालों को एक बहाना मिल गया है कीमतों को बढ़ाने के लिए। तेल हो, शुगर हो, नमक हो इन सब चीजों की कीमत बढ़ रही है। श्री नरसिंह यादव ने 19 मार्च को बनारस में कहा था कि यू0पी0 स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी बिल्कुल फेल हो गयी है, जहाँ तक लोगों की जरूरत की चीजों के दाम का सम्बन्ध है। अगर यह बात एक मिनिस्टर कह सकता है तो हमें तो कहने का और भी हक हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

इसी तरीके से जनाबेवाला, केन्द्रीय सरकार के एक मिनिस्टर है श्री यादव जिन्होंने कहा है सन् 1977–78 के पहले 10 महीने में रुपये की कीमत 25.7 पैसे हो गयी है जो कि 1976–77 में 28 डैसिमल कुछ थी।

श्री भीषम (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आपके द्वारा मैं सबसे पहले सदन का ध्यान जनता पार्टी की उपलब्धियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली उपलब्धि यह है कि लोग अपनी कुर्सी की बुराई नहीं करते हैं। जनता पार्टी अपनी त्रुटियों को भी जनता में बखेर देती है और दूसरी उपलब्धि यह है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर हर एक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है।

जनता पार्टी ने देहातों में भी काफी काम किये हैं जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ है। हम काम करते चले जा रहे है, लेकिन अपनी तारीफ नहीं करते हैं, यह भी इस पार्टी की एक उपलब्धि है। अन्त्योदय प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को कर्जा

[श्री मीषम]

दिया जा रहा है जो या तो अपने लड़कों को या अपने खेतों को गिरवी रखते थे तब उन्हें कर्जा मिल पाता था। लेकिन देखने में यह आया है कि अन्त्योदय के अन्तर्गत अधिकारीगण बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के लिए पब्लिक के आदमियों की एक समिति बनायी जाय और उनकी राय से ही लोगों को कर्जा दिया जाय।

अब मैं पूर्वी जिलों के पासी समाज की ताड़ी नीति से उत्पन्त स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की ताड़ी की नीति से पूर्वी जिलों के पासी लोग बेसहारा हो गये हैं। हजारों लोग जो ताड़ी के व्यवसाय में काम कर रहे थे, वे बेसहारा हो गये हैं और पचासों लोग दारुलशफा में घूमते रहते है। नीरा का जो कानून बन गया वह बड़ा ही भयावह है। बिहार सरकार ने ताड़ी पर जो प्रतिबन्ध लगा था उसको समाप्त कर दिया है, यहाँ की सरकार को भी समाप्त करना चाहिए। ताड़ी बीसों रोग की बहुत अच्छी दवा है। महात्मा गाँधी ने भी इसकी सराहना की है। भांग और बियर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन ताड़ी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लाखों पासी इस समय बेसहारा हो गये है, उस प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय।

अब मैं आपका ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि प्रदेश की विद्यार्थियों की 7 करोड़ जनता अब प्रदेश के भार को वहन करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है और उसके लिये यह आवश्यक है कि सभी बर्ग के लोग बैठ कर शिक्षा नीति पर विचार करें। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बढ़ावा दिया जाये। आज जूनियर हाई स्कूल के एक चौकीदार को जो 24 घंटे का नौकर होता है उसको आज भी 32 रुपये माहवार वेतन मिलता है। इसको बढ़ाया जाये।

हमारे यहाँ की एक और मुख्य माँग यह है कि रामजानकी रोड पर जो पटना से फैजाबाद को मिलाती है शिकरी ग्राम पर एक पुल का निर्माण कराया जाय। आश है माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह पुल शीघ्र बनवाने के आदेश देंगे। चाहे पीपों का ही पुल दिया जाये, मगर इसकी ओर शीघ्र ध्यान दें।

घाघरा नदी पर 6 किलोमीटर तक हमारे यहाँ कटान हो गया है जिसके कारण तमाम बड़े बड़े काश्तकार काश्त विहीन हो गये है। घाघरा नदी के वेग को रोकने के लिये और इस काटन को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ठोकरों का निर्माण किया जाये।

किसान की फसल को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज खोले जायं। हमारे यहाँ आलू अधिक पैदा होता है, पिछले वर्ष किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। कोल्ड स्टोरेज खोल कर उनकी सहायता की जाये। साथ ही वहाँ दुग्ध केन्द्र भी खोला जाये।

हमारे यहाँ बी0 डी0 ओ0 बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। वह हर भैंसों पर 4–5 सौ रुपये लेता है। अन्त्योदय कार्यक्रम के अधीन चलने वाले मामलों में भी वह काफी पैसा खाता है। मैं चाहता हूं कि ब्लाक के अधिकारियों की संख्या कम की जाये और इनके स्थान पर हर जगह एक कमेटी गठित की जाये जो इस प्रकार के काम करे। वरना यह अन्त्योदय कार्यक्रम ही असफल हो जायेगा।

एक बात मैं नर्स काँड के बारे में कहना चाहता हूं। नर्सकाँड एक असत्य और बनावटी काँड है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। वहाँ नर्सों तथा गुन्डों के दो ग्रुप हैं। इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और राजनैतिक रूप देकर अधिकारियों को तबाह किया जा रहा है। इस काँड में बस्ती के पुराने जिलाधीश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके इशारे पर ही कुछ गुन्डे इस काँड में बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं।

हमारे यहाँ गन्ना पैदा नहीं होता क्योंकि गन्ना मिलें बहुत दूर पड़ती हैं। केवल आलू ही अधिक पैदा होता है। इसलिये कोल्ड स्टोरेज की माँग करता हूं। अंत में मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री पुरुषोत्तम दास.....इसके बाद इस पर कल चर्चा जारी रहेगी। आज और कार्यक्रम लेंगे।

श्री पुरुषोत्तम दास---

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर लें, तो बहुत अच्छा है।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)---

इस समय इस देश में गरीबी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, कत्ल-डकैती आम सामाजिक बुराइयों का बोल बाला है। यह जो आम जनता की समस्यायें है, ये समस्यायें, नारों और भाषणों से हल होने वाली नहीं है। इसके लिए अगर सरकार को इस देश को बनाना है, प्रदेश को बनाना है, तो उसी तरीके से आचरण करना होगा।

साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह देख रहा हूं कि इस प्रदेश के अन्दर दो साल में हरिजनों की जो दुर्गति हुई है, जो दुर्दशा हुई है, वह कभी नहीं हुई है और आगे भी कोई ऐसा समय आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इनका उत्थान और विकास कैसे होगा यह नहीं पता चल रहा है। बाहर कहीं भी देखा जाय, इनके उत्थान की बातें कही तो जरूर जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हरिजनों को लुटाये जा रही है, और हरिजन दरअसल में देखा जाय, तो वह लूटे जा रहे हैं और होना-जाना कुछ नहीं है।

इन हरिजनों का उत्थान और विकास अगर वाकई में करना है, तो सरकार को उसी तरह से उनके माफिक आचरण करना होगा। जैसा मैं देख रहा हूं, इस सरकार और पिछली सरकार में फर्क यह हो गया जैसे कि अगर किसी तरह से किसी हरिजन के पास कुछ जमीन है और बैल उसके मरते चले जा रहे है, कुछ किसी तरह से पैसे मुहय्या करके उसके पास कुछ जमीन रहती है, और वह ट्रैक्टर लेता था, तो हरिजन के केस में अनुदान सरकार देती थी, लेकिन इस सरकार ने उस अनुदान को खत्म कर दिया और यह कहकर खत्म कर दिया कि इसमें बड़े लोग लाभान्वित हो जाते हैं। इसमें बड़े लोग कैसे लाभान्वित हो जाते हैं। अगर हरिजनों के नाम बड़े लोग अनुदान का पैसा ले लेते है, तो उसके लिए सरकार जांच करे कि वे बड़े आदमी जो गलत तरीके से पैसा ले रहे है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो तरीका पहले था कि हरिजन को ट्रैक्टर के लिए अनुदान दिया जाय, और उन्हें अनुदान दिया जाता था, उस तरीके को कायम रखना चाहिये, क्योंकि हरिजनों का उत्थान और विकास अभी हुआ नहीं है। अनुदान यह कह कर काट दिया जाय कि इनके जरिये दूसरे लोग ले लेते हैं, और इस से हरिजनों का नुकसान हो जाता है, तो यह मानने काबिल बात नहीं है। सरकार इसके लिए सक्षम है, जो बड़े आदमी इसके लिए लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करें, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

जो मरसरी बसें चलाई जाती है, उसमें हरिजनों को अनुदान देकर 50 परसेंट की छूट मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, इसलिये कि सिनेमा और टैक्सी वाले महाजन, बड़े-बड़े जितने लोग हैं, जो सिनेमा चलाते हैं, उन्हें जनरेटर के लिए 50 प्रतिशत यह गवर्नमेंट छूट देती है, तो हरिजनों को ट्रक, बस तथा ट्रैक्टर खरीदने में क्यों नहीं छूट दी जाय। अगर समाज में सरकार उनका उत्थान चाहती है, अगर चाहती है कि इनका कल्याण हो, तो इनको बसों की परमिट दी जाय और इनको उसमें छूट दी जाय, जिस तरह से जनरेटर के लिए

[श्री पुरुषोत्तम दास]

डेढ़ लाख रुपये पर छूट दी जाती है और अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो यह एक तरीके का झूठा ढकोसला हुआ। तो श्रीमन्, मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि इनके साथ जो अत्याचार हो रहा ह, उसको तो दूर करें और जो अनर्थ हो रहा है, उससे हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है ।

साथ ही साथ श्रीमन् मैं यह जरा सा पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे मिर्जापुर जिले में जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है और उसमें एक क्षेत्र ह हलिया, लालगंज, छानबे ब्लाक, इन ब्लाकों के हरिजन गरीब के लड़के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है। श्रीमन्, सड़कों के बारे में जो है वह यह कि मेरी छानवे कान्स्टीट्यून्सी में बाढ़ आ गयी थी जिससे सड़कें टूट गयी है। पुल बह गये हैं। सड़कों पर गड्ढे हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि गैपरा से रामपुर घाट जिगना से मिश्रपुर घाट तथा अकोठी सेरामपुर घाट की सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 को दे दी जाय जिससे सड़क बन सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह कल शुरू होगा। आज अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री पुरुषोत्तम दास—

श्रीमन्, इन सड़कों को पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जाय नहीं तो हर महीने एक-दो हत्यायें होती रहेंगी। अकोठी के रेलवे के पुल के पास एक पुल बना दिया जाय मान्यवर, नहीं तो रेल की पटरी पर चलने वाले लोग रेल से कटते रहेंगे। जब पुल बन जायगा तब जो लोग कट कर मरे जा रहे हैं उनका कल्याण होगा।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश का रोजगार नष्ट हो रहा है। जैसी घोषणा इस जनता सरकार ने की थी कि सेल्स टैक्स माफ कर देंगे। तो अगर यह सरकार उसे माफ नहीं कर सकती या उसमें सक्षम नहीं है तो कह दें। हिसाब-किताब रख कर सरकारी अधिकारियों को समझाने में बड़ी परेशानी होती है इसलिए श्रीमन्, जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी टैक्स लेती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लेता है उसी प्रकार लम-सम एमाउन्ट ले लें ताकि वह अपने दिमाग को रोजगार में लगायें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये।

श्री पुरुषोत्तम दास—

सेल्स टैक्स को एक लमसम रूप में निर्धारित करके लिया जाये इससे कोई असुविधा नहीं होगी और लोग कोई रोजगार कर सकेंगे, नहीं तो हमारे प्रदेश और देश का रोजगार नष्ट हो जायेगा और इसी प्रकार जितनी भी घोषणायें आप लोगों ने की है, वह नहीं पूरी हो पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम दास—

[* * * *]

मान्यवर, मिट्टी का तेल नहीं मिल

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 26 मार्च, 1979 को नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गोकरन प्रसाद, श्री श्रीनारायण, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अतिरिक्त श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राज नाथ सिंह, श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री अरुण कुमार न भी जालौन में दिनांक 22 मार्च, 1979 को बार एसोसियेशन के सदस्यों के ऊपर लाठी चार्ज एवं अभद्र व्यवहार के परिणाम स्वरूप प्रदेश के बुद्धजीवी वर्ग में असंतोष के संबंध में सूचना दी है ।

इस पर सरकार को कल वक्तव्य दे देना चाहिए। 27 मार्च के लिए मैंने निर्देश दिये हैं ।

बाकी सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक मैंने भी सूचना दी थी। जिसमें परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है और परीक्षा के प्रश्न-पत्र बाजारों में बिक रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दिन में एक ही लिया जाता है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 1979 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं:—

दिनांक 26 मार्च, 1979 को उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव निस्तीर्ण किये जायं। यह दोनों आज की कार्य सूची में शामिल हैं ।

दिनाँक 27 मार्च, 1979 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा और नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्यों और नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव निस्तीर्ण किये जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

ग्राम फत्तेहपुर, थाना बांसी, जनपद बस्ती में 5 निहत्थे लोगों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, इस घटना से संबंधित विवरण निम्नवत् है:—

दिनाँक 16–3–79 को समय करीब 11 बजे रात वादी श्री मोहम्मद यूनस, पुत्र शाह मोहम्मद, निवासी फत्तेहपुर, थाना बाँसी ने थाने पर यह सूचना दी। गाँव के हजरत अली पुत्र किताबुल्ला व अताउल्ला, पुत्र अजीमुल्ला के बीच मुकदमेबाजी की रंजिश है । रंजिश के सिलसिले में पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी चल रही है। दिनाँक 16–3–79

[श्री रमा शंकर कौशिक]

को मोहम्मद यूनस, हजरत अली, मो0 बशीर, राज मुहम्मद, मोहम्मद रजा, दीन मोहम्मद, हसमुल्ला, अकबर अली, मोहम्मद जुबेर सुबह बाँसी आये थे क्योंकि दीन मोहम्मद को अपना मकान राज मोहम्मद को रु0 5,000 में बैनामा करना था। राज मोहम्मद ने मकान का बैनामा लिखा भी लिया था। दीन मोहम्मद के केवल एक लड़की है, जो किताबुल्ला को ब्याही है और किताबुल्ला अपनी स्त्री के साथ पिछले 7–8 वर्ष से इसी गाँव में अपने ससुर दीन मोहम्मद के साथ रह रहे हैं। दीन मोहम्मद ने अपना 10–12 बीघा खेत अपने दामाद किताबुल्ला के नाम लिख दिया था, केवल मकान नहीं लिखा था। इधर किताबुल्ला और उसकी स्त्री दीन मोहम्मद को परेशान भी करते थे। किताबुल्ला की मदद इसी गाँव के अताउल्ला करते थे और दीन मोहम्मद का साथ हजरत अली दे रहे थे।

उसी दिन अताउल्ला तथा उसकी पार्टी के लोग भी अपने 107/116 जा0 फौ0 के मुकदमे की तारीख पर बाँसी आये हुए थे। उसी समय किताबुल्ला भी बाँसी आये हुये थे और दीन मोहम्मद द्वारा बैनामा की बातचीत अताउल्ला से हुई। बैनामा की बात अताउल्ला तथा उनके साथियों को बुरी लगी। अताउल्ला आदि के मुकदमे की तारीख जल्दी पड़ गयी थी। अतः ये लोग पहले गाँव वापस चले गये।

मृतकगण तथा अन्य व्यक्ति कचहरी के बाद लगभग 9 बजे रात में अपने गाँव के उत्तर करीब एक फर्लांग दूरी पर जब तक चक रोड से पहुंचे तो अताउल्ला तथा उनके साथी जो कुल 24 की संख्या में थे, लाठी, भाला, फरशा और कट्टा से लैस होकर चक रोड से पश्चिम के गेहूं की फसल के खेत में छिपकर बैठे हुए थे, इन लोगों को ललकारते हुए टूट पड़े। अभियुक्तगण की लाठी, फरसा, भाला और कट्टा की चोटों से हजरत अली, मोहम्मद रजा, दीन मोहम्मद, मो0 बसीर व राज मोहम्मद घटनास्थल पर ही गिर कर मर गये तथा हसमुल्ला तथा एक गवाह मुर्तजा हुसैन को लाठी की चोटें आयीं।

इस घटना की रिपोर्ट थाना बाँसी पर 16–3–79 को ही 11 बजे रात में दर्ज हुई और अपराध संख्या 66 धारा 147/148/149/323/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ और विवेचना शुरू कर दी गयी। सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, बाँसी तथा अन्य कर्मचारीगण रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंच गये।

अब तक कुल 7 मुल्जिम गिरफ्तार किये जा चुके है, 6 मुल्जिमों की कुर्की की जा चुकी है और शेष अभियुक्तों के घरों की कुर्की की जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच धारा 107/116 की कार्यवाही पहले की जा चुकी थी, जो अभी भी विचाराधीन है। दोनों पार्टियों में से श्री अताउल्ला की बन्दूक निलम्बित कर 24–7–78 को जमा हो चुकी है तथा श्री शमशुल हक की बन्दूक 30–10–78 को जमा हो चुकी है।

सुरक्षा की दृष्टि से एक ए0 पी0 गार्ड, एक उप निरीक्षक एवं दो कान्स्टेबिल थाने से ग्राम फत्तेहपुर में लगा दी गयी है। गार्ड एवं अन्य फोर्स अभी भी गाँव में लगी हुई है। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होने के कारण भय की भावना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस घटना में 5 निहत्थों की निर्मम हत्या कर दी गयी है। इसमें से 3 श्री हजरत अली, मो0 बशीर और श्री मोहम्मद रजा, जो कि 28 से 30 वर्ष के थे उनके घर में नादान 5 से 7 वर्ष के बच्चे है, विधवा औरते हैं जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि 5 मृतकों को और मुख्य रूप से 3 के जो परिवार हैं उनकी क्या सरकार आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक सहायता का प्रश्न है तो इसमें कोई वैधानिक बात नहीं है। लेकिन मानवता के आधार पर जैसा माननीय सदस्य ने बताया है यदि वास्तविकता ऐसी है तो उनकी भरसक सहायता की जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र—

श्री हजरत अली जिनकी मृत्यु हो गयी उनके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पहले प्रशासन को इस बात की सूचना कर दिया था कि मेरी जान पर बहुत ही खतरा है, उन्होंने बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त दिया था और एस0 पी0 ने उसकी संस्तुति कर दिया था लेकिन फिर भी उनको लाइसेन्स नहीं प्रदान किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक उनको लाइसेन्स देने का सवाल है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन स्पष्ट बात है कि आपस में रंजिश थी और रंजिश आपसी घर को थी। दामाद और ससुर थे। इस रंजिश के कारण जो बन्दूकें थीं उनको भी वापस जमा करा लिया गया था। ऐसी स्थिति में संस्तुति के बावजूद भी बंदूक शायद उनको न दी गयी हो।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस बंदूक से इन 5 व्यक्तियों का कत्ल हुआ है क्या वह बंदूक निलम्बित थी और जमा नहीं करायी गयी थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैंने निवेदन किया कि इन लोगों के ऊपर जो हमले हुये हैं वह लाठी, फरसे, भाले और फट्टे से हुये है। चोटें कट्टे की हैं बंदूक का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैं घटनास्थल पर स्वयं 17 तारीख को सायं गया था और मैंने देखा है कि पुलिस ने जो गोलियों के खोखले प्राप्त किये हैं वह बन्दूकों के हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि यह सूचना गलत प्राप्त हुई है कि बन्दूक का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, कट्टा मैंने बताया है और बंदूकें तो पहले से ही जमा हैं। कट्टे से भी गोली चलती हैं लेकिन इसकी जानकारी हम कर लेंगे।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, वक्तव्य में लिखा है कि 5 हजार रुपये में मकान का बैनामा करना था और आगे लिखा है कि बैनामा लिखा भी लिया था। तो दोनों बातें स्पष्ट नहीं है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि बैनामा होना था या हो चुका था या आगे होने वाला था ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, उसी दिन बैनामा करने गये थे। उस दिन दफा 107/116 के मुकदमे की तारीख लगी थी जिससे दीन मुहम्मद के दामाद के साथी अताउल्ला को बैनामा की बात मालूम हुई जो कि उनको बुरी लगी इसलिये यह झगड़ा हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन को इस बात की सूचना थी कि इस रंजिश का अंजाम कत्ल भी हो सकता है, यदि हाँ, तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ?

दूसरा प्रश्न है—इस केस में कुल 13 मुल्जिम हैं। इनमें से कितने के पास पहले से लाइसेंसी बन्दूक थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसमें सिर्फ दो के पास बन्दूक थी। जहाँ तक कार्यवाही करने का सवाल है, 107/116 उन पर पहले से चल रहा था। वह सारी व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह कैसे पता चल सकता है कि किसी के दिमाग में इतना पागलपन सवाल हो जायेगा कि मार ही देंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो बन्दूकें इस घटना से संबंधित है, जिनको कहा गया है कि जमा थीं, लाइसेंस सस्पेंड हो गया था, तो वे कौन सी तारीख को सस्पेंड की गयीं और कौन सी तारीख को जमा की गयीं ? किसी थाने में जमा की गयी थीं या योंही किसी दूकान की रसीद दिखा दी गयी थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, एक बन्दूक 24–7–78 को और दूसरी 30–10–78 को जमा की थी। उनको सस्पेंड करके जहाँ जमा होता था, जमा कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन—

थाने में जमा की गयीं या किसी दुकान में जमा करके बता दिया ? और किस तारीख को जमा किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, तारीख तो बता दी—एक 24–7–78 और दूसरी 30–10–78 को जमा हो गयीं ।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी का जो प्रश्न है, कि ये बन्दूकें किसी दूकान में जमा की गयीं या थाने में जमा की गयीं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि माननीय मंत्री जी को इस बात की सही जानकारी न हो, तो कृपया इसकी जानकारी करा लें।

दूसरा प्रश्न है कि पांच तो लोग मर चुके हैं दो घायल हैं, और वे चश्मदीद गवाह हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि जो चश्मदीद गवाह घायल हैं, अब भी उनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, उनके स्वास्थ्य की और जान की भी पूरी रक्षा की जा रही है और की जायेगी। अगर कोई कमी हो तो माननीय सदस्य बता दें, उसको उस हिसाब से किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, इस मामले में 24 अभियुक्तों को सूचना दी गयी है और 7 पकड़े जा चुके हैं और 6 के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो शेष मुल्जिम बच रहे हैं, क्या उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, कुछ फरार हो गये हैं। कुछ में कुर्की की कार्यवाही जारी है और कुछ की कार्यवाही हो चुकी है ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, इसमें दो बन्दूकों का जिक्र किया है कि वे रखाई जा चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मुल्जिम गिरफ्तार करके भेजे जा चुके हैं क्या इनमें से किसी के परिवार में बन्दूक अब भी है और क्या उसके पास लाइसेन्स था और बन्दूक भी है जो अभी तक न तो निलम्बित की गयी है और न रखाई गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसकी तो जानकारी करानी पड़ेगी लेकिन आपस में जो रंजिश थी और जिनमें 107/116 की कार्यवाही चल रही थी, उनमें से जिनके पास बन्दूक थी, वे जमा करा ली गयी हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे भी मुल्जिम हों जैसाकि माननीय सदस्य बता रहे हैं, तो इसमें न आते रहे हों और 107/116 की कार्यवाही में न हो, तो उनकी जानकारी प्राप्त करके बता देंगें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतान की कृपा करेंगे कि यह घटना 16 मार्च, 1979 की बताई गयी है। इसके पहले दोनों पार्टियों की कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुयीं और उसमें 107/116 की कार्यवाही में क्या किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह बड़ी तफसील का सवाल है ।

श्री गुलाब सिंह सेहरा—

107/116 में जो इस वक्त मुल्जिम हैं, उस वक्त कितने मुल्जिम थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना उनके पास नहीं है ।

प्रदेश में कोयले की कमी के कारण ईट निर्माण एवं घरों में ईधन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

मान्यवर, खाद्य विभाग भट्ठों के प्रयोगार्थ स्लैक कोल तथा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले साफ्ट कोक की आपूर्ति का कार्य देखता है मेरा वक्तव्य इन दो प्रकार के कोयले तक ही सीमित है। बिजली गृहों के लिए कोयले का कार्य विद्युत् विभाग तथा उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति का कार्यभार उद्योग विभाग का है।

साफ्ट कोक—

कोल वर्ष 1976–77 (जुलाई, 1976 से जून, 1977 तक) में प्रदेश की साफ्ट कोक की मांग 16000 फोरव्हीलर वैगन थी। वर्ष 1977–78 से उपरोक्त मांग 19200 फोरव्हीलर वैगन प्रति वर्ष हो गयी। इसके विपरीत वर्ष 1976–77 में इस प्रदेश को रेलवे द्वारा 13593 फोरव्हीलर वैगन अर्थात मांग का 85 प्रतिशत आवंटित हुआ। वर्ष 1977-78 में 19200 फोरव्हीलर वैगन की मांग के विपरीत 7879 फोरव्हीलर अर्थात मांग की तुलना में 41 प्रतिशत आवंटित हुआ। इस वर्ष प्रथम जुलाई, 1978 से 28 फरवरी, 1979 अर्थात 8 मास के लिए प्राय: 12800 वैगन (फोरव्हीलर) मांग के विपरीत केवल 3515 फोरव्हीलर वैगन अर्थात प्राय: मांग का 27.4 प्रतिशत आवंटन हुआ ।

कोयले की उपलब्धि की स्थिति जून, 1977 से बिगड़नी शुरू हुई जबकि अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ खदानों में पानी भर गया तथा बिजली की कटौती और कर्मचारियों में अगुशासन में शिथिलता के कारण कोयले का उत्पादन कम होने लगा। तत्पश्चात इंडियन इक्सप्लोसिव फैक्ट्री, गोमियां में कर्मचारियों की एक माह से अधिक की हड़ताल के कारण कोयला उत्पादकों को डायनामाइट न मिलने के कारण कोयले का उत्पादन और कम हो गया। नवम्बर, 1977 से कोयले के उत्पादन की स्थिति तो सुधरनी आरम्भ हुई किन्तु दुर्भाग्य-वश दिसम्बर, 1977 से रेलवे वैगनों की कमी आरम्भ हो गयी जो अभी तक चल रही है।

3—उपरोक्त स्थिति में शासन के विभिन्न स्तरों से बराबर प्रयास किया जा रहा है कि साफ्ट कोक का उत्पादन और रेलवे द्वारा उसका आवंटन बढ़े। दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को खाद्य सचिव की ओर से ऊर्जा मन्त्रालय के कोल विभाग के सचिव का ध्यान साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने की ओर दिलाया गया। प्रदेश में कोयले की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी के लिए ऊर्जा मन्त्री जी को दिनांक 8 दिसम्बर, 1977, 13 फरवरी, 1978, 24 फरवरी, 1978, 23 अगस्त, 1978 तथा 4 दिसम्बर, 1978 को पत्र भेजे गए। प्रदेश में उपयुक्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हेतु रेलवे वैगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे

[श्री मलिखान सिंह]

मन्त्री जी को दिनांक 24 फरवरी, 1978, 7 जून; 1978, 23 अगस्त; 1978 तथा 14 दिसम्बर, 1978 को पत्र लिखे गए। प्रदेश की मांग के अनुरूप प्रत्येक माह कोयले की आपूर्ति कराने के लिए केन्द्र सरकार पर अपना प्रभाव डालने तथा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने हेतु प्रदेश के संसद सदस्यों को 27 अक्तूबर, 1978 को पत्र लिखा गया है। प्रदेश में कोयले की बढ़ोत्तरी कराने तथा वैगन उपलब्ध् कराने की दिशा में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी द्वारा भी दिनांक 3 जनवरी, 1979 को ऊर्जा मन्त्री जी तथा रेल मन्त्री जी को पत्र लिखे गए हैं एवं तत्कालीन खाद्य मन्त्री जी स्वयं तीन-चार बार रेल मन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री जी से मिल कर अथवा दूरभाष पर बातचीत की। इन सब प्रयासों के बावजूद वांछित सुधार न होने पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी की ओर से फिर 10 नवम्बर, 1978 को माननीय प्रधान मन्त्री जी को पत्र लिखा गया। इस पत्र के उपलक्ष्य में 18 दिसम्बर, 1978 को रेल मन्त्रालय में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी तथा खाद्य मन्त्री जी की माननीय रेल मन्त्री जी तथा ऊर्जा मन्त्री जी से बैठक हुई। इस बैठक में माननीय रेल मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश को प्रत्येक मास साफ्ट कोक के कम से कम 6 रेक अर्थात 600 फोरव्हीलर वैगन अवश्य दिए जायेंगे। इस आश्वासन के विपरीत वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार रही—

दिसम्बर, 1978—698 वैगन
जनवरी, 1979—911 वैगन
फरवरी, 1979—226 वैगन

जबकि दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 में रेलवे द्वारा उपरोक्त आश्वासन का पालन किया गया। फरवरी, 1979 में 600 वैगन का केवल तीसरा भाग ही इस प्रदेश को आवंटित किया गया। 12 मार्च, 1979 को उप सचिव एवं संचरण निदेशक ने रेल मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों से इस विषय पर बात की जिसमें कहा गया कि वैगनों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति में मार्च, 1979 में उत्तर प्रदेश को 600 वैगन तो देना कठिन होगा परन्तु फरवरी, 1979 से अधिक वैगन देने का प्रयास किया जायगा।

उपलब्धि की उपरोक्त कमी की स्थिति में शासन ने 9 जनवरी, 1979 के आदेश द्वारा साफ्ट कोक के सड़क द्वारा आयात पर लगे प्रतिबन्ध को पहले 31 मार्च, 1978 तक स्थगित किया तत्पश्चात 19 मई, 1978 के आदेश द्वारा यह प्रतिबन्ध अगले आदेश तक स्थगित कर दिया किया ताकि रेल द्वारा कम उपलब्धि की स्थिति में सड़क द्वारा भी साफ्ट कोक का आयात हो सके और यह आवश्यक वस्तु जनता को उपलब्ध हो सके। डिपो होल्डरों को स्वयं प्रयास कर सड़क द्वारा साफ्ट कोक प्रदेश में आयात करने की दिनांक 2 जनवरी, 1979 के आदेश द्वारा अनुमति दी गयी।

सड़क द्वारा आयात में भी कोल अभिकर्ताओं द्वारा कुछ कठिनाइयां बताई गयीं जिसके निस्तारण के लिए ऊर्जा मन्त्रालय के संयुक्त सचिव तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ 8 जनवरी, 1979 को लखनऊ में एक बैठक की गयी जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कठिनाईयां प्रायः समाप्त हो गयी हैं और अब काफी साफ्ट कोक प्रदेश में सड़क द्वारा भी आ रहा है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि साफ्ट कोक के उत्पादन में अब भी कमी है जिसके फलस्वरूप उक्त बैठक में ऊर्जा मन्त्रालय के प्रतिनिधियों ने हमारी 33000 से 35000 मी0टन प्रति मास मांग के विपरीत रेल द्वारा तथा सड़क द्वारा उत्तर प्रदेश को केवल 25000 मी0 टन साफ्ट कोक प्रति मास देना स्वीकार किया।

दिनांक 23 व 24 मार्च, 1979 को क्रमशः खाद्य सचिव एवं मेरे द्वारा परिचालन सदस्य, रेलवे बोर्ड तथा माननीय रेल मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में बात की गयी। यद्यपि उक्त रेलवे अधिकारियों के अनुसार साफ्ट कोक की उपलब्धि बहुत कम है तथापि आशा है कि उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप प्रदेश को मार्च, 1979 में दो और साफ्ट कोक की रेकें आवंटित होंगी।

उपरोक्त स्थिति में जहां यह मान्य है कि साफ्ट कोक की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, साथ ही साथ यह कहना भी ठीक नहीं है कि साफ्ट कोक का प्रदेश में नितान्त अभाव है।

स्लेक कोल--

31 मार्च, 1977 को उत्तर प्रदेश में 5192 लाइसेंस्ड ईंट भट्ठे थे। इनके कोयले की माँग 1398 रेक आँकी गयी। इसके विपरीत वर्ष 1976-77 में (1-7-76 से 30-8-77 तक) इस प्रदेश को 758.5 रेक अर्थात माँग का 54.2 प्रतिशत रेलवे द्वारा आवंटित किया गया। कोल वर्ष 1977-78 में भट्ठों की संख्या बढ़कर 5800 हो गयी और इनकी माँग 1657 रेक प्रतिवर्ष हुई जिसके विपरीत उक्त वर्ष में इस प्रदेश को 543.5 रेकों का आवंटन किया गया जोकि माँग का 32.77 प्रतिशत रहा। इस वर्ष प्रथम जुलाई, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक 1105 रेक की माँग के विपरीत केवल 135 रेक ही अर्थात प्रायः माँग का 12.12 प्रतिशत आवंटन किया गया।

साफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ाने के बारे में उल्लिखित प्रयासों के अनुकूल स्लेक कोल की उपलब्धि के लिए भी प्रयास किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप 18 दिसम्बर, 1978 की हुई बैठक में माननीय रेल मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश को दिसम्बर, 1978 में 22 रेक, जनवरी, 1979 में कम से कम 30 रेक और तत्पश्चात एवं सिद्धान्तया देश के सभी राज्यों तथा क्षेत्रों को प्रति मास आवंटित होने वाले स्लैक कोल का 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को दिया जायेगा। दिसम्बर, 1978 को 20 स्लैक कोल रेक उत्तर प्रदेश को आवंटित कर रेलवे ने मोटे तौर पर आश्वासन का पालन किया किन्तु जनवरी, 1979 में आवंटन गिरना दृष्टिगोचर हुआ। 20 जनवरी, 1979 तक एक भी रेक आवंटित न किए जाने की स्थिति में 24 जनवरी, 1979 को तत्कालीन खाद्य मन्त्री जी ने रेल मन्त्री जी से बात की और निर्णय के अनुसार उप सचिव एवं संचरण निदेशक रेल मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों से मिले। उक्त अधिकारियों ने खेद प्रकट किया कि वे उक्त मास में 30 रेक तो नहीं दे पायेंगे किन्तु 15 रेक अवश्य देंगे। रेल मन्त्रालय उक्त माह में 15 रेक भी नहीं दे पाया और सारे देश को आवंटित कुल 22 रेक में से 9 रेक ही उत्तर प्रदेश को आवंटित किए गए। फरवरी, 1979 में देश के किसी भी राज्य को रेलवे वस्तुतः एक भी रेक आवंटित नहीं कर पाई और उत्तर प्रदेश को भी कुछ नहीं मिला।

मार्च, 1979 में आवंटन के बारे में उप सचिव एवं संचरण निदेशक रेल मन्त्रालय के अधिकारियों से पुनः 12 मार्च, 1979 को मिले। रेलवे वैगनों की कम उपलब्धि की स्थिति में रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मार्च, 1979 में देश के सभी राज्यों को केवल 10 रेक आवंटन किए जाने की सम्भावना है। उप सचिव एवं संचरण निदेशक ने आग्रह किया कि भट्ठा उद्योग को जीवित रखने के लिए उनके लिए अधिक स्लैक कोल रेकों का आवंटन किए जाने का प्रयास किया जाय और रेल मन्त्री जी द्वारा 18 दिसम्बर, 1978 को दिए गए आश्वासन के अनुसार कुल रेकों का 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को आवंटित किया जाय।

साफ्ट कोक की भांति स्लैक कोल के बारे में खाद्य सचिव तथा मेरे द्वारा क्रमशः परिचालन सदस्य, रेलवे बोर्ड तथा माननीय रेल मन्त्री जी से 23 व 24 मार्च, 1979 को बातचीत की गयी। इन वार्ताओं के फलस्वरूप आशा है कि अप्रैल, 1979 से इस प्रदेश को कुछ अधिक स्लैक कोल रेक आवंटित होंगी।

स्लैक कोल की रेल द्वारा उपलब्धि की बिगड़ती स्थिति में शासन ने आदेश दिनाँक 24 फरवरी, 1978 द्वारा सड़क द्वारा इसके आयात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को भी स्थगित कर दिया और जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि वे कोल अभिकर्ताओं, भट्ठा संघों तथा भट्ठा मालिकों को अधिक से अधिक स्लैक कोल/साफ्ट कोक सड़क द्वारा लाए जाने के लिए प्रेरित करें।

[श्री मलिखान सिंह]

8 जनवरी, 1979 को लखनऊ में की गयी बैठक में इस विषय पर भी विचार किया गया। कोल इंडिया लि0 के अधिकारियों के अनुसार स्लैक कोल के उत्पादन में इस समय कमी नहीं है और किसी भी मात्रा में सड़क द्वारा लिया जा सकता है। इस बैठक के फलस्वरूप सड़क द्वारा आयात में जो कठिनाइयाँ थीं उनका भी बड़े भाग में समाधान हो गया।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि शासन प्रदेश में स्लैक कोल तथा साफ्ट कोक की उपलब्धि के बढ़ाने में सजग एवं इसे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि साफ्ट कोक केवल 27.4 प्रतिशत आवंटित हुआ। इसी प्रकार मान्यवर, ईंटों के उद्योग के लिए स्लैक कोक माँग का केवल 12.12 प्रतिशत आवंटित हुआ। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, समय-समय पर वैगन की कमी के कारण कोयला कम आ रहा है। यह कोयला वैगनों से आया है। ट्रक से भी कोयला आ सकता है। कोयला लाने के सम्बन्ध में अभी 24 तारीख को रेल मन्त्री से बात भी हुई है और उन्होंने अप्रैल से स्थिति ठीक करने का वायदा किया है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कोयले के अभाव के कारण कानपुर स्थित पनकी पावर हाउस के बन्द हो जाने की आशंका है। यदि हाँ, तो उसकी व्यवस्था के विषय में सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

रवीन्द्र सिंह जी, आपने जो सवाल किया है वह तो कानपुर के बारे में किया है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, हम लोगों की सूचना पर गौर कीजिए। आज का एजेण्डा देखें उसमें मेरा सवाल स्पष्ट रूप से बिजली की आपूर्ति से सम्बन्धित है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपने नियम 51 के अन्तर्गत सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, रवीन्द्र सिंह, राम गोविन शंकर, गौरी शंकर भइया तथा वीरेन्द्र चतुर्वेदी को इजाजत दी है। उसमें चार विषयों में कोयले की आपूर्ति, ईंट निर्माण, बिजली की अपूर्ति के बारे में और जो बिजली घर से प्रभावित उद्योग हैं उनके बारे में दी है। पहले पैरा में मन्त्री जी ने लिखा है कि बिजली घरों के लिए कोयले का कार्य विद्युत विभाग तथा उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति का कार्य उद्योग विभाग का है। मेरा निवेदन यह है कि श्रीमन्, यह वक्तव्य अधूरा है। जब आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ है और जो एक महत्वपूर्ण विषय है, बिजली की आपूर्ति के बारे में और कारखानों के बारे में वक्तव्य नहीं दिया गया। यह अधूरा वक्तव्य है, पूरा वक्तव्य शासन को देना चाहिए था, मुख्य मन्त्री जी को। मैं इसमें व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता हूं, यह अधूरा वक्तव्य है। माननीय मुख्य मन्त्री जी कल पूरा वक्तव्य दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979†

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, विभाग का जो भी प्रस्ताव इन्होंने रखा है, इनका दुर्भाग्य ही रहा है. . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक है यह बहुत छोटा विधेयक है. . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आप पहले भी बर्खास्त हुए थे, फिर दुबारा बर्खास्त होना है आपको ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह बहुत छोटा संशोधन विधेयक है और बहुत ही निर्दोष संशोधन है और मुझे पूरी आशा है कि मेरी बातों को सुनने के बाद माननीय रियासत हुसैन जी और उनके साथ इस माननीय सदन के जितने भी सदस्य हैं, सब इस संशोधन को एक स्वर से स्वीकार करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आप यह जो संशोधन रख रहे हैं यह मालूम है कि नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इसमें जो उद्देश्य और कारण दिखाया गया है, उसमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि जो दूसरा संशोधन अधिनियम धारा 24 के अन्तर्गत किया गया था, उसके अनुसार नगरपालिकाओं के पुनर्गठन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गयी थी। प्रदेश में केवल 5 नगर महापालिकाएं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी हैं। मान्यवर, किन्हीं कारणों से इनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के उत्तर में और इसके अतिरिक्त कोई एक सूचना भी दी गयी थी विधान परिषद् में। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस बात को बतलाया है कि चुनाव कराना चूंकि सम्भव नहीं था और इसका कार्यकाल आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है इसलिए केवल 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

6 महीने तक सरकार रहेगी भी ?

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

इन्होंने यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है शायद पाँचवीं या छठी बार, क्योंकि पहले माननीय मन्त्री जी ही एल0एस0जी0 के मन्त्री थे तो इन्होंने टाइम माँगा तो इनका तबादला हो गया। फिर माननीय बाजपेयी जी आ गए, उन्होंने भी टाइम माँगा तो उनका भी ट्रान्सफर हो गया तो उसके बाद अब रामाधार जी आए हैं। अब देखिए इनका क्या हश्र होता है। इस संशोधन का, जो बार-बार हो रहा है, यह गन्दगी में इस तरह से लथड़-पथड़ हो गया है जैसे महापालिकाओं में जगह-जगह सड़कों पर गन्दगी है उसी तरह से यह संशोधन भी गन्दा हो गया है।

---

†दिनाँक 20 मार्च, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

समझ में बात नहीं आती कि पाँच, छः बार टाइम माँगा जा रहा है और श्रीमन, अब हो गया कि डेट एनाउन्स हो गयी नोटीफिकेशन की, लखनऊ से आर्डर आने वाला है इलेक्शन के प्रोग्राम का, लेकिन पता चलता है कि सब उड़ गया। अगर आप को ब्यूरोक्रेसी से, अधिकारियों से, इतना ही प्रेम है तो बावजूद इसके कि बार-बार टाइम माँगे आप एक ही बार यह कह दें कि परमानेंटली इन संस्थाओं को डिजाल्व कर दिया और इनकी कोई जरूरत नहीं है। यह ज्यादा अच्छा होगा मुकाबले इसके कि 6 महीने बाद आप फिर टाइम माँग रहे हैं। आज 6 महीने के लिए टाइम माँगते हैं तो उसके बाद एक लहर दौड़ेगी कि इलेक्शन होने वाले हैं, फिर कार्यक्रम बनेगा, इधर-उधर भागेंगे और जब वक्त आयेगा तो पता चलेगा कि फिर 6 महीने का टाइम माँग लिया है। यह बार-बार की दास्तान है। इस दास्तान ने जनता पार्टी की इमेज को धूमिल कर दिया है।

माननीय मन्त्री जी चाहे जो कुछ कहें लेकिन जनता तो यह समझती है कि जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है इलेक्शन को फेस करने की और बार-बार टाइम माँग कर आप इसका सबूत दे रहे हैं। मैंने पिछली बार भी प्रश्न की शक्ल में यह सवाल पूछा था माननीय गनेश दत्त बाजपेयी जी से। स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या आप अपने एश्योरेन्स में यकीन का लब्ज जोड़ेंगे, यकीन के साथ आप इलेक्शन टाइम के अन्दर करा देंगे। वह नहीं कह पाए थे। जब आप यकीन के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसके माने यह है कि आप इलेक्शन नहीं करा पायेंगे और टाइम बढ़ाने की बात हमारे सामने है ही।

यह तो पास हो ही जायगा, मैजोरिटी आपकी है। पैसे कौड़ी का सवाल तो इस में है नहीं कि छोटी-छोटी पार्टी के लोग भी इसमें दिलचस्पी लेते और आप को कुछ खतरा होता। तो यह तो आसानी से पास हो जायगा। फिर भी एक बात तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो ओरिजनल ऐक्ट है उस पर आप बार-बार संशोधन करते हैं। उसके अन्दर कोई कमजोरियाँ हैं जिनकी वजह से आप इलेक्शन फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बार-बार टाइम माँगते हैं। एक बार एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने इसे जाने दीजिए, उसे परिधि बढ़ाने की एथारिटी दीजिए और बैठकर तसल्ली से वन्स फार आल निर्णय कर लीजिए और उसी के आधार पर बिल सदन में पास कराके इलेक्शन करा डालिए। बार-बार टाइम माँगना हमें अच्छा मालूम नहीं होता। यह सदन के लिए भी शर्म की बात है और आप लोगों के लिए शर्म की बात है या बेशर्मी की बात है, मैं नहीं कह सकता आप लोग जज कर सकते हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कहते हैं बहुत छोटा बिल है और मासूम है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि बड़ा खतरा है जिस रास्ते पर जनता पार्टी चल रही है। मान्यवर, कहते हैं दूसरी आजादी लाए। स्वतन्त्रता के, जनतन्त्र के हामी। बाकी तो एथारेटेरियन इधर बैठ गए। शुद्ध जनतन्त्र वाले जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, दूसरी आजादी लाने वाले उनके कार्यकाल के डेढ़ साल में क्या हुआ, जिला परिषद् भंग, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियाँ भंग, क्षेत्र समितियाँ भंग, महापालिकायें खत्म। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्वायत्तशासी संस्था उत्तर प्रदेश के अन्दर है जहाँ प्रशासक न हो। सारे जनतन्त्र को खत्म कर के आपने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के हाथ में पूरे प्रदेश की स्वायत्त शासी संस्थायें समर्पित कर दी हैं।

क्या कारण है कि लगातार तीन स्वायत्त शासन मन्त्री सदन में रहे और तीनों के तीनों मन्त्रियों ने अपना यह कर्तव्य बना लिया कि चुनाव की तारीखों को टालते जाते हैं। ऐसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री हैं जो अपने पुराने मन्त्रियों से भी सबक नहीं सीखते। सत्य प्रकाश मालवीय जी दुबारा इस बिल को ला रहे हैं। कहीं पुराना हश्र न हो जाय। मालवीय जी बिल लाए उनको बरखास्त कर दिया। गणेश दत्त आए, वह बिल लाए उनको भी बरख्वास्त कर दिया। माननीय पाण्डेय जी बहुत समझदार हैं। वह यह सब देख चुके थे। लिहाजा बजाय इसके कि वह खुद इस बिल को लाते उन्होंने सोचा मालवीय जी के मत्थे इस को मढ़ दो। आखिर वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप चुनाव नहीं करा सकते।

इन्दिरा गाँधी डिक्टेटर थी लेकिन उसने लोक सभा का पूरे देश में चुनाव करा दिया लेकिन आप जनतन्त्र के हामी हैं, दूसरी आजादी लाने वाले हैं कृपा कर बतला दें कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आप म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने में असमर्थ हैं? कोई नीति आपकी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जो चेयरमैन होंगे उनके प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, कभी कहते हैं कि उनके अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। यह आप तय नहीं कर पाए कि म्युनिसिपैलिटीज का कम्पोजीशन किस तरह का होगा? पंचायतों का बिल आयेगा तो फलाँ तारीख तक पंचायतों का चुनाव करा देंगे लेकिन मन्त्री जी कहते हैं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं देखी। कृपा कर बतला दीजिए कि चेयरमैनों का चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से करायेंगे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करायेंगे? शासन ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है? दूसरे यह भी बतला दें कौन से वे कारण हैं जिनके कारण आप चुनाव नहीं करा सके और अब तक आप चुनाव कराने में असमर्थ हैं? जवाब तो माननीय मालवीय जी कुछ न कुछ दे ही देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि डर हमसे नहीं लगता। डर आपको राज मंगल पाण्डेय जी से है। चुनाव करायेंगे तो टिकट बाँटने का सवाल आयेगा। उस समय राज मंगल पाण्डेय जी अपनी तरफ खींचेंगे और श्रीवास्तव साहब जो उधर बैठे हैं वह भी चुप नहीं रहेंगे। वह कहेंगे हमारे घटक का क्या होगा? तो यह घटकवाद असली कारण है।

घटक का जो चक्कर चल रहा है उसके कारण जनता पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ती, जनता पार्टी की जनता के सामने जाने की। आप आपस में लड़ें हमको कोई ऐतराज नहीं है लेकिन पार्टी के जो अन्दरूनी झगड़े हैं उनसे उत्तर प्रदेश के अन्दर जनतन्त्र की हत्या मत करिए और उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी संस्थाएं हैं उनको नौकरशाही के हवाले मत करिए। इन शब्दों के साथ मैं रियासत साहब का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, इच्छा तो यह थी कि परिवहन मन्त्री जी को दुबारा मन्त्रि परिषद् में आने के बाद जब कभी वह कोई विधेयक पारित करायें तो मैं उनको वास्तविक बधाई दे सकूं क्योंकि दुबारा मन्त्रि परिषद् में आने का सौभाग्य संघर्ष करने के बाद कम ही लोगों को मिला है।

श्री देव बहादुर सिंह--

चौधरी चरण सिंह को मिला है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तुलना अच्छी है. . . .

(व्यवधान)

हमारे मालवीय जी का स्वभाव अब निखर कर सामने आ रहा है। उनकी शराफत है कि अब उनके स्वभाव की अच्छाइयाँ भी सामने आ रही हैं। अगर मुझे उनके वक्तव्य भूलते नहीं हैं तो जब वे हम जैसे साधारण सदस्य थे अभी हाल ही तक, तो उन्होंने स्वयं चुनावों के स्थगन का विरोध किया था और कहा था कि हमें चुनाव स्थगित नहीं करने चाहिए और ये निश्चित तिथि तक हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री या यों कहिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हमारे मित्र माननीय परिवहन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मन्त्री जी को एक बड़े धर्म संकट में डालने के लिए उन्हें छोटा कि वे इस विधेयक का पारण करायें। क्योंकि अधिकांश विधेयक तो हमारे आबकारी मन्त्री जी पेश कर दिया करते हैं, वे विराजमान हैं। वे बड़े योग्यता से उसको निपटाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे योग्य मन्त्री, परिवहन को यह दायित्व क्यों सौंपा गया, आबकारी मन्त्री ने क्यों इसका दायित्व ग्रहण नहीं किया, यह समझ में नहीं आता। कभी-कभी राजनीति में असमंजस की स्थिति आ जाती है और ऐसी दशा में ही माननीय मालवीय जी को डालने का प्रयास किया गया और सफलतापूर्वक किया गया।

श्रीमन, चुनावों की घोषणा इस सदन में हुई और अगर कहीं हमारे माननीय सदस्य भूतपूर्व मन्त्री माननीय बाजपेयी जी यहां हों और वे भाषण देना चाहेंगे, उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ चुनाव कराने के बारे में कहा था और मुख्य मन्त्री भी जमे रहे कि चुनाव निर्धारित तिथि तक होने चाहिए। फिर क्यों ये चुनाव स्थगित किए गए? इसका कारण नहीं बताया गया। 18 जनवरी को नोटीफिकेशन निकलने वाला था, निर्णय होने वाला था। क्यों नहीं हुआ।

यह पहली घटना प्रदेश में हुई कि प्रदेश की डेढ़ करोड़ मतदाता जो मत देने वाले थे चुनाव ही स्थगित कर दिए। वहां उम्मीदवारों के चयन का काम शुरु हो गया था। और स्वतन्त्र उम्मीदवार भी अपना काम शुरु कर दिए थे किन्तु नोटीफिकेशन निकालने के दिन ही यह तय हुआ कि वे स्थगित करा दिए गए। उसके सम्बन्ध में सब कार्यवाही हो चुकी थी, नोटीफिकेशन प्रेस में चला गया था, समाचार-पत्रों में आ गया था किन्तु स्थगित करा दिए। मैंने कुछ मन्त्रियों से जानने की कोशिश भी की कि क्या कारण है तो बताया गया कि जनता पार्टी के आन्तरिक चुनाव होने वाले हैं और इसी के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा हैं। यह सूचना दी गयी। यह बात पहले भी इन्हें मालूम थी कि जनता पार्टी के आन्तरिक चुनाव होने को हैं। इसकी जानकारी पहले भी थी जबकि यह आश्वासन सदन को दिया गया था कि फरवरी में चुनाव होंगे। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कार्यक्रम घोषित हो चुका था और उसके जानते हुए भी चुनावों की घोषणा हुई थी। तो फिर क्यों ये चुनाव रोके गए? क्या जनता पार्टी के आन्तरिक चुनाव नहीं हुए? मुख्य मन्त्री जी का चुनाव हो गया, काफी है....

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

जब संजय गांधी का डाइरेक्शन आता है तो तिवारी जी...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारे साथी बेचारे बड़ा पवित्र नाम यहां पर लेते हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूं वह भिन्न-भिन्न बोलियां बोलते हैं कभी कोयल की बोली बोलते हैं और कभी ऐसी बोली बोलते हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि आन्तरिक चुनाव के कारण वह स्थगित हुए। माननीय परिवहन मन्त्री जी को इस बात से सहमत होना चाहिए कि किसी भी पार्टी के चाहे वह कांग्रेस (आई) हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या जनता पार्टी हो उनकी पार्टी के आन्तरिक चुनावों का अपना महत्व है लेकिन नगर निकायों के चुनावों का अपना महत्व है वह किसी पार्टी के चुनावों के आधार पर स्थगित नहीं होने चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि वह किसी प्रकार भी आन्तरिक चुनावों के आधार पर सामान्य चुनावों को स्थगित न करें। अगर चुनाव रोकने की बात आए तो जनता पार्टी के आन्तरिक चुनाव रुकने चाहिए थे। उनको कहना चाहिए था कि चूंकि टाउन एरिया नगर पालिकाओं आदि के चुनाव हो रहे हैं इसलिए आन्तरिक चुनाव रोके जाते हैं। यही होता आया है कि जब कभी आम चुनाव

होते हैं तो पार्टियों के चुनाव रोक दिए जाते हैं। लेकिन यहां यह एक नई मिसाल दे रहे हैं कि नगर निकायों के चुनाव रोक दिए गए और आन्तरिक चुनावों को प्राथमिकता दी गयी। ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि परिवहन मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण देने में अन्तरतम की गरिमा में डालेंगे क्योंकि इसका जो आधारभूत सिद्धान्त है उसकी अवहेलना हुई ह। एक राजनीति का मापदण्ड है उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से उल्लंघन हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम इस विधेयक को लेते हैं तो हमें स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार ह।

तीसरी बात, माननीय परिवहन मन्त्री जी ने शासन की ओर से यह नहीं बताई कि नये चुनाव कब होंगे। मैं बड़े ध्यान से उनका भाषण सुन रहा था। ठीक है 30 सितम्बर तक का इसमें समय मांगा है। तो इन 6 महीनों में कब चुनाव होंगे। यह तो आप कृपया बता दें कि फलां तारीख तक वोटर लिस्ट ठीक कर दी जायगी। तो कुछ तो मालूम होना चाहिए। अखबारों में पढ़ा था स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने इलाहाबाद प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि 30 जून तक करायेंगे। हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि जब सदन चल रहा हो तो वह नीति की घोषणा यहां पर करते जोकि एक सामान्य नियम है। तो इलाहाबाद में वह घोषणा की गयी लेकिन यहां पर नहीं कहा गया। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी या परिवहन मन्त्री जी जो इसे लाए हैं बतायें कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था वह सही था या नहीं। हमें मालूम होना चाहिए।

प्रदेश की जनता और लाखों मतदाता व उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेते हैं कम से कम 25 से 40 हजार तक उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और दो बार वह तैयारी कर चुके हैं। जब इस विधेयक के बारे में समाचार पत्रों में बात आई तब शासन की अदूरदर्शिता परिलक्षित हो गयी। क्या मानचित्र इस शासन का बनेगा? मैं तो शासन की मदद कर रहा हूं कि शासन की छवि धूमिल न हो धूल-धुसरित न हो. . .

(व्यवधान)

शासन महान है। तो मेरा निवेदन यह है कि अब स्पष्टतया तिथि आनी चाहिए। यह अनिवार्य है, प्रदेश को विश्वास देने के लिए, शासन के प्रति जनता की आस्था बनाए रखने और शासन की घोषित नीतियों पर लोगों का विश्वास स्थिर रखने के लिए। आप हमारी चाहे जितनी आलोचना करें, इस समय हम विरोधी दल हैं, शासन में आप हैं, नवाब देही आप की है।

श्री ऊदल—

मालवीय जी अब दुबारा गलती करने वाले नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मालवीय जी न करें, कौशिक जी कर दें।

एक सदस्य—

वह भी बरखास्त हो जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह बरखास्त नहीं होंगे, उनकी मन्डली ज्यादा सुदृढ़ है। वह शायद घोषणा कर सकते हैं। इसलिए वह कम से कम तिथि की घोषणा कर दें। उस समय चुनाव गलत स्थगित हुए थे, इसको वह भी मानते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, हम लोगों को लग यह रहा है कि इन दो वर्षों में चौथी बार यह संशोधन इस विधेयक में आया है। अगर यह घोषणा देखी जाए तो मंत्रियों द्वारा 6 बार घोषणा की गई है। जितना इस समय-समय हो गया, उसको छोड़कर अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो लगता है कि अभी 6 बार इसका संशोधन और होगा, चाहे कोई मंत्री आवे, चाहें कोई मुख्य मंत्री आवे।

[श्री श्याम धर मिश्र]

माननीय तिवारी जी कह रहे थे कि शायद जनता पार्टी अपने चुनाव से सम्बन्ध रखती है, मैं तो उससे भिन्न कुछ कहना चाहता हूं। यह पार्टी तो शायद चुनाव में विश्वास ही नहीं रखती है, वरना अपने ही दल का चुनाव कैसे न कराती। यह अपने दल का ही चुनाव नहीं करा सके, तो कैसें इन संस्थाओं का करा पायेंगे। (व्यवधान) मानसिंह आजाद बोल रहे हैं, मैनेजर सिंह जी उनको उत्साहित कर रहें हैं, तो मैं कह रहा था कि जो बातें इन दो वर्षों में बराबर हो रही है, यदि आपका मंत्रि मंडल निश्चित रूप से चाहता है कि आपको दो-तीन वर्ष का समय और चाहिए तो आप एक बार में उसकी स्वीकृति हमसे ले लीजिए, हाथ उठवा लीजिए। उससे हमें शिकायत नहीं होगी। शिकायत तो इससे है कि जो गैर सरकारी लोग काम कर रहे थे, उनको भंग कर दिया और अब सरकारी सूत्रों के हाथ में दे दिया गया है और उनके चुनाव में बिलम्ब हो रहा है। चाहे पाँच बड़े म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, चाहे छोटी म्युनिसिपैल्टीज हो, चाहे टाउन एरिया हों और चाहे जिलापरिषद हों, सब जगह जिलाधिकारी या ऐडमिनिस्ट्रेटर के अधीन इनका काम हो रहा है। इनमें न कोई सलाहकार समिति है और न कोई विवेकपूर्ण काम हो रहा है। आप जितना विवेकपूर्ण काम कर सकते थे, कर रहे हैं।

जनता पार्टी अपने इतने आन्तरिक विवादों में पड़ चुकी है कि उसके पास समय नहीं है। पिछली बार एक समय आया दो तीन महीने पूर्व, हम लोग तैयार हुए, घोषणा हुई कि अमुक अमुक तारीख को चुनाव होगा, अमुक तारीख को अधिसूचना जारी होगी आदि-आदि। लकिन समय बीता, 15 दिन बीते, उसके तत्काल बाद यह घोषणा हुई कि अब चुनाव नहीं होने वाले हैं।

अब नया मंत्रिमंडल आया, तो हम लोग आशा करते थे कि कम से कम अब चुनाव होगा। लेकिन यह नया बिल आ गया। छ: महीने का और टाइम दीजिये। मैनेजर सिंह जी और ऐतराज करते हैं मंत्रिमंडल पर लेकिन इस समय हाथ उठायेंगे, और पर चीत्कार करते हैं, इस पर चीत्कार नहीं करेंगे। इस पर मैनेजर सिंह का ऐतराज, जो शुरू में चीत्कार किये,...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीत्कार क्या करूंगा ? मुझे क्या मेनिया हो गया है चीत्कार करने का ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं यह कह रहा था कि अगर यह निश्चित है कि छः महीने में चुनाव होना है तो आप घोषणा करें। लेकिन अगर नहीं चाहते तो आप स्वयं इस बिल को विदा करके आप दो वर्ष का समय ले लीजिये। लेकिन निश्चित अवधि होनी चाहिए। आप तीसरी या चौथी बार यहाँ आये हैं और आशा है कि फिर से आयेंगे और अगले सत्र में टाउन एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज, के लिए आएंगे, कारपोरेशंस या जिला परिषद् के लिये आयेंगे। किन्तु दुख इस बात का है कि जो सभासद लोग काम कर रहे थे म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशंस में उनको भंग कर दिया गया। विधि का राज जिसकी घोषणा आप कर चुके हैं वह विधि का राज्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप विधि का राज्य जल्द से जल्द ले जाएं, बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि जनता पार्टी का कम बहुमत आयेगा, या अल्पमत आयेगा, चुनाव की घोषणा करें। मैं इसीलिए इस बिल का विरोध करता हूं और मैं माननीय रियासत हुसैन का जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है उसका भी विरोध करता हूं क्योंकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहता।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, इस प्रदेश में श्री नारायणदत्त तिवारी की सरकार ने चुनावों को बलाये ताक रख दिया। न यहाँ पर नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और न महानगरपालिकाओं के चुनाव

हुए, न जिला परिषदों के चुनाव हुए। सही बात तो यह है कि चुनाव में उनका तो यकीन ही नहीं रहा। लेकिन मुझे ताज्जुब तो श्री श्यामधर मिश्र....

श्री श्यामधर मिश्र—

इसीलिए इधर आ गये, आप इधर से उधर चले गये। खराबियाँ इधर रहने दीजिये।

श्री बनारसी दास—

मुझे ताज्जुब है। वह तो हमारे साथ थे। वह हमारे साथ सेहरा जी से, नारायण दत्त जी से लड़ते थे। यह जो उनका अधिनायकवाद है, यह जो चुनाव के अन्दर अविश्वास है, यह जो भय है, हम और श्यामधर जी मिल कर उसके विरुद्ध लड़ते थे। हमारा इरादा चुनाव से भागने का नहीं है। आप चाहते थे कि उम्र कम कर दी जाय हमने उम्र कम की। फिर एक बात यह है कि नयी इमारत बनाना आसान होता है। लेकिन टूटी-फूटी, जीर्णशीर्ण इमारत पर बनाना हो तो पहले उसका मलबा हटाएंगे। (मेजों की थपथपाहट) मलबा को हटाने के बाद सफाई करने के बाद, फिर नयी इमारत खड़ी करेंगे। इतना बड़ा मलबा उनकी सरकार छोड़ गयी है, हमको पहले सालवेज करना है, कूड़ा करकट को हटाना है। साफ करके फिर नयी इमारत ढालनी है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पूरा संकल्प है, हम छः महीने में चुनाव करायेंगे और इससे पीछे नहीं जायेंगे। और मैंने कई दफा कहा है कि यथासमय चुनाव, जहाँ कहीं भी नामिनेशंस है और मैं समझता हूं कि हमारा तजुरबा भी रहा है और मैंने अपने मित्रों से कहा है कि यह नामिनेशन्स कभी भी किसी भी दल को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। इससे असन्तोष ज्यादा पैदा होता है। ज्यादा सरल रास्ता चुनाव का ही है, चाहे मन्डी समिति हो या कोआपरेटिव हो। कुछ लोगों को खुश करने का मोह बड़ा भ्रमित होता है। नामिनेशन्स केवल वहीं पर होने चाहिए जहाँ पर अपरिहार्य हों और चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाये।

इस विधेयक के द्वारा हमारा मकसद है कि चुनाव 6 महीने के अन्दर हो जाये। हमारे रियासत साहेब को ऐसा लगता है, वह लाल टोपी पहनते हैं, गर्मी के दिन आ गये है, वह हमेशा ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी का मकसद है कि आप चाहते हैं कि चुनाव न हों। मैं उनसे कहूंगा कि कभी तो उनको विवेक पर यकीन होना चाहिये। अब तो 6 बजे है, गर्मी नहीं है। मैं रियासत साहेब से कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

आपके भी 6 महीने देख लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मुख्य मंत्री जी पर रहम आता है कि वह अपना ही कूड़ा करकट नहीं साफ कर पा रहे हैं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को समर्थन करने में बहुत खुशी नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने न तो रियासत साहेब द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का ही समर्थन किया है और न माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का ही समर्थन किया है। इस समय बहस संशोधन विधेयक पर हो रही है, कुछ लोग विपक्ष में बोले और कुछ पक्ष में बोलें, लेकिन यह अजीब बात है कि कुछ माननीय सदस्य बोले हैं वह न पक्ष में बोले न विपक्ष में बोले, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। मान्यवर, बीच की बात विचाराधीन ही नहीं है और उस पर वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं 1974 से इस सदन का सदस्य हूं। नारायण दत्त तिवारी जी की भी सरकार को देखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह--
बनारस के पास बुद्धि है या नहीं यह कैसे माने ?

श्री शतरूद्ध प्रकाश--
1974 में तिवारी जी की सरकार को देखा है। नेगी जी सी0पी0 आई0 के सदस्य थे और उनको भी देखा है। देव बहादुर जी को मालूम ही होगा कि काशी में ही बुद्धि है। मैंने तिवारी जी को सुना उन्होंने जो कुछ कहा वह केवल विरोध करने के लिए कहा है। मैं उनका प्रशंसक हूं उनसे एक कला मैंने सीख ली। वह कवि सम्मेलन में जाया करते है। कवि सम्मेलन हम कर रहे है, उसमें सेहरा जी आ जाये और उसका कविता पाठ कर दें। कही तो कोई गम्भीर बात करनी चाहिए।

एक सी0 पी0 आई0 है जिसके आजीवन अध्यक्ष डांगे जी रहे और जब वे नहीं रहेंगे तभी वे बदलेंगे। सेहरा जी की पार्टी में अगर इंदिरा जी को अध्यक्ष न बनाया गया तो पार्टी ही तोड़ देंगी और अगर श्यामधर जी की पार्टी में आज चुनाव करा दिया जाय तो पार्टी ही टूट जायेगी। अपने अपने अंचलों में भी झांक कर देखें। यह जनता पार्टी ही है कि जिसने 18 साल की आयु के लोगों को मताधिकार देने की कोशिश की है। वर्ष 1967-74 तक हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आपकी सरकार ने हमको जेल में ठूंस दिया लेकिन कांग्रेस (ई) की सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया बल्कि जनता पार्टी की सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और 18 वर्ष की आयु कर देना मेरे लिए और तमाम नौजवानों के लिए गौरव की बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इनके चुनाव के लिए 6 महीने की अवधि निश्चित की है, मुझे आशा है वे उसको टालेंगे नहीं। हमारे मुख्य मंत्री जी चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय रियासत साहब ने जो अपना संशोधन रखा है कि इसको सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो वह संशोधन उनको टालने वाला है। इसलिए समझदारी की बात यही है कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और इस संशोधन विधेयक को पारित कर दें और 6 महीने में चुनाव हो जायं तो अच्छी बात होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--
मान्यवर, मैं जब एक छात्र था तब से इस बात को जानता हूं कि अगर किसी बात को न करना हो तो उसके लिए एक समिति बना दें। माननीय नेता सदन ने इसलिए घोषणा भी कर दी है कि 6 माह के अन्दर वे स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव अवश्य करा दिए जायेंगे। मैं उस ओर के बैठे हुए तमाम माननीय विधायकों और इस पक्ष के भी जो विधायक है, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जून, 1975 और उसके बाद की घटनाओं पर दृष्टिपात करें। देश की निर्वाचित लोक सभा केवल 5 वर्षों के लिए निर्वाचित हुयी थी लेकिन इस देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री ने तमाम लोकतांत्रिक मान्यताओं को समाप्त कर, जो संविधान के प्राविधान थे उनको समाप्त करके न केवल अपना कार्यकाल बढ़ाया बल्कि 1971 में केवल 5 वर्ष के लिए चुनाव न कराते हुए उसका कार्यकाल 6 वर्ष करा दिया। लेकिन इस देश की जनता ने अपने मत के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को ही खत्म कर दिया और देश में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुयी और इसने अपना कार्य भार संभालने के 1 या 1 1/2 महीने के अन्दर ही इस देश की 9 विधान सभाओं में चुनाव कराये और यह इस देश का सौभाग्य है कि 9 की 9 विधान सभाओं में कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार लौट कर नहीं आयी। यही नहीं, बाद में लोक सभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में जहां हम रह रहे है, भी हुए और अनेक विधान सभाओं में भी चुनाव हुए लेकिन उन विधान सभाओं में भी अधिक संख्या में जनता पार्टी के ही लोग आये। कहने का तात्पर्य यह है कि हम चुनाव से घबराते नहीं है और हम पूर्णतः आशावान है कि जब भी यहां पर चुनाव होंगे, उधर के जो लोग बैठे हुए है, उनके दल के लोग लौट कर आने वाले नहीं है।

(जोर-जोर से मेजें थपथपायी गयीं)

अभी माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने आपको याद दिलाया कि जनता पार्टी की ही यह पहली सरकार है जिसने माननीय जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आन्दोलन इसके लिये शुरू हुआ था कि नौजवानों को भी अधिकार मत का दिया जाये, इसे पूरा किया और 18 वर्ष तक नौ जवानों को मत का अधिकार दिया। इसके लिये तो आपको जनता पार्टी की सरकार को बधाई देनी चाहिये थी ।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

बधाई इसलिये देते है कि कानून तो आप बना रहे है पर चुनाव नहीं कराते। इसके लिये बधाई है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय नारायण दत्त तिवारी, माननीय रियासत हुसैन, माननीय गोविन्द सिंह नेगी और माननीय श्यामधर मिश्र जी को शायद कुछ भ्रम है, वे भ्रमित हैं, वे यह समझते हैं कि चुनाव कराने का हमारा इरादा नहीं है, यह संशोधन केवल इसलिये है कि हम वास्तव में चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय मिश्रा जी ने 6 महीने की जगह 2 वर्ष रखने का प्रस्ताव किया रियासत साहब ने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की यह निश्चित रूप से पूरी इच्छा है कि चुनाव कराये जायं, जनता पार्टी न चुनाव कराये है और चुनाव में जनता पार्टी के ही उम्मीदवार अधिक तादाद में जीत कर आये भी हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

चेयरमैनों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नेगी जी इस सदन के विद्वान सदस्य है। उनको मालूम होना चाहिये इसी सदन में एक विधेयक पारित हुआ है जिसमें उनको जनता द्वारा सीधे चुने जाने का प्राविधान है। अतः अब मैं यह निवदन करूंगा कि यदि माननीय रियासत साहब वास्तव में यह चाहते है कि चुनाव जल्दी हों, तो वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें और इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री रियासत हुसेन से) आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं ?

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। इस समय चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित है, मैं यह नहीं चाहता कि इस चुनाव की घोषणा करके माननीय मुख्य मंत्री का भी ट्रांसफर हो जाये और माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी को दोबारा कष्ट देना पड़े, (व्यवधान) और उन्हें यह घोषणा करना पड़े कि कूड़ा करकट साफ हो गया, मगर संजय गांधी और माननीय राजनारायण जी की जो बातचीत की चर्चा चल रही है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसका जिक्र न करें।

श्री रियासत हुसैन—

मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी 30जून से पहले यह चुनाव कराने की घोषणा कर दें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि वढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4 खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1977 की धारा 2 और 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 और 3 में, जहां-जहां शब्द "अट्ठारह मास" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिए जायेंगे और 16 जनवरी, 1979 को रख दिए गए समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन।

3—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में शब्द और अंक "31 मार्च, 1979" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1979" रख दिए जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 5, सन् 1979

4—(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979†

*कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जहां तक मण्डी समितियों के चुनाव का सम्बन्ध है, जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि मण्डी समितियों का गठन किया जाय। इसमें कुछ बहुत मामला नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

या तो इसे बिना भाषण के पास करा दीजिए या तो चाय का प्रबन्ध कीजिए ।

श्री शिव मंगल सिंह—

आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अप्रैल, 1978 में जब यह अवधि दिसम्बर, 1978 के लिए बढ़ाई गई तो यह प्राविधान भी किया गया कि शासन द्वारा प्रत्येक मण्डी समिति के कार्य तथा दायित्व निर्वहन करने के लिए एक सात सदस्यीय समिति नामित की जा सकती है। चुनाव दिसम्बर, 1978 तक कराने की बात थी, लेकिन उस समय चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी। इसलिए 6 नवरी, 1979 को अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया, इसलिए यह करना पड़ा। जहां तक मण्डी समिति के चुनाव का सम्बन्ध है, मैं यह माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी इस नामांकन प्रथा के विरुद्ध हूं और इसके फलस्वरूप गन्ना विकास मुझे सौंपा था, उस समय भी मैंने घोषणा कर दिया था हाउस में, इसी सदन के अन्दर कि मैं इस नामांकन को समाप्त करके और शीघ्र ही इसके चुनाव की व्यवस्था करा दूंगा और आप सबको प्रसन्नता होगी यह जानकर कि उसके चुनाव प्रारम्भ हो गये हैं और शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं ।

जहाँ तक मण्डी समिति का सवाल है, इसमें कुछ विशेष कठिनाई थी, ऐसा मालूम होता था कि अभी जो हमारी मतदाता सूची है, वह न तो गांव सभाओं की और कुछ अन्य भी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई हैं। निर्वाचन क्षेत्र का जहां तक सवाल है, इसमें 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। (1) स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र (2) सहकारी क्रय-विक्रय समिति निर्वाचन क्षेत्र (3) आढ़तिया निर्वाचन क्षेत्र (4) व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र (5) उत्पादक निर्वाचन क्षेत्र (जिसमें ग्राम प्रधान चुनाव करता है) ।

इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में आते ही आते मैंने जानकारी प्राप्त की अपने चुनाव निदेशक से कि यह चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, उन्होंने कठिनाई मुझ से बतलाई। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्रतिशीघ्र आप इस सूची को जो प्रमाणित होकर फाइनल हो जाती है, उसमें शीघ्रता करा दें, क्योंकि उसी आधार पर मण्डी समिति के चुनाव होने वाले हैं, ताकि उसी के अनुसार परिसीमन तथा गठन आदि होगा, सारी प्रक्रिया उसके द्वारा करनी है, तो जब तक उन सूचियों को पूर्णतः प्रकाशित नहीं किया जाता है, तब तक मण्डी समिति का चुनाव पूरा नहीं हो पायगा, इसलिए एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिया जाय, यह उसके पूर्व ही चुनाव सम्पन्न हो सकेगा तो चुनाव सरकार करा देगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे आश्वासन को देखते हुए माननीय सदस्य अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

---

†दिनांक 19 मार्च, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, यह एक ऐसा बदकिस्मत यूनिट है, मण्डी समितियों का सन् 1964 में इस माननीय सदन ने इस को लागू किया। श्रीमन्, उस वक्त भी मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य था और मुकम्मिल 14 साल हो गये लेकिन आज तक इन मण्डी समितियों के चुनाव हो नहीं पाए हैं। यह ज्यादा अच्छा होता कि अगर माननीय मन्त्री जी, जिनकी मैं इसलिए इज्जत करता हूं कि गन्ने के मामले में माननीय कृषि मन्त्री जी ने चुनाव करा डाला, इसमें आप मातहत हैं माननीय जमुना प्रसाद बोस जी के, जब तक ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं होंगे उस वक्त तक चुनाव नहीं हो सकते, यह कहते। जैसा कि आपने अभी फरमाया, क्योंकि इसके जो वोटर्स हैं वे ग्राम प्रधान हैं इसलिए जब ग्राम सभाओं के चुनाव हों तब जाकर आप चुनाव करा सकेंगे। इसलिए आपका इसमें कुछ अधिकार ही नहीं है। आप यह कहते है कि हम ग्राम सभाओं के चुनाव के 6 माह के बाद यह चुनाव करा देंगे।

श्रीमन्, इनकी मण्डी समितियों में जो कमेटीज हैं उनके शुरु से नामिनेटेड कमेटीज चली आ रही हैं लेकिन एक और दूसरी मजे की बात है कि इन कमेटियों की हैसियत यह है कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समितियों के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम निर्देशित करके बदल सकती है और अब यह हो रहा है।

इत्तिफाक से जो घटनाचक्र आ गया शक्ति परीक्षण का तो माननीय सदस्य, जो जिलों के थे और जिनकी सिफारिश की गई थी और जो इन तदर्थ समितियों में नहीं आ पाए थे, श्रीमन्, वह फूलने लगे और कहने लगे कि आपने हमारा काम नहीं किया और शक्ति परीक्षण में वोट मांगने आ गए। और अब चूंकि पुनर्गठन हो गया है सरकार का और मोहकमा आपके पास आ गया तो आपके सामने भी यही समस्या आ रही है कि पिछले कृषि मन्त्री ने जो कमेटियां बनाई थीं वह ठीक नहीं थीं इसलिए आप चेयरमैन को बदल दो और उनके सदस्यों को बदल दो। तो इसलिए पूरे प्रदेश में जो चेयरमैन कार्य कर रहे हैं उनकी किन परेशानियों से, भागदौड़ में, किन मन्त्रियों ने कोशिश की, सिफारिश की, समितियां बन गयीं और अब उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर नंगी तलवार लटक रही है कि न तो वे चेयरमैन रहेंगे और न अब माननीय सदस्य ही।

लिहाजा वह मामला वैसे लटका हुआ है। तदर्थ समितियां काम कर रही हैं, चयरमैन काम कर रहे हैं, अपने भत्ते और एलाउन्स वगैरह ले रहे हैं। लेकिन कोई सेल कोई बेचने आदि का प्रबन्ध जब तक नहीं होगा जब तक कि डाइरेक्टर मण्डी समिति की स्वीकृति नहीं होगी। तदर्थ समितियाँ तो खुश करने के लिए बनी हैं और हर वक्त सर पर तलवार लटकी है तो यह जो तमाशा बनाया है, तमाशे के बजाय ठोस कदम उठाएं।

मन्त्री जी स्वयं चाहते हैं, गन्ना समितियों का चुनाव करा दिया चाहे राइट या रांग, उनके चुनाव हो गये। तो जैसा मैंने कहा मन्त्री जी चाहते भी हैं तो दूसरी चीजें बाधक बनी हैं। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट, फाइनेंशियल मैटर्स, ग्राम सभा के पुनर्गठन आदि का इसके ऊपर असर है तो यह ऐसे बदकिस्मत मामले हैं कि सम्भव नहीं है।

श्रीमन्, 14 साल के बाद भी किसान जो बेचने जाता है उसकी लुटाई उसी तरीके से बदस्तूर हो रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मण्डी समिति का शुल्क जो है वह आपका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्लर्क ले लेता है। जिस मकसद के लिए मण्डी ऐक्ट चौधरी चरणसिंह, उस वक्त के एग्री-कल्चर मिनिस्टर साहब ने पारित किया था कि किसान जब अपनी प्रोड्यूस बेचने जाय तो उसका शोषण न हो, धर्मादि के नाम पर हो दूसरी चीजों के नाम पर, इसलिए मण्डी समितियां बनाई गई थीं। लेकिन इसका परपज सर्व नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार घोषणा कर दें कि नय चुनाव प्रधानों के हो या नहीं हो, कोई आदमी तो गांव का प्रधान होगा, चुनाव होंग। आप तिथि की घोषणा कर दें तो जो भी इस वक्त प्रधान हैं उन्हीं को आधार मानकर, मौजूदा जो कालेज है वोटिंग का उसी को मानकर चुनाव करा डालें तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर.....

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें, कोरम है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह जो मण्डी समिति के चुनाव के लिए मन्त्री जी ने और समय माँगा है उस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। वह इसलिए कि पहले इस सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि जहाँ चुनाव नहीं हो पाए हैं वहाँ तदर्थ समितियाँ बना दी जायं और तदर्थ समितियाँ बनाने के लिए तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने अपने घटक के लोगों के नाम निर्देशित किए थे। हम लोगों के पास भी चिट्ठी आई थी कि जो विधायक हैं वह कुछ नामों की संस्तुति करें। प्रदेश में कोई विधायक जो विरोधी पक्ष के हैं, कोई नहीं कह सकता कि उन्हीं के द्वारा भेजे गए नाम पूर्ण रूप से मण्डी समितियों में निर्दिष्टि किए गए हैं।

दूसरी बात, कहीं भी सभापति विरोधी पक्ष के विधायक की संस्तुति पर नहीं बनाया गया। तो यह मण्डी समितियाँ राजनीति के लिए बन गई हैं और इसलिए आज भी जो समय लिया गया है वह जो मण्डी समितियाँ बच गयी हैं, जहाँ नाम निर्देशत नहीं हो पाए इसलिए, वहाँ नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे। अतः निवेदन है कि जो भी माननीय सदस्य हैं, विधान सभा, के उनके चुनाव क्षेत्र में जहाँ मण्डी समितियाँ हैं वहाँ नाम निर्दिष्ट करें तो तो उनकी भी बात सुनें और सभापति, मण्डी समिति, का चुनाव उनकी संस्तुति पर करें, तो यह अच्छी बात होगी। जो ब्लाक प्रमुख हैं और अब नहीं रहे हैं उनको भी रखा जाय, जो विधायक हैं उनको भी रखा जाय।

जो मण्डी समितियाँ हैं, 1964 से लेकर अभी तक चल रही हैं, जो उद्देश्य था उनका वह उद्देश्य उनका नहीं रह गया है। वहाँ भ्रष्टाचार है। सारा पैसा बंट जाता है, डाइरेक्टोरेट में आता है। इसलिए किसानों के हितों की बात रखना है तो मन्त्री जी इसका पूरा फिर से विश्लेषण करें जिससे किसान उत्पीड़न से मुक्त हो सकें और उनका कल्याण हो सके। मण्डी समितियों का निर्माण इसलिए हुआ कि कमीशन एजेन्ट जो हैं उनके शोषण से कृषि उत्पादक बच सकें। लेकिन आज उस शोषण से वह बच नहीं पाए, बल्कि शोषण बढ़ा है। मण्डी शुल्क बढ़ा है और एजेन्ट का शुल्क भी बढ़ गया है इसलिए मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों की रक्षा मण्डी समितियों से हो सके।

मान्यवर, मण्डी समिति में 135 आइटम अब जुड़ गए हैं जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है। इसलिए वही आइटम रखे जायं जो जहां उत्पादित होती हों। मान्यवर, गांवों में सड़कों को बनाने के लिए पैसा दिया गया है जैसे काम के बदले अनाज तो उसको आप देखें। इसके अलावा श्री रियासत हुसैन जी ने जो कहा है वह ठीक ही है कि ग्राम

[श्री देवबहार सिंह]

विकास मन्त्री और आप आपस में सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा होगा कि यह काम आप अपने अन्तर्गत ही रखें। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी घोषणा करें कि किस तारीख को चुनाव आप करायेंगे। इसलिए जिन समितियों का चुनाव उनके जन्म से लेकर आज तक नहीं हुआ यदि उनका चुनाव करा दें तो यह बड़ा भारी काम होगा। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार को चुनाव में यकीन ही नहीं है जो अपनी पार्टी का चुनाव नहीं करा पाई तो यह चुनाव कैसे करायेंगे? इसलिए यह चुनाव यदि करा दें तो अच्छा होगा।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों का चुनाव न तो देव बहादुर सिंह जी के साथी करा सके और न जनता पार्टी की सरकार ही कभी तक करा सकी। आगे भी जो हालत दिखाई पड़ती है उससे लगता है कि यह चुनाव शायद अभी कई सालों तक नहीं होंगे। मण्डी समितियों का इस्तेमाल सट्टा की, गुटबाजी की राजनीति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।

नामिनेशन कैसे हो? सारे विरोधी दलों को उपेक्षित कर दिया। मन्त्री जी बता नहीं सकते कि विरोधी दल के किसी भी विधायक को विश्वास में लिया गया हो या मण्डी समितियों में सहयोग लिया गया हो। जिस घटक के तत्कालीन मन्त्री थे, उस घटक के लोगो को भरने को कह दिया या ऐसे लोगों को भरने को कह दिया जो उनको नमस्कार करने के लिए आगे तैयार हों। इसलिए सत्ता पक्ष के भी तमाम विधायकों की उपेक्षा की गयी। इस तरह से जो नामिनेशन करना है, उसका दुरुपयोग करके मण्डी समिति के अन्दर जो लाखों रुपया मौजूद है, उसके घोटाले का पूरा प्रयत्न कर लिया गया है। यह सारी बात प्रदेश और देश की जनता जानने लगी है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि उनको यह नया विभाग मिला है। आप पूरी तरह से सारे नामिनेशन को रद्द कर दें और सदन के सभी विधायकों को आमन्त्रित करें। वह आपको सलाह दें। उनकी सलाह और सहयोग से काम करें। उनके क्षेत्र में आने वाली मण्डी में जब नामिनेशन करना हो, तो वहां के विधान सभा सदस्य की जब राय मानेंगे, तो आप पर भी विश्वास किया जा सकता है और सदन भी समझेगा कि मन्त्री जी न्याय कर रहे हैं, वरना एक ही घटक के लोग भर जायेंगे।

आज स्थिति यह है कि मण्डी समितियों में जो लोग बने हैं, वे भी विश्वास नहीं करते हैं, उनको सही ढंग से कितने दिनों काम करने का मौका मिलेगा। हमारे बांदा में अतर्रा मण्डी आती है। वहां बी०एल०डी के एक सज्जन पहले चुनाव हार गये। उनको मालूम था कि हमारा घटक है। उनको अध्यक्ष नामजद कर दिया गया। अभी कुछ ही दिन बाद एक प्रभावशाली मन्त्री ने कहा कि इनको निकालिए। तीन ही चार महीने में उनको निकाल कर दूसरे को रख दिया गया। तो यह वातावरण आज बना हुआ है। इससे वहां समय की स्थिति पैदा हो गयी है। कोई भी मण्डी समिति का अध्यक्ष पूरे विश्वास के साथ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और न कर पायेगा। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि पहले सारे नामिनेशन रद्द करके नये वातावरण में नामजद कराएं तब सही ढंग से काम चलेगा वरना उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो मण्डी समितियां नामजद हैं आज वे भ्रष्टाचार में लिप्त है।

*श्री गणेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी ने जो मण्डी विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि अभी तक वोटर्स की लिस्ट ही नहीं बन पाई है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो बेचारे मन्त्री जी उसका इलेक्शन कैसे करायेंगे ? 14 वर्षों में जब सूची नहीं बन पाई तो मन्त्री जी बेचारे तो अभी आए हैं। ये बेचारे कहां से सूची बना देते ? इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी के विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो मण्डी समिति का नामिनेशन हुआ है, उसमें हरिजनों की अवहेलना हुई है। किसी भी मण्डी समिति में हरिजन या अनुसूचित या जनजाति के आदमी को हमारे माननीय मन्त्री जी ने जो नामिनेशन किए हैं, उसमें इनको कहीं नहीं किया। प्रदेश भर में कोई चेयरमैन नहीं है मण्डी समिति का। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आज सूची को देखें और सार्ट आउट करें और हरिजनों के साथ ज्यादती को दूर करें क्योंकि हरिजनों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यह मैं आपकी ओर से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं बहसबन्दी का प्रस्ताव करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

(कृषि मन्त्री जी को पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मैं मन्त्री जी के बोलने से पहले एक आश्वासन तथा स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक साल का समय ले रहे हैं तथा कुछ और बढ़ाने का अधिकार ले रहे हैं। क्या उन्हें खुद इतना विश्वास है कि इतने समय में ग्राम सभा तथा सहकारी समितियों के चुनाव हो जायेंगे ? जब इन मण्डी समितियों का चुनाव 14 वर्ष तक नहीं हुआ तो क्यों इतना बड़ा भार मन्त्री जी अपने ऊपर ले रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि दद्दू और सत्य प्रकाश मालवीय की तरह नहीं बल्कि मन्त्री जी एक निश्चित घोषणा करें।

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में ऐसा भ्रम हो रहा है कि जिस उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है शायद उसके उद्देश्य की पूर्ति न हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं हैं और यह सत्य है कि जो हमारी मण्डी समितियों का निर्वाचन क्षेत्र है, उनमें अन्य सभी मतदाता सूची की जरूरत पड़ेगी जैसा कि मैंने अपने पहले भाषण में आपके सामने बताया था।

मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी कोई बात जनता पार्टी के शासन द्वारा नहीं कही गयी है कि हम चुनाव को नहीं कराने वाले हैं ? यदि आपने मुख्य मन्त्री जी के भाषण को सुना है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासन की इच्छा है कि शी ग्र से शीघ्र सारे चुनाव हो जाय। मैं भी ऐसा समझता हूं कि विशेष शंका करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, आखिर कभी न कभी तो फाइनल होगी। उसकी एक प्रक्रिया होती है। 25 दिन की आपत्ति और 15 दिन उसके निस्तारण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद तो सूची को घोषित करना ही होगा। चाहे स्थानीय निकायों या ग्राम सभाओं का चुनाव हो या न हो, मण्डी समिति के चुनाव से मेरा सीधा सम्बन्ध है। यदि वह सूची पूरी तौर से प्रमाणित हो जाती है यह हो सकता है कि स्थानीय निकायों या ग्राम सभाओं का चुनाव न भी हो तो भी उससे मण्डी समितियों के चुनाव में बाधा नहीं पड़ेगी। सूची अन्तिम रूप से तैयार हो जायगी तो चुनाव जरूर करा दूंगा।

यह भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि स्वतः मैं मनोनयन के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जहां तक चुनाव की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, उसे तो नियमों के अन्तर्गत ही करना होगा। इस-

[श्री शिव मंगल सिंह]

लिए मेरा अनुरोध है कि इसमें बहुत शंका करने की गुन्जाइश नहीं है। यह चुनाव शीघ्र से शीघ्र नियमित ढंग से करा दिया जायगा।

कुछ चर्चाएं हुई जो समितियों में मनोनयन हुआ है उसके बारे में। इस सम्बन्ध में मैं इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि शासन ने जब एक समिति का गठन किया है तो उसमें से किसी सदस्य को हटाने या रखने का कोई औचित्य नहीं है। इतना जरूर है कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और अन्य साथियों से भी समय-समय पर कहता रहता हूं कि किसी भी मनोनीत समिति के किसी सदस्य, किसी सभापति, किसी पदाधिकारी के बारे में यदि कोई आपकी शिकायत हो तो उन शिकायतों को आप मेरे पास भेज दें। मैं उनकी जाँच कराऊंगा, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि जाँच के उपरान्त कुछ शिकायतें सही पाई गयीं तो मै उन सदस्यों को हटा सकता हूं। लेकिन अकारण किसी सदस्य को बदलना या हाटा उचित नहीं है।

हमारे एक भाई ने एक बात उठाई कि सदस्य मनोनीत होता है और फिर हटा भी दिया जाता है तो अगर कोई सदस्य मनोनीत किया जाता है तो पहले से तो उसके काम के बारे में मालूम नहीं होता, अगर उसका काम ठीक नहीं पाया जाता है तो हटा दिया जाता है। अगर बाद में भी कोई शिकायत शासन को प्राप्त हो और शासन सन्तुष्ट है कि सदस्य ठीक काम नहीं कर रहा है तो शासन उसे हटा सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी शंकाएं उनके दिलों में हैं वे उनको दूर करने की कोशिश करें।

जहाँ तक मण्डी समितियों के निर्वाचन का प्रश्न है, मैं पुनः अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें कहीं इस बात के प्रयास नहीं हो सकते हैं कि चूंकि स्थानीय निकाय के, गाँव सभा के या जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो रहें हैं इसलिए मण्डी समितियों के चुनाव नहीं होंगे। केवल हमें जो बाधा है वह इस बात की है कि हमारी फाइनल मतदाता सूची तैयार हो जाय, उसके बाद हम मण्डी समति के निर्वाचन रोकने के लिए किसी प्रकार की कोशिश नहीं करेंगे और यदि अधिनियमों में कोई बाधा नहीं पड़ती है तो चुनाव शीघ्र से शीघ्र करा दिए जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मण्डी समितियां अभी तक नहीं बनी हैं उनको आप कब तक बनवा देंगे और जो नाम हम लोगों से माँगे गए थे वे आपके पास पहुंच गए हैं या फिर से देने पड़ेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कार्यालय से, वह 112 समितियों का गठन करना अभी शेष रह गया है। 139 का हो गया है, 112 का शेष रह गया है। जहाँ तक मेरा निजी विचार गठन के सम्बन्ध में है, वह यह है कि अप्रैल के महीने में सब विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद् सदस्यों तथा संसद सदस्यों से उनके सुझाव माँगेंगें और उन सुझावों के आ जाने के उपरान्त हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी समिति प्रत्येक मण्डी समिति की बन सके। जो सबके सुझाव होंगे, उन पर मैं भी गम्भीरता से विचार करूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय सदस्यों तथा विशेष रूप से माननीय मन्त्री जी का विशेष आभारी हूं कि न्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि

नियमानुसार अगर मतदाता सूची हमारी तैयार होगी तो हम चुनाव करा देंगे। तो श्रीमन्, मण्डी समिति के नियमों में यह कहीं नहीं लिखा है कि जो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नये चुनाव होंगे तो वह मतदाता सूची में शामिल होंगे। उसमें स्पष्ट बात है कि ग्राम सभाओं के प्रधान उस मतदाता सूची में शामिल हैं और उसी के आधार पर एक वक्त वह था जब सब काम हो गया था, नामिनेशन भी फाइल हो गये थे, सिक्योरिटी मनी भी जमा हो गया था और सब कुछ हो गया था लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोगों का दबाव पड़ा और चुनाव स्थगित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संशोधन के बारे में कुछ बताइए।

श्री रियासत हुसैन—

अगर माननीय मन्त्री जी यह विश्वास दिला दें स्पष्ट रूप से कि जो मतदाता सूची इस वक्त के मौजूदा हालात के अनुसार है, उसी को आधार मानकर चलेंगे, चुनाव नियमों में कहीं यह नहीं है कि इन ग्राम सभाओं के चुनाव होंगे तभी वह होंगे। मतदाता सूची तैयार है और अगर नहीं है तो एक हफ्ते में तैयार हो जायगी। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आप घोषणा कर दें कि जून तक चुनाव करा देंगे मौजूदा मतदाता सूची के ऊपर बिना अन्य चुनावों को बेट किए हुए, तो मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय वापस ले लूंगा वरना . . . .

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, रियासत साहब को मैं कैसे सन्तुष्ट करूं। जब मतदाता सूचियों के ऊपर आपत्तियाँ माँगी गयी हैं, संशोधन दिए जा रहे हैं, उनको प्रमाणित रूप से फाइनल करना ही है तो मैं अब कैसे कह दूं कि इसी लिस्ट पर चुनाव करा देंगे। मैंने चुनाव निदेशक से बात की थी और उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, गाँव सभाओं के चुनाव होंगे शासन का ऐसा बिचार है। सारी प्रक्रिया चल रही है। इसी सन्दर्भ में मैंने चुनाव निदेशक से बात की थी। मैंने इसलिए यह कहा कि इसी बीच जो यह प्रक्रिया चल रही है मतदाता सूची की इसके आधार पर मण्डी समिति के चुनाव कैसे करा दिए जायेंगे, क्योंकि जब चुनाव शुरू होंगे तो लिस्ट बदल जायगी। यह तो सम्भव नहीं है। आखिर लिस्ट तो फाइनल होगी ही। अगर स्थानीय निकायों के, जिला परिषद् के, गाँव सभाओं के चुनाव न भी कराए जा सके सरकार के द्वारा तो कोई मतदाता सूची नहीं बनेगी, ऐसी बात तो नहीं है। इसलिए मैंने आश्वस्त कर दिया कि मतदाता सूची फाइनल हो जाती है तो उसके बाद मण्डी समिति के चुनाव इसलिए नहीं रुकेंगे कि जिला परिषद् और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए। इससे और क्या स्पष्ट मैं कह सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4 खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक; 1979

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 27 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

वैधीकरण

3—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,

(एक) उन मंडी क्षेत्रों में जहां मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार तदर्थ समिति का संघटन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कर दिया गया है, वहां ऐसी समितियों द्वारा, और

(दो) उन मंडी क्षेत्रों में जहां ऐसे प्रारम्भ के पूर्व ऐसी समितियों का संघटन नहीं किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा,

किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य, या की गयी या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या दिया गया या दिया गया तात्पर्यित कोई आदेश (जिसके अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कोई कर या प्रभारित शुल्क भी है) इस प्रकार विधिमान्य और सदैव विधिमान्य रहा समझा जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4 तथा खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है . . ..

एक सदस्य—

मान्यवर, मुझे सुन लीजिए. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । पहले कहे होते तो मैं स्पष्टीकरण करने की इजाजत देता ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव तिथि को श्री राज्यपाल द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है ।

शासन से आज प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्धारित दिनांक 27 मार्च, 1979 की तिथि को निरस्त कर दिया है । उक्त निर्वाचन किए जाने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा आगामी तिथि की सूचना यथासमय भेजी जायेगी ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
26 मार्च, 1979

पी0एस0यू0पी0—एल0 16 वि0सभा (28)-1979—835 ।